शिक्षा की प्रगति

1994-95

शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

उत्तर प्रदेश में शिक्षा की प्रगति

सामान्य शिक्षा

1994–95

शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश
इलाहाबाद

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No .....
Date.....

विषय–सूची

अध्याय शीर्षक

क्रम–संख्या		पृष्ठ–संख्या
1—सामान्य पर्यवेक्षण	..	1–6
2—प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, बालाहार एवं पुष्टाहार शिक्षा	..	7–11
3—माध्यमिक शिक्षा	..	12–17
4—पत्राचार शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद	..	18–33
5—व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम	..	24–27
6—बेसिक शिक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश	..	28–41
7—विदेशी भारतीय एवं अन्य अहिन्दी भाषी क्षेत्रों को राजभाषा भाषाओं की शिक्षा	..	42–43
8—संस्कृत शिक्षा	..	44–45
9—उर्दू, अरबी तथा फारसी शिक्षा	..	46–51
10—उच्च शिक्षा	..	52–53
11—पुस्तकालय	..	54
12—प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम	..	55–58

सारणियों की सूची

1—शिक्षा के लिए निर्विष्ट बजट	..	59
2—शिक्षा के विभिन्न शीर्षकों के लिये बजट	..	60–61
3—प्रबन्धानुसार शिक्षा संस्थायें (सामान्य शिक्षा)	.	61
4—विभिन्न प्रकार की मान्यताप्राप्त शिक्षा संस्थायें	..	61–62
5—संस्थानुसार छात्रों की संख्या	..	62–63
6—संस्थानुसार अध्यापकों की संख्या	..	63–64
7—स्तरानुसार विद्यार्थियों की संख्या	..	64
8—माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं के लिये मान्यताप्राप्त विद्यालयों की संख्या	..	65
9—हाई स्कूल परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या	..	65
10—इण्टरमीडिएट परीक्षा के परीक्षार्थियों की संख्या	..	66
11—संस्कृत पाठशालाओं की संख्या और राजकीय सहायता	..	66
12—अरेबिक मदरसों की संख्या और राजकीय सहायता	..	67
13—प्रशिक्षण संस्थान तथा सम्बद्ध प्रशिक्षण संस्थायें	..	67
14—प्रशिक्षण संस्थायें तथा सम्बद्ध प्रशिक्षण कक्षायें (छात्र संख्या)	..	68
15—रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षाएं द्वारा संचालित परीक्षाओं का अन्तिम तीन वर्ष का परीक्षाफल	..	68–69
16—माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचलित परीक्षाओं अन्तिम तीन वर्षों का परीक्षाफल	..	69

सारिणियों की सूची

17--30 सितम्बर, 1994 को जनपद/मण्डलवार सीनियर बेसिक विद्यालयों, विद्यार्थियों, अध्यापकों की संख्या .. 69-71

18--30 सितम्बर, 1994 की जनपद/मण्डलवार सीनियर बेसिक विद्यालयों, विद्यार्थियों, एवं अध्यापकों की संख्या .. 72-74

19--30 सितम्बर, 1994 की जनपदवार/मण्डलवार विद्यालयों, विद्यार्थियों, अध्यापकों की संख्या .. 74-76

20--31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार जनपदवार महाविद्यालय, छात्र एवं अध्यापक संख्या ... 76-78

21--वर्ष 1991 के अनुसार जनपदवार क्षेत्रफल, जनसंख्या एवं साक्षरता .. 79-81

संलग्न ग्राफों की सूची

1--उत्तर प्रदेश के स्कूल तथा कालेजों की छात्र संख्या

2--प्राथमिक विद्यालय
3--उच्च प्राथमिक विद्यालय
4--उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

अध्याय 1

सामान्य पर्यवेक्षण

मानव विधाता की सर्वोत्तम कृति है तथा शिक्षा मानव जीवन को समुचित रूप से परिष्कृत करके सार्थक बनाने का सशक्त माध्यम शिक्षा है ।

शिक्षा ही मनुष्य को समस्त मानवीय गुणों से सम्पन्न करके अखिल विश्व के प्राणिमात्र में उसे गौरवपूर्ण उच्चतम श्रेणी पर आसीन कराती है । विद्यालयों के शारीरिक विकास के साथ-साथ शिक्षा या सशक्त माध्यम ही विकासोन्मुख प्रगति की ओर उत्तरोत्तर गतिमान करते हुए उसमें धैर्य, विवेक, सहिष्णुता, सांस्कृतिक सम्पन्नता, बौद्धिक और सामाजिक सफलता आदि ऐसे मानवोचित गुणों से अलंकृत करते हुए उन्हें युगानुकूल समाज के परिवर्तित परिवेश में एक सुगम, सहज और सुखमय जीवन जीने की कला में निष्णात बनाकर आदर्श मानव की श्रेणी में पहुंचा देती है । इस कथन की सार्थकता प्रमाण स्वरूप अतीत के अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनमें शिक्षा के प्रभाव से अनेक महापुरुषों से देश को समय-समय पर अनेक आशातीत एवं अप्रत्याशित लाभ देकर गौरवान्वित किया है । यह एक स्वयं सिद्ध तथ्य है कि एक सुशिक्षित व्यक्ति विविध रूपों में देश और समाज के लिये उपयोगी सिद्ध हो सकता है । इन तथ्यों को और अधिक विश्लेषित करने से वह एक मानव के रूप में निज के लिये, एक संरक्षक अथवा अभिभावक के रूप में अपने कुटुम्ब के लिए, एक प्रबुद्ध नागरिक के रूप में प्रजातान्त्रिक प्रशासन व्यवस्था के लिए, एक सच्चे समाज सेवी के रूप में समाज के लिये अथवा एक उद्बुद्ध नेता सजग प्रहरी या दिशादाता के रूप में सम्पूर्ण मानव समाज सहित निज देश से लकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक के लिए लाभ का स्रोत बन सकता है ।

इसी दृष्टि से वर्तमान समय में देश-प्रदेश में सुनियोजित शैक्षिक विकास हेतु सुलभ वित्तीय संसाधनों का अनुशासनिक प्राविधान किया जा रहा है । देश के परिवर्तित परिवेश और वर्तमान सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप विभिन्न प्रकार की योजनाओं, परियोजनाओं के क्रियान्वयन के साथ-साथ शैक्षिक नीति में परिवर्तन एवं परिवर्धन के लिए सतत प्रयत्न चल रहा है ।

अब तक शिक्षा के लिए बनायी गई योजनाओं और परियोजनाओं में इस बात के लिए सतत प्रयोग किये गये हैं कि इनके क्रियान्वयन के माध्यम से शिक्षा को विषय वस्तु में परिवर्तन, अध्यापन की उन्नत पद्धतियों की ग्राह्यता, परीक्षा प्रणाली में संशोधन, पाठ्य पुस्तकों अध्ययन अध्यापन और प्रशिक्षण में यथेष्ठ सुधार लाये जा सकें ।

उत्तर प्रदेश 2,94,411 वर्ग किलोमीटर के विस्तृत क्षेत्र में स्थित है । इसकी जनसंख्या 1991 की जनगणना के आधार पर अन्तिम आंकड़ों के 13,91,12,287 है जिसमें 292,7645 अनुसूचित जाति तथा 267901 अनुसूचित जन जाति है । इतने बड़े विस्तृत क्षेत्र सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर इससे देश के विशालतम प्रदेश होने का गौरव प्राप्त है । शिक्षा जगत को सार्थक और व्यापक व्यवस्था के अनुरूप कार्य संपादन में सुविधा की दृष्टि से इस पूरे प्रदेश का विभाजन विभिन्न 13 मण्डलों में किया गया है । प्रत्येक मण्डल के शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्य संपादन के निमित्त एक मण्डलीय उप-शिक्षा निदेशक, एक मण्डलीय उप-शिक्षा निदेशक (द्वितीय), सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) के कार्यालय हैं । मण्डल स्तर के बाद जनपदीय स्तर पर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा व्यवस्था हेतु प्रदेश के सभी जनपदों में एक-एक जिला विद्यालय निरीक्षक तथा बेसिक शिक्षा की व्यवस्था और नियंत्रण के लिए सभी जनपदों में एक-एक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय स्थापित किये गये हैं ।

उक्त के अतिरिक्त संपूर्ण प्रदेश का विभाजन 898 विकास खण्डों में किया गया है, जिसमें से ग्रामों की संख्या 1,12,661 है । सन् 1991 की जनगणना के अनुसार इस प्रदेश में कुल जनसंख्या 13,91,12,287 में से 4,68,71,1,095 व्यक्ति साक्षर हैं, जो कुल जनसंख्या के 33.69 प्रतिशत है । उक्त जनसंख्या में पुरुषों एवं महिलाओं की अलग-अलग संख्या क्रमशः 7,40,36,957 एवं 6,50,75,330 है ।

राष्ट्रीय सेवा योजना—

वर्ष 1969-70 में एन० सी० सी० की अनिवार्यता समाप्त करके भारत सरकार द्वारा अन्य प्रदेशों के साथ-साथ इस प्रदेश के चार विश्वविद्यालयों के 2,500 प्रथम डिग्री स्तर के छात्रों पर राष्ट्रीय सेवा योजना लागू की गई थी । इस योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों में अनुशासन की भावना जागृत करना, चरित्र निर्माण तथा छात्रों को मिल जुल कर रचनात्मक कार्यों में लगाना है । इस योजना के अन्तर्गत 7:5 के अनुपात में व्यय करने के लिये भारत सरकार बचनबद्ध है ।

योजना की उपादेयता को ध्यान में रखते हुये वर्ष 1974-75 से इसे सामान्य कार्यक्रम तथा विशेष शिविर कार्यक्रम में बांट दिया गया । प्रति वर्ष जितने छात्र राष्ट्रीय सेवा योजना सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित किये जाते हैं, उसके आधे छात्र दस दिवसीय विशेष शिविरों में सम्मिलित होते हैं । इस योजना में प्रति वर्ष छात्र संख्या में वृद्धि हो रही है ।

वर्ष 1969–70 में छात्र संख्या 2,500 के विरुद्ध वर्ष 1986–87 में विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों को 96,000 छात्र संख्या सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत और 48,000 छात्र संख्या विशेष शिविरों के लिये आवंटित की गई थी।

प्रौढ़ शिक्षा—

प्रौढ़ शिक्षा के व्यापक संचालन के अन्तर्गत 15–35 वय वर्ग के निरक्षर व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जन–जातियों तथा समाज के अन्य निर्बल वर्ग के लोगों को साक्षर बनाने, उन्हें जागृत करके उनकी व्यावहारिक कार्य क्षमता के स्तर को समुन्नत बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

खेलकूद एवं युवक कल्याण—

छात्र–छात्राओं की शिक्षा के साथ समुचित सामाजिकता एवं स्वस्थ नागरिकता का प्रशिक्षण देना और उनके शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाना तथा उन्हें चुस्त रखने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों का संचालित किया जाता। इसके अन्तर्गत छात्र–छात्राओं को खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कोचिंग विजेताओं को छात्र–वृत्तियां बना, राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान में विद्यालयों में पाठ्य सहगामी सांस्कृतिक कार्यक्रम, पूर्व माध्यमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में बालचर योजना का विस्तार, अपना देश–अपना प्रदेश जानो आदि यात्रायें सम्मिलित हैं। विद्यालयीय खेल–कूद एवं अन्य शिक्षणेत्तर कार्यक्रम के प्रोत्साहन हेतु राज्य विद्यालयीय क्रीड़ा संस्थान, फैजाबाद की स्थापना की गई। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल–कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया।

राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण कार्यक्रम

अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान के कार्यान्तर्गत मृत अध्यापकों के आश्रित, असहाय तथा अशक्त एवं आर्थिक दृष्टि से संकटग्रस्त कार्यरत अध्यापकों को निम्नांकित उद्देश्यों के लिये उनसे प्राप्त प्रार्थना–पत्रों के आधार पर आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है :

प्रमुख शैक्षिक स्तरों पर प्रदेश की शिक्षा की कार्य नीतियां निम्नवत् हैं :—

1—प्रदेश के 6–14 वर्ष तक की आयु के बच्चों का अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण कार्यक्रम को सर्वाधिक वरीयता प्रदान की जाती है। इस आधार पर शिक्षा के वार्षिक बजट का अधिकांश भाग इस महत्वपूर्ण कार्य पर व्यय करने का उद्देश्य रहता है।

2—शिक्षण कार्य में किन्हीं कारणों से उत्पन्न ह्रास एवं अवरोध को समाप्त करने के लिए वर्तमान में पूर्ववर्ती कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावोत्पादक एवं उपयोगी बनाने हेतु विद्यार्थियों की धारण–क्षमता में अभिवृद्धि की जाती है।

3—अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के बालक/बालिकाओं को विद्यालयों में प्रवेश दिलाने में विशेष बल दिया जाता है।

4—समाज के निर्बल वर्ग के शिक्षार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकों, मध्याह्न अल्पाहार तथा छात्रवृत्तियों की अधिकाधिक व्यवस्था की जाती है।

5—प्राथमिक शिक्षा परिवेश में सुधार हेतु नये भवनों के निर्माण के साथ पुराने भवनों में सुधार तथा उनमें अन्य आवश्यक उपकरणों और शैक्षिक उपकरणों की व्यवस्था की जाती है।

6—गत सर्वेक्षण के आधार पर वरीयता–क्रम में नये विद्यालय खोले जाते हैं।

अनौपचारिक शिक्षा—

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना का क्रियान्वयन किया गया है। इस योजना के संचालन का उद्देश्य यह है कि 6–14 वय वर्ग के ऐसे उन बालक/बालिकाओं को शिक्षित बनाना है, जो किसी सामान्य प्राइमरी पाठशाला में अध्ययन हेतु नहीं जा सके या जिन्होंने अपरिहार्य आर्थिक या सामाजिक कारणों से अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी नहीं की, अपितु बीच में ही जिनकी पढ़ाई बन्द हो गई। ऐसे अशिक्षित अथवा अर्द्ध शिक्षित बच्चों को इस योजना के अन्तर्गत शिक्षा और अध्ययन की शिक्षा में उन्मुख करके इसकी धारा में सम्मिलित किया जा रहा है। गुणात्मक सुधार हेतु निम्नलिखित प्रयास किये जा रहे हैं—

1—प्रारम्भिक शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए पाठ्यक्रमों में संशोधन करना, उदाहरण के तौर पर शिक्षा को पर्यावरण से जोड़ने, समाजोपयोगी, उत्पादक कार्यों को पाठ्यक्रम में समाहित करना तथा ऐसे पाठ्यक्रमों को बच्चों के लिए सुसंगत बनाना आदि।

2—शिक्षण, परीक्षण तथा मूल्यांकन में गतिशील पद्धतियां अपनाना।

निर्बल वर्ग के बच्चों को शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम निर्बल वर्ग को विशेषकर शिक्षा के प्रति उदासीन परिवारों के बच्चों को विद्यालयों में लाने हेतु निःशुल्क पुस्तकें, लेखन–सामग्री तथा बालाहार की योजनाओं का संचालन।

माध्यमिक शिक्षा—

1—माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए सुनियोजित नीति का अपनाया जाना तथा क्षेत्रीय असंतुलन के निराकरण के लिए माध्यमिक विद्यालयों का मुख्य रूप से पिछड़े क्षेत्रों में खोला जाना ।

2—गुणात्मक सुधार कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जाना, जिसके अन्तर्गत पाठ्यक्रम को सफल बनाना, पाठ्यक्रम के स्तर को उन्नत करना, शिक्षा प्रणाली को उन्नत बनाना आदि विद्यालयों के गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इसमें अभिनव प्रयोग की योजना संचालित करना ।

3—ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना, जिनसे छात्रों का पर्याप्त संख्या में मध्य स्तरीय रोजगार के अवसरों की ओर लगाया जा सके । विद्यालय भवन, काष्ठोपकरण प्रयोगशालाओं तथा साज-सज्जा की दृष्टि से विद्यालयों में सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया जाना ।

4—10 वर्षीय सामान्य शिक्षा के नये रूप के सन्दर्भ में विज्ञान की शिक्षा का विस्तार और सुधार करना ।

5—बालिकाओं को शैक्षिक सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु अपेक्षित विकास खण्डों में बालिका उ० मा० वि० की स्थापना करना तथा कराना ।

6—माध्यमिक शिक्षा परिषद् को परीक्षण पद्धति के अभिनवीकरण हेतु पत्राचार शिक्षा संस्थान की स्थापना ।

शैक्षिक शोध एवं अध्यापक प्रशिक्षण—

शैक्षिक समस्याओं के अध्ययन एवं अनुसंधान को विशिष्ट गति देने की दृष्टि से राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद् की स्थापना ।

प्राइमरी तथा माध्यमिक स्तर की संस्थाओं के अध्यापकों को सेवाकालीन शैक्षिक सुविधाओं को विस्तृत एवं व्यापक बनाना और वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समुन्नत करना ।

उच्च शिक्षा—

उच्च शिक्षा के उन्नयीकरण के साथ उसके सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया जाना ।

मृत, अवकाशप्राप्त अध्यापकों की कल्याण योजना—

*1—मृत, अवकाशप्राप्त एवं कार्यरत अध्यापकों के अध्ययनरत विकलांग बच्चों का एक शैक्षिक सत्र के लिए निम्नांकित दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है—

		रुपया
(1)	कक्षा 3 से 8 तक	350 एकमुश्त
(2)	कक्षा 9 से 10 तक	500 ,,
(3)	कक्षा 11 से 12 तक	800 ,,
(4)	स्नातक/स्नातकोत्तर, सी० टी०, एल० टी०,/एम० बी० बी-एस०/ टेक्निकल आदि	1,000 ,,

2—मृत अध्यापकों के आश्रितों जिनका कोई बालिग पुत्र रोजगार कमाने योग्य न हो तथा अवकाशप्राप्त अध्यापकों की जिनकी मासिक पेन्शन की धनराशि 500 रुपया से अधिक न हो, भरण-पोषण हेतु 150 रुपये मासिक दर से कम से कम एक वर्ष तथा अधिक से अधिक 5 वर्ष तक दी जाती है ।

3—मृत प्राध्यापकों तथा अवकाशप्राप्त अध्यापकों जिनकी वार्षिक आय मूल वेतन के आधार पर 30,000 रुपया (रुपये तीस हजार मात्र) से अधिक न हो की पुत्री जिसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो, जीवित हो एवं मृतक आश्रितों को शादी हेतु 4,000 रुपये एवं 5,000 रु० तक एकमुश्त धनराशि स्वीकृत की जाती है ।

4—मृत अध्यापकों के आश्रितों, अवकाशप्राप्त एवं कार्यरत अध्यापकों की जिनकी वार्षिक आय मूल वेतन के आधार पर 30,000 रु० (रुपया तीस हजार मात्र) से अधिक न हो स्वयं की अथवा उनके आश्रितों की चिकित्सा हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त अथवा अन्य डाक्टरों द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र पर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो, प्रमाण-पत्र में अंकित बीमारी की गम्भीरता को देखते हुए 750 रुपया से 5,000 रु० मात्र की एकमुश्त धनराशि स्वीकृत की जाती है ।

उक्त नियमों के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों को आर्थिक सहायता स्वीकृत करने हेतु एतदर्थ गठित समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है तथा समिति के अनुमोदनोपरान्त सहायता स्वीकृत की जाती है । अपूर्ण अथवा नियमान्तर्गत प्राप्त हुए प्रार्थना-पत्र निरस्त हो जाते हैं ।

राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान द्वारा वर्ष 1994-95 में शिक्षक दिवस के आधार पर दिनांक 30 सितम्बर, 1994 तक लगभग 9,21,800 रुपया की धनराशि एकत्र की गई । एकत्रित धनराशि में से 5,54,810 रुपया शिक्षकों अथवा उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता के रूप में स्वीकृत की गई है ।

अन्य कार्यक्रम—

बाल-हार एवं पुष्टाहार--शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक क्षमता के लिए पूर्व विद्यालयीय शिशुओं, गर्भवती महिलाओं एवं विद्यालयीय (6-11) वय वर्ग के बच्चों के लिए योजना का संचालन।

2-- पुस्तकालय नीति--शिक्षा के सभी स्तरों के कार्यक्रमों को आधुनिक पुस्तकालय व्यवस्था को समर्थन प्रदान करना।

3--शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के नियोजन एवं अनुश्रवण हेतु शिविर कार्यालय, लखनऊ नियोजन अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कोष्ठक की स्थापना।

4--अध्यापकों की नियुक्तियों में गुणवत्ता बनाये रखने की दृष्टि से माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा (दोनों ही स्तर के लिए) शिक्षा अध्यापक चयन बोर्डों की स्थापना की गयी है।

5--हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं, जैसे संस्कृत, उर्दू आदि का समुचित विकास किया जाना तथा उनके साहित्य में अभिवृद्धि हेतु प्रोत्साहन कार्यक्रमों का संचालन किया जाना।

6--राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से कक्षा 1-12 तक की भाषा और इतिहास की पुस्तकों की समीक्षा किया जाना।

7--छात्रों के चरित्र विकास एवं नेतृत्व के गुणों के विकास को ध्यान में रखकर जनपदीय एवं मण्डलीय स्काउट रैली का आयोजन करना।

8--उत्तर प्रदेश को इनसेट योजना के अन्तर्गत चुन लिए जाने के कारण शैक्षिक प्रसारण कार्यक्रम के क्रियान्वयन और उसमें प्रगति हेतु शैक्षिक टेलीवीजन निर्माण केन्द्र का शीघ्र ही लखनऊ नगर में स्थापित किया जाना।

उक्त सभी नीतियों से स्पष्ट है कि देश और समाज की नवीनतम आवश्यकताओं और राष्ट्रीय आदर्शों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के माध्यम से प्रदेश में उन नये-नये अध्याय उद्घोषित हो रहे हैं। उन्हें उत्तरोत्तर प्रगति की दिशा देने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग के सभी स्तरों पर समाज एवं राष्ट्र के सर्वतोमुखी विकास में सहायक कार्यक्रमों का समावेश किया जा रहा है, जिससे इस संशोधित एवं परिमार्जित शिक्षा व्यवस्था से प्रदेश की वर्तमान एवं भावी पीढ़ी अधिकाधिक लाभान्वित हो सकें।

इसके अतिरिक्त शिक्षा में गुणात्मक विकास की दृष्टिकोण में रखकर भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ प्रशासन एवं शैक्षिक शिक्षण का प्रदर्शन करने वाले प्रधानाचार्यों/प्रधानाचार्याओं/शिक्षक/शिक्षिकाओं को राष्ट्रीय एवं राज्य पुरस्कार वितरित किये जाने का प्राविधान है। सत्र 1993-94 में उक्त योजनान्तर्गत पुरस्कृत किए गये कर्मचारियों की सूची अग्रेतर है--

भारत सरकार के आदेश संख्या एफ0 1-4/93 स्कीम 5, दिनांक 3 अगस्त, 1994 नयी दिल्ली द्वारा वर्ष 1993-94 में उत्तर प्रदेश के 32 अध्यापकों/प्रधानाचार्यों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये गये जिनके नाम निम्नलिखित हैं--

1--श्री मानक चन्द्र भारद्वाज, सहायक अध्यापक, जूनियर हाई स्कूल बिलसेन विकास क्षेत्र शिकारपुर, देहरादून।

2--श्री कृष्ण देव दूबे, प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय श्री कृष्ण नगर, बबलापुर, जौनपुर।

3--श्री काशी प्रसाद, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय, साहिजन (कलां), सोनभद्र।

4--श्री सुखराम सिंह कुशवाहा, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय, नसीरपुर, गाजीपुर।

5--श्री मुन्नी लाल पाण्डेय, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय, सिखौना, विकास क्षेत्र, सैदपुर, गाजीपुर।

6--श्री एहसान अन्सारी, सहायक अध्यापक, जूनियर हाई स्कूल (बालक) नगर क्षेत्र मऊनाथ भंजन, मऊ।

7--कुमारी निर्मलारानी जैन, सहायक अध्यापिका, उच्च प्राथमिक विद्यालय, बारला, मुजफ्फर-नगर।

8--श्री स्वयंवर प्रसाद वर्मा, सहायक अध्यापक, राजकीय माडल स्कूल, फतेहपुर।

9--श्री रामेश्वर मौर्य, प्रधानाध्यापक, गांधी स्मारक, प्राथमिक विद्यालय, बिन्दकी, फतेहपुर।

10--श्री गिरिधर मणि त्रिपाठी, प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक विद्यालय, नवीली बस्ती।

11--श्री राम हुजूर पाण्डेय, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय, मसना क्षेत्र कौड़ीराम, गोरखपुर।

12—श्री राम भरोसे रावत, सहायक अध्यापक, जूनियर हाई स्कूल बेला सराय, गाजा, समशाबाद, फर्रुखाबाद ।

13—श्री होराम सिंह, प्रधानाध्यापक, बेसिक प्राथमिक विद्यालय, मेडिकल कालेज परिसर, बेसिक शिक्षा परिषद् नगर क्षेत्र, मेरठ ।

14—श्रीमती सरस्वती दूबे, सहायक अध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय, बड़ी नैनी, इलाहाबाद ।

15—श्री रामजी लाल कन्नौजिया, प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल मालवा, हरदोई ।

16—श्री अमीलाल गुप्त, सहायक अध्यापक, जूनियर हाई स्कूल पूर्वा, अहिरान महानगर क्षेत्र, मेरठ ।

17—श्री रमा शंकर वर्मा, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय गलगहला सिकन्दरपुर, सरोसी, उन्नाव ।

18—श्री ओम प्रकाश जयन्त, प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, दहिला, बाराबंकी, फैजाबाद ।

19—श्री माधव प्रताप सिंह, प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल रामपुर भगन, बीकापुर, फैजाबाद ।

20—श्री गोपी चन्द्र, प्रधानाध्यापक, बेसिक प्राथमिक विद्यालय बाबूगढ़ कैन्ट संख्या-1, हापुड़, गाजियाबाद ।

21—श्री महेन्द्र कुमार मिश्र, प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, बीसलपुर, पीलीभीत ।

22—श्री नारायण मिश्र, प्रधानाचार्य, डी0 ए0 वी0 इन्टर कालेज, मऊनाथ भंजन, मऊ ।

23—श्री देवानन्द त्रिपाठी, प्रधानाचार्य, चाचा नेहरू मिमोरियल इन्टर कालेज, गोविन्द नगर, कानपुर ।

24—श्रीमती शकुन्तला शर्मा, प्रधानाचार्या, श्री सनातन धर्म महिला इन्टर कालेज, बुढ़ाना गेट, मेरठ ।

25—श्रीमती अमृत कौर स्याली, प्रधानाचार्या, गुरूनानक कन्या इन्टर कालेज, सहारनपुर ।

26—मुहम्मद ईशा खान, प्रवक्ता, राजकीय जुबली इन्टर कालेज, गोरखपुर ।

27—श्रीमती मुक्ति राय, प्रवक्ता, द्वारका प्रसाद बालिका इन्टर कालेज, इलाहाबाद ।

28—श्री समर बहादुर सिंह, प्रवक्ता, राजकीय क्वीन्स इन्टर कालेज, वाराणसी ।

29—डा0 श्रीमती पदमा मिश्रा, प्रवक्ता राजकीय बालिका इन्टर कालेज, राजपुर रोड, देहरादून ।

30—श्रीमती कृष्णा बाजपेयी, सहायक अध्यापिका, कौशिल्या कन्या इन्टर कालेज, मुरादाबाद ।

31—श्रीमती शारदा देवी गुप्ता, सहायक अध्यापिका, लाल ऋषि कन्या इन्टर कालेज, रायबरेली ।

32—डा0 हरिओम तत्सम, ब्रह्म शुक्ल, आदर्श बजरंग इन्टर कालेज, बांदा ।

राज्य अध्यापक पुरस्कार—

राजाज्ञा सं0 1223/15(13)-92-5 (21)/92, दिनांक 6 अगस्त, 1993 द्वारा प्राथमिक स्तर एवं माध्यमिक स्तर के निम्नलिखित शिक्षकों/शिक्षिकाओं, प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्याओं को राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया गया ।

प्राथमिक स्तर के अध्यापक—

1—श्रीमती मुन्नी देवी रावत, प्रधानाध्यापिका, कन्या जूनियर हाई स्कूल, डोंग ऐठंगा (कटूतोरय), विकास क्षेत्र-खिसूँ, जनपद पौड़ी गढ़वाल ।

2—श्रीमती कामिनी कौशल गुप्ता, सहायक अध्यापिका, कन्या जूनियर हाई स्कूल, कुईयाखेड़ा, फर्रुखाबाद ।

3—श्रीमती मंजू सेठ, इन्चार्ज अध्यापिका, उच्च प्राथमिक विद्यालय, चमारी खेड़ा-ब्लाक, जिला सहारनपुर ।

4—श्री वेदराम वर्मा, प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, पोस्ट भटरीपुरा, जिला मेरठ ।

5—श्री तारा चन्द्र उप्रेती, सहायक अध्यापक, ब्लाक उच्च प्राथमिक विद्यालय, मल्लीताल, जिला नैनीताल ।

6—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, इस्माइलपुर, जिला बिजनौर ।

7—श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र, प्रधानाचार्य जूनियर हाई स्कूल, चन्द्रभूषणगंज, रायबरेली ।

8—श्री राजेन्द्र पाल सिंह, सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, नगरियां, आंवला विकास क्षेत्र मझगवां, जनपद बरेली।

9—श्री राम अवध तिवारी, प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, हतवा बाजार (भटनी), देवरिया।

10—श्री घनश्याम शुक्ल, प्रधानाचार्य, उच्च प्राथमिक विद्यालय, कछवा, विकास क्षेत्र-मझवा, जिला-मिर्जापुर।

11—श्री सत्येन्द्र राय, प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, सिकन्दरपुर, बलिया।

12—श्री हीरामन शुक्ल, प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, बृजमनगंज, क्षेत्र बृजमनगंज, जिला-महाराजगंज।

13—श्री कृपाल दत्त जोशी, प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, कुलसीवी जिला-अल्मोड़ा।

14—श्री समराम, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय नं0 1, विकास क्षेत्र-मोरना, जिला-मुजफ्फरनगर।

15—श्री जगदीश प्रसाद शुक्ल, प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, महतपुर-सहजू, फतेहगढ़, जिला-फर्रुखाबाद।

16—श्री श्याम सुन्दर, प्रधानाध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, नाहली क्षेत्र सरधना, जिला-मेरठ।

17—श्री धनी राम आर्य, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय, सेलालेखा, जिला-नैनीताल।

18—श्री सरदार सिंह, सहायक अध्यापक, राजकीय आदर्श विद्यालय, मवाना, जिला-मेरठ।

19—श्री चन्द्रमणि मिश्र, प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, हनुमानगंज, जिला-इलाहाबाद।

20—श्री बदन लाल गंगवार, सहायक अध्यापक, राजकीय आदर्श विद्यालय, पीलीभीत।

21—श्री जागेश्वर [illegible] प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, [illegible] विकास क्षेत्र मोतरगांव, जिला-कानपुर देहात।

शिक्षक प्रशिक्षण—

डा0 त्रिभुवन पाण्डेय, सहायक अध्यापक, राजकीय दीक्षा विद्यालय, सैदपुर, जिला गाजीपुर।

1—कु0 जैनू जोशी, सहायक अध्यापिका, राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय, अल्मोड़ा।

माध्यमिक स्तर के अध्यापक—

1—श्री कन्हैयालाल पाण्डेय प्रधानाचार्य, ओबरा इण्टर कालेज, ओबरा, सोनभद्र।

2—श्री रतिराम पकवाल, सहायक अध्यापक, के0 एल0 डी0 ए0 वी0 इण्टर कालेज, रुड़की, हरिद्वार।

3—श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र, प्रवक्ता राजकीय इण्टर कालेज, सुल्तानपुर।

4—श्री बलभद्र सिंह कुंवर, प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, वन भूलपुरा, हल्द्वानी, नैनीताल।

5—कैप्टन नवीनचन्द्र टण्डन, प्रवक्ता, एस0 एन0 इण्टर कालेज, कन्नौज, फर्रुखाबाद।

6—डा0 (श्रीमती) प्रभास पांडेय, प्रधानाचार्या, फूलचन्द्र नारी शिल्प मंदिर महिला इण्टर कालेज, देहरादून।

7—श्री मायाराम मैरोला, प्रवक्ता, राजकीय इण्टर कालेज, रानी पोखरी, देहरादून।

8—श्री सुरेश चन्द्र सक्सेना, प्रवक्ता, राजकीय इण्टर कालेज, बरेली।

9—श्री जगदीश चन्द्र मिश्र, प्रवक्ता, आर0 एम0 पी0 इण्टर कालेज, सीतापुर।

10—श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता, प्रमोद इण्टर कालेज, सहसवान, बदायूं।

11—श्री बृजभूषण प्रकाश गुप्ता, सहायक अध्यापक, सनातन धर्म इण्टर कालेज, मुजफ्फरनगर।

संस्कृत पाठशालाएं—

1—कु0 सतीश कुमारी, प्रधानाचार्या, ऋषि संस्कृत महाविद्यालय (निर्वाण निकेतन) खड़खड़ी, हरिद्वार।

2—श्री शिवनाथ द्विवेदी, साहित्य विभागाध्यक्ष, श्री रामदेशिक संस्कृत महाविद्यालय श्री वैष्णवाश्रम, दारागंज, प्रयाग, इलाहाबाद।

शिक्षक प्रशिक्षक—

1—डा0 सुशील चन्द्र, सहायक अध्यापक, राजकीय बेसिक एस0 टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालय, वाराणसी।

इस प्रकार प्रदेश स्तर से 37 शिक्षणेत्तर कर्मियों को राज्य अध्यापक पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

अध्याय–2

प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, बालाहार एवं पुष्टाहार शिक्षा

1--पूर्व प्राथमिक शिक्षा--

नर्सरी (शिशु) शिक्षा 3-6 वय वर्ग के बालकों एवं बालिकाओं को दी जाती है। पूर्व प्राथमिक (नर्सरी) शिक्षा की व्यवस्था अधिकांशतः निजी संस्थाओं द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 45 में निहित नीति निर्देशित सिद्धान्तों के तहत चौदह वर्ष तक के बालकों/बालिकाओं को शिक्षित करने की नीति पर आधारित 3-6 वय वर्ग के शिशुओं के शैक्षिक एवं बौद्धिक विकास हेतु ही इन नर्सरी विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन किया जा रहा है। प्रदेश में इस समय संप्रति नर्सरी विद्यालय संचालित हैं। इनमें से प्रदेश के 45 ऐसे स्थायी मान्यता प्राप्त अशासकीय नर्सरी के0 जी0 एवं मान्टेसरी विद्यालय विभागीय सूची पर हैं। इनमें लगभग 14,000 बच्चे नर्सरी स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी इन संस्थाओं में लगभग 600 शिक्षक एवं 3,000 शिक्षणेतर कर्मचारी कार्यरत हैं।

वैसे तो उक्त प्रकार के विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को अभी तक राजाज्ञा संख्या बी-7136/पन्द्रह-1313-1955, दिनांक 28 नवम्बर, 1956 में प्राविधानों के अनुसार प्रशिक्षित स्नातक प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका, निर्देशिका को 130-6-168-द0 रो0-7-200 रु0 एवं प्रशिक्षित इण्टर सहायक अध्यापक/अध्यापिका को 75-5-110-द0 रो0-6-140-7-175 रु0 के वेतनमानों में वेतन दिया जाता रहा है, जिन्हें वर्ष 1986-87 से दिनांक 1 मार्च, 1986 से अब शासनादेश संख्या शिक्षा 6-1931/पन्द्रह (6)-9 (7)-73, दिनांक 20 मई, 1976 द्वारा प्रस्थापित उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 1971 के अनुसार परिषदीय विद्यालयों के कर्मचारियों के लिये अनुमन्य निम्नांकित वेतनमान तथा महंगाई भत्ता और अतिरिक्त महंगाई भत्ता अनुमान्य कर दिये गये हैं :--

(1) प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका	..	1350–2070 रु0।
(2) सहायक अध्यापक/अध्यापिका	..	1100–30–1550–द0रो0–40–1710 रु0।
(3) लिपिक	..	950–20–1150–द0रो0–25–1500 रु0।
(4) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	..	750–12–870–द0रो0–14–940 रु0।

(क) प्राथमिक शिक्षा (जूनियर बेसिक)--

देश-प्रदेश के जन-मानस में शिक्षा प्रचार प्रसार की दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा जगत को मूल श्रृंखला एवं आधार मिला है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में इसे सर्वाधिक वरीयता प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके मूल्यांकन के ही आधार पर कदाचित, स्व0 भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी द्वारा इसे 20 सूत्रीय कार्यक्रम में सम्मिलित कराकर प्रमुखता दिलाई गई थी। यही कारण है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर में प्रत्याशित अभिवृद्धि, सुधार, परिवर्द्धन के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं, जिसका ही एक अंग शिक्षा नीति में परिवर्तन भी है :

इस समय प्रदेश में 30 सितम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार प्राथमिक शिक्षण हेतु 74,969 (इस संख्या में मान्यता प्राप्त प्राइमरी विद्यालयों की संख्या सम्मिलित नहीं है) विद्यालय संचालित हैं तथा पर्वतीय क्षेत्र में 30 सितम्बर, 1994 के उपरान्त 216 नवीन मिश्रित जूनियर बेसिक विद्यालयों की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गयी है।

(ख) जूनियर बेसिक स्कूल (मैदानी) जनपद--

अष्टम् पंचवर्षीय योजना अवधि के वर्ष 1994-95 में मैदानी जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में 2501 नवीन मिश्रित जूनियर बेसिक विद्यालयों को खोलने हेतु 21,54,09 हजार रु0 का प्राविधान किया गया है।

वर्ष 1994-95 में प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य से छात्र नामांकन का लक्ष्य फरवरी, 1995 तक की स्थिति निम्नवत् है :--

अनौपचारिक शिक्षा

वय वर्ग (6-11) प्राइमरी स्तर संख्या हजार में

वर्ष	लक्ष्य			उपलब्धि		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7
1994-95	10108	6565	16673	10276	6651	16907
1994-95	2123	1261	3384 (अनुसूचित जाति)	18291	1071.5	29006
1994-95	31.4	22.6	54 (अनुसूचित जनजाति)	21.8	0.9	30.8
			वय वर्ग 11.14 मिडिल स्तर			
1994-95	4180	1950	6130	4201	1911	6112
1994-95	1004	378	1382 (अनुसूचित जाति)	829.8	309.7	1139.5
1994-95	9.4	8.1	17.5 (अनुसूचित जनजाति)	8.2	6.8	15

(क) पर्वतीय जनपद—

अष्टम् पंचवर्षीय योजनान्तर्गत वर्ष 1993-94 में 8 पर्वतीय जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में 216 मिश्रित नवीन जूनियर बेसिक स्कूल खोले गये हैं।

वर्ष 1994-95 में जिन योजनाओं में आर्थिक एवं भौतिक स्वीकृति शासन ने प्रदान की है उसका विवरण निम्नवत् है :

(आंकड़े लाख में)

क्रमांक	योजना	उपलब्धि (1994-95) आर्थिक	भौतिक
1	2	3	4
1	प्राइमरी स्कूलों में विज्ञान सज्जा हेतु अनुदान	मैदानी 5.09 पर्वतीय 48	424 विद्यालय 40 ,,
2	प्राइमरी स्कूलों में साज-सज्जा हेतु अनुदान	मैदानी 44.4 पर्वतीय 15.50	22225 ,, 775 ,,
3	निर्बल वर्ग के बालक-बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों के वितरणार्थ अनुदान	मैदानी शून्य पर्वतीय 3.10	शून्य ,, 20666 ,,
4	जूनियर बेसिक स्कूलों के अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु अनुदान (पी0 डब्लू0 डी0)	मैदानी शून्य पर्वतीय 10.00	शून्य 50 अतिरिक्त कक्ष

वर्ष 1994-95 में परिषदीय जूनियर बेसिक स्कूलों में अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति योजनान्तर्गत 1274 अध्यापकों के पद शासन द्वारा स्वीकृत किये गये हैं और उनके वेतनादि हेतु 93,37,000 रु0 स्वीकृत है।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की पूर्ति होनी है। यह कार्य तभी हो सकता है जब विद्यालयों का परिवेश आकर्षक हो एवं उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाय। इस दृष्टि-

कोष से भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत सहायता के आधार पर आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना चालू की गई है। इस योजनान्तर्गत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों को निमित्त 27 वस्तुएं दी जायेंगी ताकि सभी विद्यालयों के पास न्यूनतम शैक्षिक खेल-कूद आदि की सुविधायें उपलब्ध हो जाये, बच्चे आकृष्ट होकर अधिकाधिक संख्या में नामांकन कराकर शिक्षण ग्रहण करें, ताकि सार्वजनीकरण का लाभ यथाशीघ्र प्राप्त हो सके।

यह योजना वर्ष 1987-88 से लागू की गई है। प्रथम वर्ष में 277 विकास खण्डों के 18,924 विद्यालयों को आच्छादित किया गया। इस निमित्त भारत सरकार से 15,15.87 लाख रुपये सामग्री हेतु प्राप्त हुआ है तथा 2,43.56 लाख रुपये 2859 अध्यापकों के वेतन आदि हेतु प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कुल 17,59.43 लाख रुपये प्राप्त हुआ है।

वर्ष 1994-95 में 372 विकास खण्डों के 26,633 प्राइमरी विद्यालयों को अनुदानित करने हेतु भारत सरकार से सामग्री क्रय हेतु 1866.57 लाख तथा 2619 अध्यापकों के वेतनादि हेतु 408.62 लाख कुल 2275.19 लाख रुपया प्राप्त हुआ।

वर्ष 1987-88 वेतन पर 243.56 एवं सामग्री क्रयार्थ 1406.27 लाख रु0

वर्ष 1988-89 वेतन पर 273.62 एवं सामग्री क्रयार्थ 1669.69 लाख रु0

वर्ष 1989-90 वेतन पर 736.94 एवं सामग्री क्रयार्थ 1327.53 लाख रु0

वर्ष 1990-91 वेतन मद 860.94

वर्ष 1891-92 वेतन मद 650.00

वर्ष 1994-95 वेतन मद में 905.76 लाख रुपया प्राप्त हुआ है साथ ही साथ नगर क्षेत्र के बेसिक शिक्षा परिषदीय राजकीय आदर्श तथा राजकीय प्राइमरी 4695 विद्यालयों के लिए 338.74 लाख रुपया प्राप्त हुआ है। वेतनादि ... धन व्यय हो चुका है तथा सामग्री की खरीदारी की जा रही है।

पूर्व माध्यमिक शिक्षा

इस समय प्रदेश में कुल 14427 सीनियर बेसिक विद्यालय संचालित हैं। कक्षा 6-8 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की सम्मिलित संख्या 3783442 है और अलग-अलग क्रमशः 2686741 और 1096701 है। इस प्रकार इन में अध्यापन कार्य में कार्यरत शिक्षिकाओं एवं शिक्षकों की सम्मिलित संख्या 96372 है।

वर्ष 1994-95 में आठवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत मैदानी क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में 430 सीनियर बेसिक विद्यालयों के खोले जाने का प्रस्ताव है। पर्वतीय क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में 162 सीनियर बेसिक स्कूल खोलने की स्वीकृति शासन से प्राप्त हुई है।

परिषदीय जूनियर हाई स्कूलों में विज्ञान शिक्षण में सुधार हेतु मैदानी क्षेत्र के 89 विद्यालयों के निमित्त 445 हजार रुपया तथा पर्वतीय क्षेत्र के 16 विद्यालयों हेतु 0.80 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है।

ऐसी ही विकासोन्मुखी योजना के अन्तर्गत प्रदेश के परिषदीय जूनियर हाई स्कूलों के लिए मैदानी क्षेत्र 316 विद्यालयों को 4749000 रुपये की स्वीकृति शासन ने प्रदान की है तथा पर्वतीय क्षेत्र के 206 विद्यालयों साज-सज्जा एवं शिक्षण सामग्री के क्रयार्थ 31 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है।

इसके अतिरिक्त विज्ञान शिक्षा में सुधार योजनान्तर्गत गत वर्ष 1987-88 में प्रदेश के 2.400 जूनियर हाई स्कूलों को विज्ञान शिक्षा में सुधार हेतु 1200 विद्यालयों को वर्ष विज्ञान किट दिये गये हैं। वर्ष 1988 में 28.80 लाख रुपया अनुदान की स्वीकृति शासन ने प्रदान की थी। वर्ष 1994-95 में 959 विद्यालयों में विज्ञान किट उपलब्ध कराने हेतु 11.50 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई थी।

अशासकीय सीनियर बेसिक स्कूलों को अनुरक्षण अनुदान

प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में निजी प्रबन्ध तंत्रों द्वारा संचालित अशासकीय सीनियर स्कूलों का योगदान परिलक्षित है। परन्तु आर्थिक संकट के युग में अब जनता में दान एवं सहायता देने की प्रवृत्ति समाप्त हो चुकी है जिसके कारण इन विद्यालयों के प्रबन्धकों के पास अब आय का कोई ऐसा स्रोत नहीं रह गया है जिससे वे इन विद्यालयों को सुदृढ़ कर इनका विकास एवं उन्नयन कर सके। अतः इन विद्यालयों को विभागीय अनुदान सूची पर लेकर इसमें कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को वेतन वितरण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत वेतनादि भुगतान कराने के उद्देश्य से यह योजना संचालित है।

वर्ष 1994-95 में मैदानी क्षेत्र के 100 तथा पर्वतीय क्षेत्र के 16 अर्थात् 116 विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिए जाने का प्रस्ताव है। इस हेतु मैदानी क्षेत्र में 1000 हजार टोकन ग्रान्ट तथा पर्वतीय क्षेत्र में 16.8? लाख रुपया की स्वीकृति शासन द्वारा परिव्यय निर्धारित है।

पर्वतीय क्षेत्र के अनावश्यक सीनियर बेसिक स्कूलों को आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्हें भवन निर्माणार्थ अनुदान प्रदान करने हेतु यह योजना संचालित है। वर्ष 1994-95 में 10 विद्यालयों को भवन अनुदान स्वीकृत करने हेतु शासन द्वारा मौलिक लक्ष्य निर्धारित है।

विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा में सुधार

वर्तमान युग विज्ञान का युग है। विज्ञान शिक्षा के प्रभावी शिक्षण हेतु विद्यालयों में विज्ञान के उपकरण होना अत्यन्त आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से भारत सरकार ने जूनियर हाई स्कूलों को विज्ञान किट देने की योजना बनायी है। इस योजनान्तर्गत आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना से आच्छादित विकास खण्डों में स्थित बेसिक शिक्षा परिषदीय जूनियर हाई स्कूलों को इन्टीग्रेटेड विज्ञान किट दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इस निमित्त भारत सरकार द्वारा क्रमशः 28.80 लाख रुपया, 11.50 लाख रु0, 13.44 लाख रु0 कुल 53.74 लाख रुपया भारत सरकार/उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त हुआ है। इससे 3359 विद्यालयों को इन्टीग्रेटेड विज्ञान किट दी जानी थी परन्तु अब तक धनाभाव के कारण क्रमशः 2289+792=3081 विद्यालय लाभान्वित कराये जा रहे हैं। शेष 278 विद्यालय अनुदान प्राप्त होने पर लाभान्वित कराये जा सकेंगे।

आंशिक रूप से विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा

यह योजना शत-प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। प्रथम चरण में इस योजना को प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राइमरी विद्यालयों में संचालित किया जा रहा है। प्रदेश के 13 मण्डलीय मुख्यालय के जिले सुल्तानपुर तथा बलिया कुल 15 जनपदों में यह योजना चलायी जा रही है। प्रत्येक जिले में एक नगर क्षेत्र के ऐसे प्राइमरी विद्यालय को चुना गया है जिसमें सम्बर्ध कक्ष आदि बनवाने के लिये पर्याप्त जमीन हो, वहां का अध्यापक उत्साही एवं कर्त्तव्यनिष्ठ हो तथा विद्यालय के सेवित क्षेत्र में उसकी अच्छी ख्याति हो। विद्यालय में जाने के लिए साधन उपलब्ध हो सके।

10 जूनियर हाई स्कूलों, हाई स्कूलों में भी यह योजना चलायी जा रही है जिनके नाम निम्नलिखित हैं :--

(1) मेरठ, (2) आगरा, (3) बरेली, (4) लखनऊ, (5) गोरखपुर, (6) फैजाबाद, (7) झांसी, (8) मुरादाबाद, (9) पौड़ी-गढ़वाल, (10) बलिया।

इस योजना में आंशिक रूप से विकलांग बच्चों को 200 रुपया प्रतिवर्ष प्रति बच्चा, वर्दी भत्ता, 400 रुपया पुस्तक व स्टेशनरी भत्ता, 50 रुपया माहवार प्रति बच्चा यातायात भत्ता, गम्भीर रूप से शरीर के निचले हिस्से के विकलांग को 75 रु0 प्रतिमाह प्रति बच्चा रक्षण-भत्ता तथा 2,000 रु0 तक का विकलांगता निवारण सम्बन्धी उपकरण, जो डाक्टर व मनोवैज्ञानिक द्वारा संस्तुत किया गया हो, पांच वर्ष में एक बार दिया जायेगा।

इसमें निम्नलिखित चार प्रकार के आंशिक विकलांग बच्चे होंगे:—

(1) आंशिक मूक बधिर 30 से 45 तक श्रवणसहन, हकलाना, तुतलाना, रुककर या धीरे-धीरे बोलने वाला।

(2) आंशिक दृष्टियुक्त 20-200, 70-200 के सदृश।

(3) अस्थि दोषयुक्त (शारीरिक विकलांगता)।

(5) मानसिक विकलांग।

इसके अतिरिक्त बहुविधि उपर्युक्त में से आंशिक विकलांग

इस योजनान्तर्गत शासन स्तर से प्राप्त अनुदान से सम्बर्ध कक्ष निर्माण एवं कक्ष सामग्री का क्रय किया जाना है। आंशिक रूप से विकलांग उपलब्ध बच्चों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए निर्दिष्ट उपकरणों आदि का क्रय करना है। इसमें मनोवैज्ञानिक तथा डाक्टर का परामर्श भी लिया जा सकता है।

इस योजना में आंशिक रूप से विकलांग बच्चे सामान्य बच्चों के साथ सामान्य चयनित विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करेंगे, उन्हें उक्त सुविधाएं प्रदान की जायेंगी।

मालाहार/विशेष पोष्टाहार योजना

संतुलित आहार शारीरिक स्वास्थ्य तथा मानसिक दक्षता के लिये आवश्यक होता है। मलिन बस्तियों में जहां पौष्टिक भोजन का निरन्तर अभाव रहता है वहां गर्भवती माताओं एवं उनके गर्भस्थ शिशुओं के लिये माताओं को तथा अल्प आयु के बच्चों को पोषक आहार की आवश्यकता होती है। गर्भवती माताओं एवं बच्चों को पौष्टिक आहार न मिलने के कारण उनके शारीरिक तथा मानसिक विकास की गति कम हो जाती है। अतः शिक्षा विभाग द्वारा पौष्टिक आहार वितरण सम्बन्धी दो योजनायें चलायी जा रही हैं। प्रथम पोष्टाहार योजना जो नगर क्षेत्र की मलिन बस्तियों के गर्भवती माताओं एवं 6 वर्ष तक के बच्चों के लिये संचालित है तथा दूसरी बालाहार योजना जो 6-11 वर्ष के स्कूल जाने वाले प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिये संचालित है।

2—योजना का उद्देश्य आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के बच्चों की पौष्टिक आहार की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करना है, जिससे बच्चों एवं गर्भवती/धात्री माताओं को उनकी दैनिक आवश्यकता की प्रोटीन का तथा कैलोरी राजकीय संसाधनों से समर्थन किया जा सके ।

उत्तर प्रदेश की गणना आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों में होती है जहां की 40 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करती है । प्रदेश की जनसंख्या लगभग 13 करोड़ है जो पूरे राष्ट्र की जनसंख्या का 15 प्रतिशत है । प्रदेश में लगभग 140 लाख बच्चे प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं । आर्थिक पिछड़ेपन के कारण शिशुओं, गर्भवती/धात्री माताओं तथा स्कूल जाने वाले बच्चों का एक बड़ा वर्ग कुपोषण का शिकार है । कुपोषण से मन्दबुद्धि बच्चों की संख्या में वृद्धि होती है, जिसका सीधा प्रभाव शिक्षा व्यवस्था विशेषकर प्राथमिक शिक्षा पर पड़ता है । अतः यह उचित एवं आवश्यक है कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार की दृष्टि से शिशुओं एवं बच्चों को पोषक आहार प्रदान करने में विभाग यथा सम्भव योगदान करे । इस हेतु पौष्टाहार/बालाहार योजना के वृहद् स्तर पर चलाने की आवश्यकता है, लेकिन प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण ही इसे सीमित स्तर पर चलाया जा रहा है । जिसके फलस्वरूप प्रदेश के 8 जनपदों—इटावा, बाराबंकी, बहराइच, गोण्डा, बस्ती, लखीमपुर खीरी, बदायूं तथा रामपुर में कुल 20 ब्लाकों में योजना ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से आयोजनेतर पक्ष में चलायी जा रही है । यह योजना प्रदेश में साक्षरता की दृष्टि से सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों में ही कार्यान्वित की जा रही है । इसके अन्तर्गत प्रति लाभार्थी को 50 पैसे प्रतिदिन की दर से पौष्टाहार उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है । विशेष पौष्टाहार योजना प्रदेश के 15 जनपदों में—चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, आयोजनागत पक्ष में तथा नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा, पौड़ी-गढ़वाल, फैजाबाद, गोरखपुर, आजमगढ़, झांसी, ललितपुर, बांदा, जालौन, हमीरपुर में आयोजनेतर पक्ष से नगर की मलिन बस्तियों के 6 वर्ष तक की आयु के शिशुओं एवं गर्भवती/धात्री माताओं के लाभार्थ संचालित हैं । इस योजना के अन्तर्गत कुल 40,400 लाभार्थी हैं । इसमें 6 वर्ष तक के शिशुओं के लिये 52 पैसे तथा धात्री माताओं के लिये 80 पैसे प्रति लाभार्थी की दर से पौष्टाहार देने का प्राविधान है ।

अध्याय 3

माध्यमिक शिक्षा

प्रदेश में वर्ष 1994–95 में संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 6637 हैं । इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों एवं छात्राओं की सम्मिलित संख्या 5819599 है । छात्र एवं छात्राओं की अलग–अलग संख्या क्रमशः 4088287 एवं 1731312 है । इनमें अध्यापन कार्य हेतु कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं की सम्मिलित संख्या 99757 है ।

1––गैर सहायताप्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाना––

इस योजनान्तर्गत वर्ष 1990–91 में अनुदान सूची पर मैदानी क्षेत्र में 200 विद्यालयों एवं पर्वतीय क्षेत्र के 23 विद्यालयों को 1 अप्रैल, 1991 से अनुदान सूची पर लाया गया । इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन वितरण हेतु वर्ष 1994–95 में 1158.92 लाख रुपया एवं 60,00 लाख रुपय का बजट प्राविधान स्वीकृत हैं जिसके विपरीत 1078.92 लाख एवं 107.50 लाख का व्यय हुआ ।

वर्ष 1994–95 में मान्यता प्राप्त मैदानी क्षेत्र के 25 विद्यालयों को अनुदान सूची पर लेने हेतु 01 हजार का बजट प्राविधान था किन्तु वर्ष 1994–95 में मैदानी/पर्वतीय क्षेत्र के कोई विद्यालय अनुदान सूची पर नहीं लाया जा सका ।

वर्ष 1995–96 में मान्यता प्राप्त 25 विद्यालयों को अनुदान सूची पर लेने हेतु 73.31 लाख रुपया एवं वर्ष 1990–91 में लिये गये 200 विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन आदि भुगतान हेतु वर्ष 1995–96 हेतु 12,74,41 लाख रुपया का बजट प्राविधान शासन को प्रस्तावित हैं ।

2––सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों के सम्वर्धन हेतु अनुदान––

वर्ष 1994–95 में उक्त योजनान्तर्गत मैदानी क्षेत्र एवं पर्वतीय क्षेत्र के लिए 8.33 लाख एवं 0.50 रुपये का बजट प्राविधान स्वीकृत हैं जिसके विपरीत मैदानी क्षेत्र में 5.37 लाख रुपये का व्यय हुआ ।

वर्ष 1995–96 में उक्त योजनान्तर्गत मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्र के लिए क्रमशः 10.45 लाख एवं 0.50 लाख रुपया बजट प्राविधान प्रस्तावित हैं ।

3––सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की अतिरिक्त छात्र संख्या वृद्धि पर सैनिटरी सुविधा, कक्षा–कक्ष निर्माण तथा साज–सज्जा एवं काष्ठोपकरण की व्यवस्था हेतु अनावर्तक अनुदान––

वर्ष 1994–95 में उक्त योजनान्तर्गत 25 जनपदों के विद्यालयों के लिए 19.01 लाख रुपये का बजट प्राविधान स्वीकृत हैं जिसके विपरीत रु0 19.01 लाख का व्यय मैदानी क्षेत्र में किया जा चुका है ।

वर्ष 1995–96 में उक्त योजनान्तर्गत 18.34 लाख रुपये का बजट प्राविधान प्रस्तावित हैं ।

4––सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों के सम्वर्धन हेतु अनुदान––

वर्ष 1994–95 के उक्त योजनान्तर्गत मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्र के लिए क्रमशः 8.30 लाख एवं रुपये 50,000 का बजट प्राविधान स्वीकृत किया गया हैं ।

5––प्रदेश के सहायताप्राप्त उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को प्रोत्साहन अनुदान––

वर्ष 1994–95 में मैदानी क्षेत्र के एक एवं पर्वतीय क्षेत्र के एक विद्यालय के लिए क्रमशः 1.00,1.00 लाख रुपये का बजट प्राविधान स्वीकृत हैं परन्तु शासन द्वारा किसी भी विद्यालय को उक्त अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है ।

वर्ष 1995–96 में मैदानी क्षेत्र के 6 विद्यालय तथा पर्वतीय क्षेत्र के एक विद्यालय के लिए क्रमशः 6 एवं 1 लाख रुपये का बजट प्राविधान प्रस्तावित हैं ।

6––ग्रामीण क्षेत्र में बालकों के सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ रही बालिकाओं को विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए अनुदान––

वर्ष 1994–95 में उक्त योजनान्तर्गत मैदानी क्षेत्र के 31 जनपदों के 103 विद्यालयों के लिए (60,000 रुपया प्रति विद्यालय की दर से) 61.80 लाख एवं पर्वतीय क्षेत्र के एक विद्यालय के लिए 60,000 रुपये का बजट प्राविधान स्वीकृत हैं जिसके विपरीत 61.80 एवं 60 लाख रुपया का व्यय हुआ ।

वर्ष 1995–96 में उक्त योजनान्तर्गत मैदानी क्षेत्र के 104 विद्यालयों के लिए 57.98 लाख एवं पर्वतीय क्षेत्र के दो विद्यालयों के लिए 1.20 लाख रुपये का बजट प्राविधान प्रस्तावित हैं ।

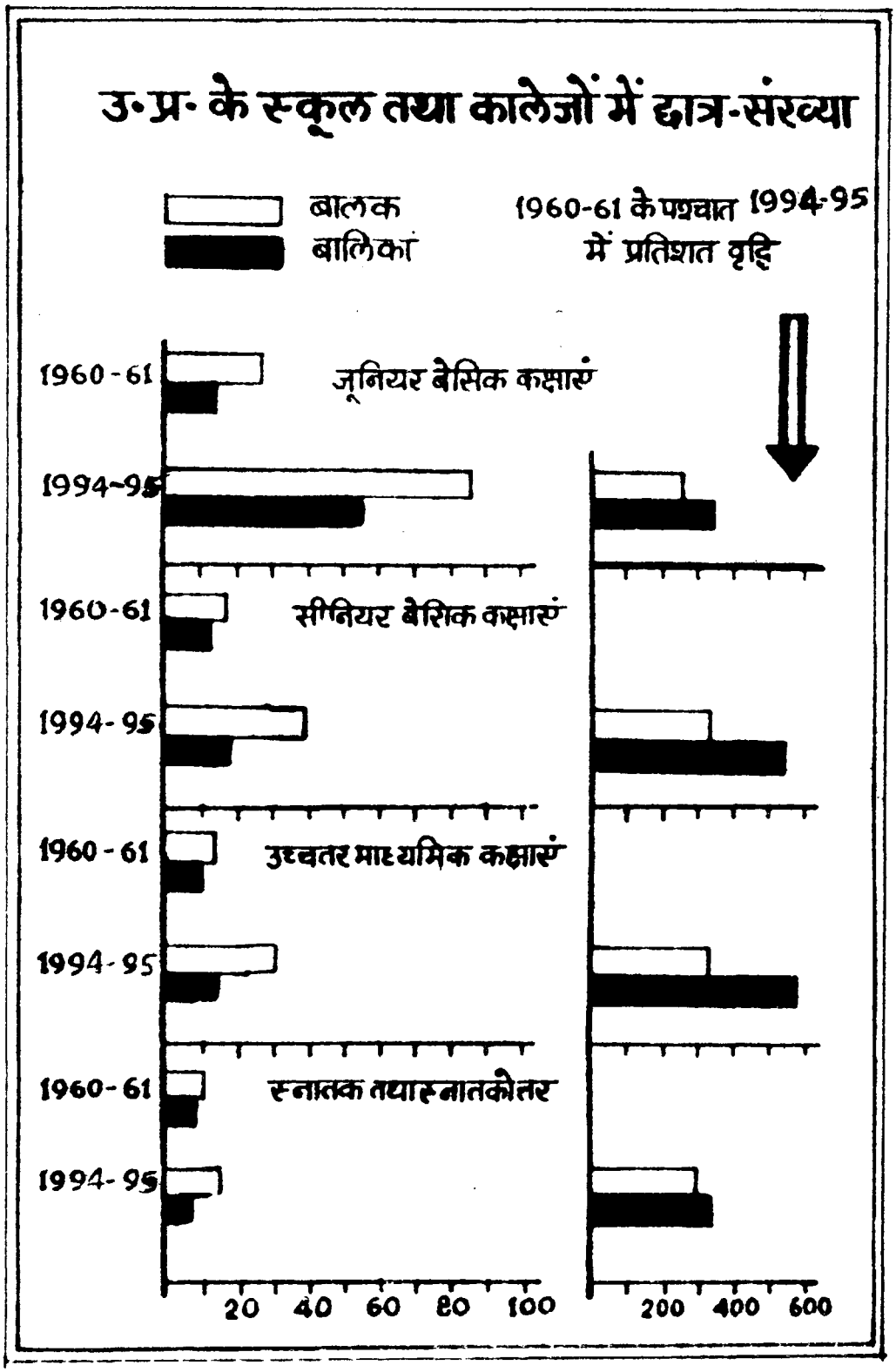
उ॰प्र॰ के स्कूल तथा कालेजों में छात्र-संख्या
बालक
बालिका
1960-61 के पश्चात 1994-95 में प्रतिशत वृद्धि
1960-61
जूनियर बेसिक कक्षाएं
1994-95
1960-61
सीनियर बेसिक कक्षाएं
1994-95
1960-61
उच्चतर माध्यमिक कक्षाएं
1994-95
1960-61
स्नातक तथा स्नातकोत्तर
1994-95
20 40 60 80 100
200 400 600

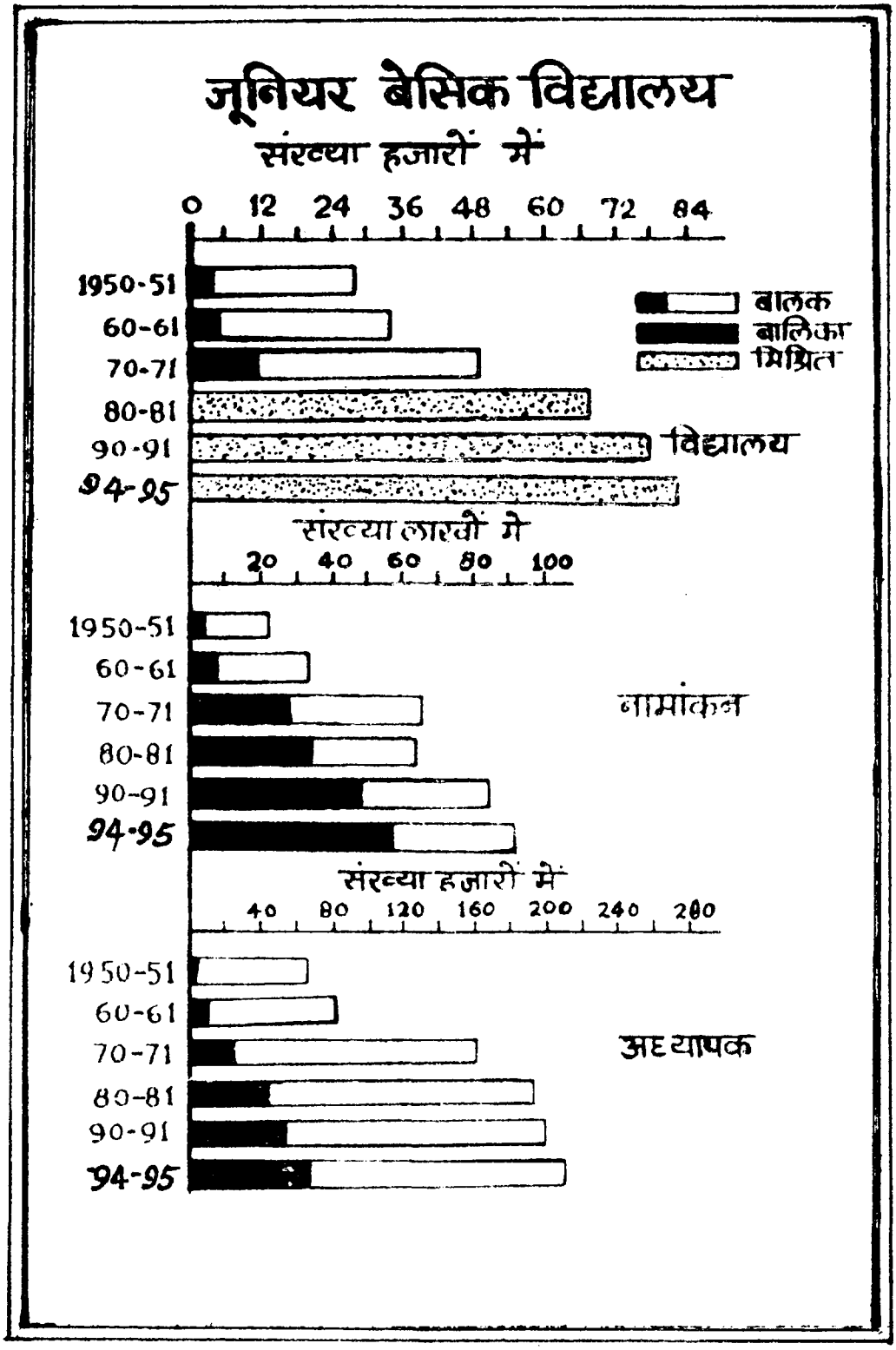
जूनियर बेसिक विद्यालय
संख्या हजारों में
0 12 24 36 48 60 72 84
1950-51
60-61
70-71
80-81
90-91
94-95
बालक
बालिका
मिश्रित
विद्यालय
संख्या लाखों में
20 40 60 80 100
1950-51
60-61
70-71
80-81
90-91
94-95
नामांकन
संख्या हजारों में
40 80 120 160 200 240 280
1950-51
60-61
70-71
80-81
90-91
94-95
अध्यापक

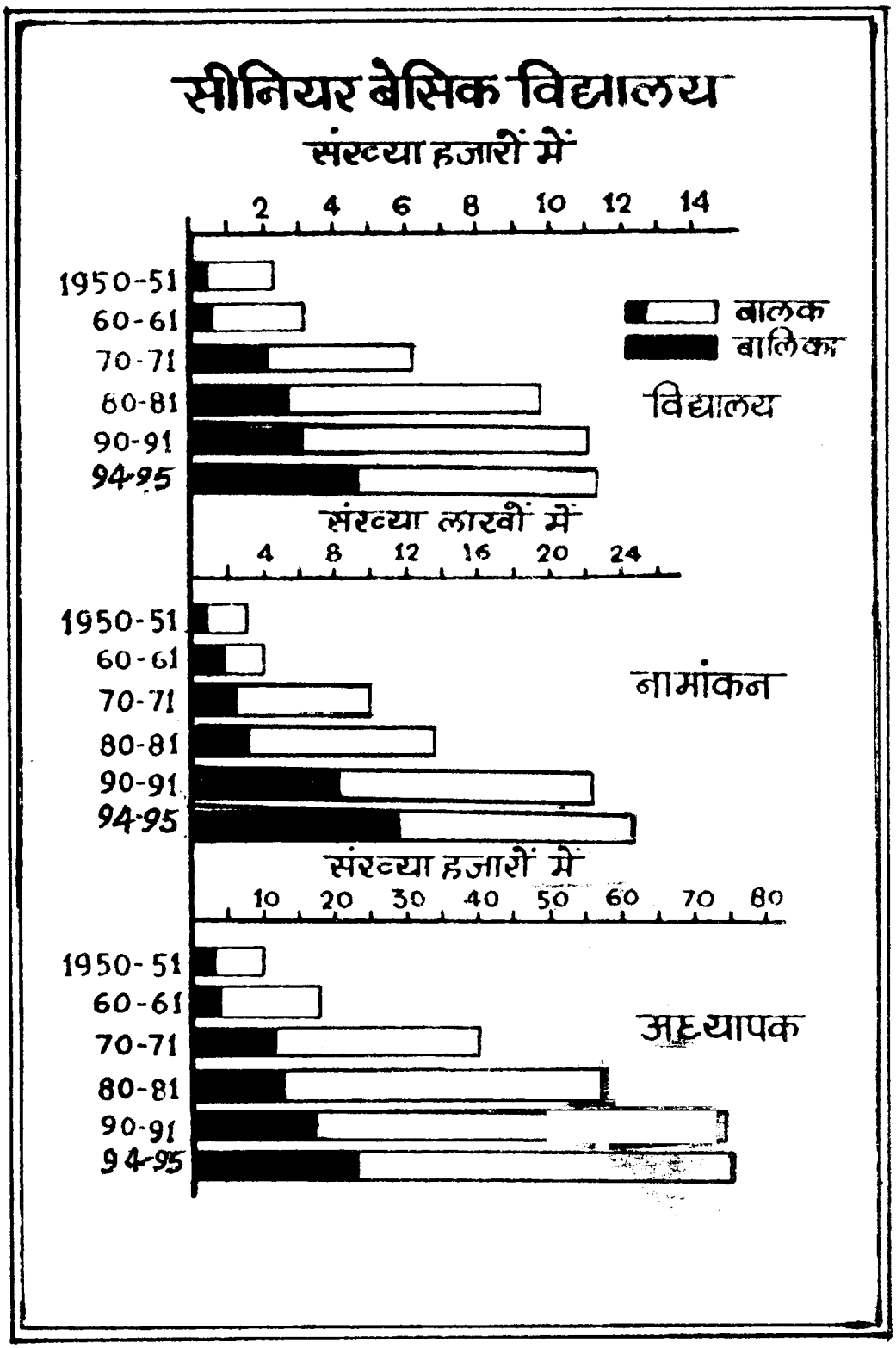
सीनियर बेसिक विद्यालय
संख्या हजारों में
2 4 6 8 10 12 14
1950-51
60-61
70-71
80-81
90-91
94-95
बालक
बालिका
विद्यालय
संख्या लाखों में
4 8 12 16 20 24
नामांकन
संख्या हजारों में
10 20 30 40 50 60 70 80
अध्यापक

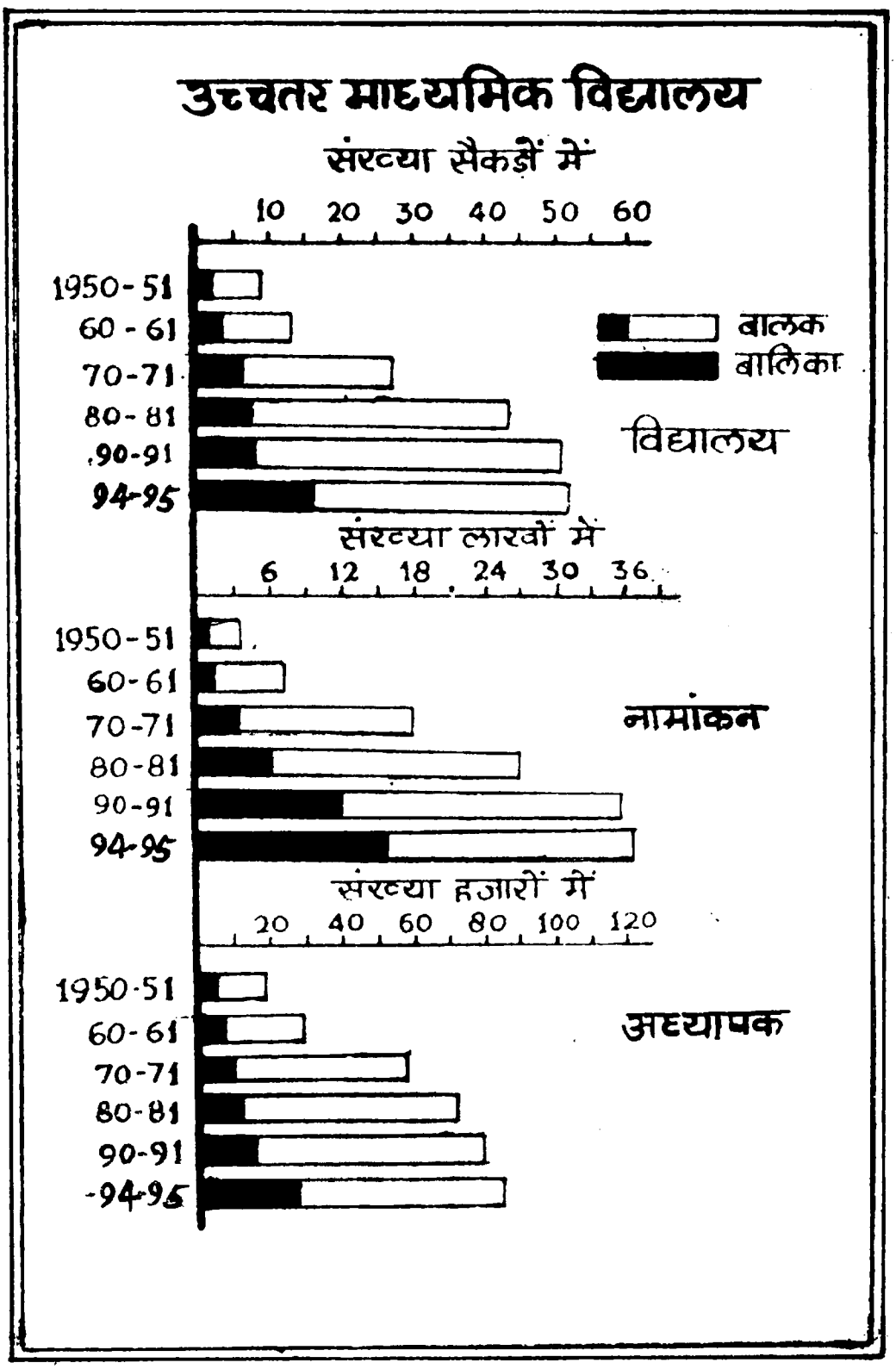
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
संख्या सैकड़ों में
10 20 30 40 50 60
1950-51
60-61
70-71
80-81
90-91
94-95
बालक
बालिका
विद्यालय
संख्या लाखों में
6 12 18 24 30 36
1950-51
60-61
70-71
80-81
90-91
94-95
नामांकन
संख्या हजारों में
20 40 60 80 100 120
1950-51
60-61
70-71
80-81
90-91
94-95
अध्यापक

एल0 टी0 प्रशिक्षण कार्यक्रम--

1--निम्नांकित सहाप्रता प्राप्त एल0 टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालय विभागीय अनुदान सूची पर हैं जिन्हें प्रतिवर्ष आवर्तक अनुरक्षण तथा महंगाई स्वीकृत किया जाता है--

(1) के0 पी0 एल0 टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद ।

(2) डी0 ए0 वी0 एल0 टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालय, कानपुर ।

(3) किशोरी रमण एल0 टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालय, मथुरा ।

(4) क्रिश्चियन एल0 टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ ।

2--निम्नांकित शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय भी विभागीय अनुदान सूची पर हैं जिन्हें प्रतिवर्ष आवर्तक अनुरक्षण तथा महंगाई अनुदान स्वीकृत किया जाता है--

(1) क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ ।

(2) श्री गांधी स्मारक शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय, समोधपुर, जौनपुर ।

आंशिक रूप के विकलांग छात्रों की समेकित शिक्षा--

राष्ट्रीय शैक्षिक नीति में यह परिकल्पना की गयी है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को यथासम्भव सामान्य शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा दी जाये जिससे उनको क्षमतानुसार इन संस्थाओं का लाभ उन्हें मिल सके और उनमें हीनता की भावना उत्पन्न न हो ।

इस प्रकार की समेकित शिक्षा व्यवस्था में जहां एक ओर विकलांगों में जीवन के प्रति आस्था जागृत होगी वहीं दूसरी ओर छात्र समुदाय में उनके प्रति सहानुभूति, स्नेह की भावना भी उत्पन्न होगी । अतः यह प्रस्तावित है कि सामान्य शिक्षा में विकलांगों के प्रवेश की व्यवस्था की जाय । इस योजना का विशेष उद्देश्य यह है कि इन विकलांग बच्चों को प्रशिक्षित अध्यापक शैक्षिक उपकरण तथा अन्य साधनों द्वारा सामान्य विद्यालयों में शिक्षित किया जाय ।

इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 6 से 12 तक की आंशिक रूप से निम्नलिखित प्रकार के विकलांग बच्चों को समेकित शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है--

(1) आंशिक बधिर (श्रवण दुर्बल 30 से 45 डीव तक श्रवणहीन) ।

(2) आंशिक दृष्टियुक्त क्षीण दृष्टि वाले 20/200, 70/200 के मध्य ।

(3) अस्थि दोषयुक्त (शारीरिक विकलांग) ।

(4) मानसिक विकलांग (मन्द बुद्धि बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 70-90 या 50-70) ।

आंग्ल भारतीय विद्यालय--

वर्तमान समय में प्रदेश में 120 (जिसमें 32 ऐंग्लो-इण्डियन स्कूल भी सम्मिलित हैं) ऐसी संस्थायें हैं जो काउन्सिल फार द इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इग्जामिनेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त हैं और 123 ऐसी संस्थायें हैं जो सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त है । इसके अतिरिक्त 32 ऐसी संस्थायें हैं जिनको कक्षा 8 तथा कक्षा 5 तक उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ से अंग्रेजी माध्यम की मान्यता प्राप्त है । इस प्रकार इनकी कुल संख्या 275 है । स्वतन्त्रता के पूर्व प्रदेश में 32 आंग्ल-भारतीय विद्यालय संचालित थे ।

निम्न विद्यालय विभागीय अनुदान सूची पर हैं जिन्हें प्रतिवर्ष 2 हजार रु0 प्रति विद्यालय आवर्तक अनुरक्षण अनुदान दिया जाता है । वर्ष 1994-95 में इस हेतु 10 हजार रु0 का प्राविधान आयोजनेतर पक्ष में किया गया है :

(1) लामार्टिनियर कालेज, लखनऊ ।

(2) लोरेटो कान्वेन्ट हाई स्कूल, लखनऊ ।

(3) सेन्ट एगनिज लोरेटो हाई स्कूल, लखनऊ ।

(4) रेलवे प्राइमरी (इंगलिश मीडियम) स्कूल, टुन्डला, आगरा ।

(5) रेलवे प्राइमरी (इगलिश मीडियम) स्कूल, मुगलसराय, वाराणसी ।

प्रदेश के मैदानी तथा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कार्यान्वित, विधि योजनाओं के अन्तर्गत विभाग में हुए विभिन्न शैक्षणिक विकास कार्यों की भी रूप-रेखा निम्नवत् है--

1--राजकीय सीनियर बेसिक विद्यालयों का हाई स्कूल स्तर पर क्रमोन्नयन तथा नये राजकीय विद्यालय खोलने की योजनान्तर्गत वर्ष 1993-94 में पर्वतीय क्षेत्र में 8 विद्यालयों के लक्ष्य के प्रति 39 विद्यालय तथा मैदानी क्षेत्र में 9 विद्यालय खोले जाने की स्वीकृति शासन द्वारा प्राप्त हुई । वर्ष 1994-95 में प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र का कोई विद्यालय नहीं खोला गया ।

2--वर्ष 1994-95 में मैदानी क्षेत्र की 423 असेवित विकास खंडों में राजकीय कन्या हायर सेकेण्ड्री स्कूल/राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूलों का हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकरण का लक्ष्य था किन्तु कुल 4 असेवित विकास खंडों में राजकीय कन्या हाई स्कूल की स्थापना की गयी। क्षेत्रीय जनता की मांग पर असेवित क्षेत्रों में कुल 1 राजकीय हाई स्कूल (बालक) की स्थापना की गई।

3--आयोजनागत वर्ष 1994-95 में मैदानी क्षेत्र में दो राजकीय हाई स्कूलों व इण्टर स्तर पर उच्चीकरण किया गया है। पर्वतीय क्षेत्र में कोई भी विद्यालय उच्चीकृत नहीं किया गया।

4--पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्र के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अतिरिक्त अनुभाग खोलने तथा नवीन विद्यालयों का समावेश तथा पद सृजन नामक योजना में क्षेत्रीय जनता के मांग के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र के विद्यालयों के प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये गये थे जिसमें अभी तक मैदानी क्षेत्र में 03 पद की स्वीकृति शासन से प्राप्त हुई।

5--वित्तीय वर्ष 1994-95 में शासकीय स्थायी मान्यता एवं सहायता प्राप्त सी0 बेसिक स्कूलों का प्रान्तीयकरण/हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकरण योजनान्तर्गत 6400 हजार रु0 वचनबद्ध लाभ हेतु प्रदान की गई थी।

6--पर्वतीय क्षेत्र में स्थित अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का प्रान्तीयकरण/उच्चीकरण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 1995-96 में रु0 12,740 हजार 19 विद्यालयों के लिए वचनबद्ध व्यय का प्राविधान स्वीकृति प्राप्त हुई थी।

(ख) व्यावसायिक शिक्षा

1--राज्य पुरोनिधानित व्यावसायिक शिक्षा--

राज्य पुरोनिधानित व्यावसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत वाणिज्य वर्ग के अन्तर्गत 8 ट्रेड्स, साहित्य वर्ग के अन्तर्गत गृह विज्ञान आधारित 4 ट्रेड्स तथा कृषि आधारित 8 ट्रेड्स कुल मिलाकर 20 ट्रेड्स के पाठ्यक्रमों का निर्माण कराकर प्रथम चरण में वर्ष 1985 में वाणिज्य वर्ग में, द्वितीय चरण में वर्ष 1986 से साहित्यिक वर्ग में तथा तृतीय चरण में कृषि के अन्तर्गत वर्ष 1995 से अब तक कुल मिलाकर इस पाठ्यक्रमों को प्रदेश के 440 विद्यालयों में लागू किया जा चुका है।

राज्य पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत चल रहे ट्रेड्स का कक्षा-शिक्षण वर्तमान स्टाफ तथा अतिथि व्याख्याता द्वारा कराया जा रहा है और इनके परीक्षा परिणाम संतोषजनक पाये गये।

2--केन्द्र पुरोनिधानित व्यावसायिक शिक्षा--

राज्य पुरोनिधानित योजना के उपरान्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1586 के अनुसार राष्ट्रीय संकल्पना के अनुरूप 70 प्रतिशत भारवाली पाठ्यचर्या के अनुसार 3 ट्रेड्स के पाठ्यक्रमों को तैयार कराकर प्रथम चरण में वर्ष 1989-90 से प्रदेश के 200 विद्यालयों में लागू किया गया था। वर्तमान में कुल 810 विद्यालयों में योजना संचालित की जा रही है।

उपर्युक्त योजनान्तर्गत एक-एक विद्यालय को 3 अथवा 4 ट्रेडस आवंटित किये गये तदनुसार भवन निर्माण हेतु तथा उपकरणों के क्रय हेतु शासन द्वारा अनुदानित किया गया, कक्षा, शिक्षण हेतु अभी वर्तमान स्टाफ तथा अतिथि व्याख्याता द्वारा कार्य चलाया जा रहा है किन्तु भविष्य में पूर्णकालिक अध्यापकों तथा परिचायकों के दिये जाने का प्रस्ताव है।

अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु संदर्भ व्यक्तियों का कार्यशाला तथा तकनीक संस्थाओं में संदर्भ व्यक्तियों द्वारा प्रतिभागी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इस प्रकार कुल 636 अध्यापकों में से लगभग 301 अध्यापकों का प्रशिक्षण पूरा किया गया। प्रशिक्षण के समय अध्यापकों को विस्तृत पाठ्यक्रमों को रूप-रेखा के रूप में निर्देशिकायें तैयार कर उपलब्ध कराई गई।

पाठ्यक्रमों पर आधारित शिक्षकों के शिक्षक निर्देशिकायें तैयार कराकर उपलब्ध कराये जाने की संकल्पना की गई जिसके अन्तर्गत प्रथम चरण में 4 शिक्षक निर्देशिकाओं का निर्माण कराकर चक्रमुद्रित रूप से विद्यालयों को प्रेषित कराया जा रहा है। साथ ही साथ बाजार में उपलब्ध विभिन्न ट्रेड्स पर आधारित पुस्तकों में से पाठ्यक्रम के अनुरूप पुस्तकों का चयन कर सभी 31 ट्रेड्स को संदर्भ पुस्तकों की सूची तैयार कर विद्यालयों को सम्बन्धित ट्रेड की सूची उपलब्ध कराई गई।

(ग) अन्य कार्य

1--राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों को बौद्धिक क्षमताओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 के तत्वाधान में 21 जनवरी, 1990 को प्रदेश के 475 केन्द्रों पर स्कालिस्टिक एचीवमेन्ट टेस्ट की परीक्षायें सुचारूरूप से संपादित कराई गई जिसमें कक्षा 10 तथा 12 के छात्रों ने भाग लिया। इस परीक्षा हेतु प्रश्न बुकलेट्स एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 से प्राप्त कर सम्पूर्ण प्रदेश के केन्द्रों को प्रेषित किया गया, उनसे परीक्षार्थियों के बायोडाटा-कम-एन्सरशीट प्राप्त कर संकलित कर पुनः एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 नई दिल्ली को उपलब्ध कराया गया।

2--व्यवसायिक शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा के सम्बन्ध में विभिन्न आवश्यक तथा स्थिति आख्याओं को तैयार कराकर विभाग एवं शासन को भेजा गया ।

3--क्षेत्रीय सहकार कार्यालय प्रदेश, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् इलाहाबाद द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को शिक्षा हेतु विद्यालयों में छात्रों को उपलब्ध प्रोत्साहन सहायता से सम्बन्धित सूचनायें एकत्रित करने से सम्बन्धित सर्वेक्षण प्रश्नावली विद्यालयों को प्रेषित करने के लिए प्रदेश के 200 माध्यमिक विद्यालयों के चयन में सहयोग एवं प्रश्नावली प्रेषण ।

पाठ्यपुस्तक राष्ट्रीयकरण का कार्य--

वर्ष 1989-90 में राष्ट्रीय पुस्तकों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की गई । सभी 42 राष्ट्रीय पुस्तकों को समीक्षा का कार्य सम्पन्न हो चुका है । पुस्तकों में विद्यमान विभिन्न प्रकार की त्रुटियों का निराकरण किया जा चुका है तथा संशोधित पुस्तकें नये आवृत्तियों को उपलब्ध कराई जा रही हैं । व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न ट्रेडों के पुस्तकों के निर्माण कराने की कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी गई है ।

वर्ष 1994-95 में माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा सम्पादित महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण

(1) 1995 की परीक्षाओं हेतु निर्धारित निम्नलिखित विषयों के पाठ्यक्रम पुस्तकों में आंशिक संशोधन किये गये हैं :--

हाईस्कूल परीक्षा

(अ) पाठ्यक्रम--

(क) हाई स्कूल विज्ञान-1 तथा जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम में जन्तुओं के प्रति प्रेम, उनका संरक्षण पालन पोषण की आवश्यकता, उपयोगिता तथा जन-जीवन में उसका महत्व, इन भावों को क्रमशः सह अस्तित्व के संदर्भ में जोड़ा गया है । साथ ही पर्यावरण तथा प्रदूषण से सम्बन्धित टापिक भी जोड़ा गया है ।

(ख) हाई स्कूल गृह विज्ञान, काष्ठशिल्प, ग्रन्थ शिल्प--सिलाई शिल्प, कताई बुनाई, चमड़े का कार्य, धातु शिल्प, नागरिकशास्त्र, सामाजिक विज्ञान विषयों के पाठ्यक्रम में पर्यावरण प्रदूषण से सम्बन्धित टापिक जोड़ा गया है ।

(ब) पाठ्य पुस्तकें--

(क) हाई स्कूल इतिहास विषय की संशोधित राष्ट्रीयकृत पुस्तक, जो जुलाई 1992 से लागू की गई थी, को हटा दिया गया है इसके पूर्व चल रही पुस्तक पुनः लागू की गई ।

(ख) हाई स्कूल गणित-1 व 2 विषय की राष्ट्रीयकृत पुस्तकों में वैदिक गणित की प्रस्तावना में से "वैदिक गणित के इतिहास" अंश को हटा दिया गया है ।

इण्टरमीडिएट परीक्षा

(अ) पाठ्यक्रम--

(क) इण्टरमीडिएट संगीत (गायन) विषय के पाठ्यक्रम में आंशिक संशोधन किया गया है ।

(ख) इण्टरमीडिएट कृषि भाग-1, शस्य विज्ञान के पाठ्यक्रम में आंशिक संशोधन किया गया है ।

(ग) इण्टरमीडिएट नागरिकशास्त्र, समाजशास्त्र, व्यापारिक संगठन एवं पत्र-व्यवहार (वाणिज्य), काष्ठ-शिल्प, ग्रन्थशिल्प, कताई बुनाई, धातुशिल्प, सिलाई विषय के पाठ्यक्रमों में आंशिक संशोधन किया गया है इसमें मुख्यतः पर्यावरण तथा प्रदूषण से सम्बन्धित टापिक जोड़े गये हैं ।

(घ) इण्टरमीडिएट व्यावसायिक शिक्षा (केन्द्र योजना) के लिए प्रचलित वाणिज्य के आठ ट्रेड का पुनरीक्षित पाठ्यक्रम लागू किया गया है ।

(ब) पाठ्य पुस्तक--

(1) 1995 की परीक्षा के लिए पुस्तकों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

(2) वर्ष 1993 की हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें संस्तुत करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम समितियों की बैठकें आयोजित की गयी। इन समितियों द्वारा दी गई संस्तुतियां परिषद् की पाठ्यचर्या समिति के विचारार्थ रखा गया। पाठ्यचर्या समिति के निर्णय पर परिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु पाठ्यक्रम में किये गये संशोधनों सम्बन्धी विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी।

(3) परीक्षाओं में बढ़ती हुई नकल की प्रवृत्ति को रोकने के लिए शासन द्वारा वर्ष 1992 में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश, 1992 प्रख्यापित किया जिसके अन्तर्गत, परीक्षाओं में अनुचित साधन के प्रयोग को संज्ञेय अपराध घोषित किया गया था, जो अधिसूचना सं0 3372 /सत्रह-वि-1-1 (ब)-8-92, दिनांक 5 दिसम्बर, 1992 द्वारा उक्त अध्यादेश अधिनियम में परिवर्तित हुआ था परन्तु अब शासन ने दिनांक 6 दिसम्बर, 1993 को उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुसूचित साधनों का निवारण) (निरसन) अध्यादेश, 1993 प्रख्यापित करके उक्त अधिनियम को निरस्त कर दिया। साथ ही अधिनियम, 1992 के अधीन उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लम्बित मुकदमों को शासन ने अपने पत्र दिनांक 7 दिसम्बर, 1993 द्वारा वापस ले लिया है।

उक्त अधिनियम, 1992 के समाप्त हो जाने के फलस्वरूप परिषदीय परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार हेतु शासन द्वारा डा0 हरिकृष्ण अवस्थी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। यह समिति नकल की प्रवृत्ति को रोकने हेतु अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक सुझावों पर विचार कर रही है।

(4) परिषद् एवं इसकी समितियों की बैठकों में समय-समय पर परीक्षा सम्बन्धी नीति निर्धारित किये जाने तथा पाठ्यक्रमों में उचित सुधार किये जाने के फलस्वरूप परिषदीय परीक्षाओं में अनुकूल प्रभाव पड़ा है।

पाठ्यक्रम शोध एवं मूल्यांकन अनुभाग द्वारा वर्ष 1993-94 में किये गये महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण निम्नवत् है--

(1) विगत पांच वर्षों के परीक्षाफलों के आधार पर भविष्य में सुदृढ़ परीक्षा परिणामों हेतु 18 विश्लेषणात्मक अध्ययन पुस्तकाओं का निर्माण जिनकी छपी हुई प्रतियां जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजी गयीं--

[1]--हाई स्कूल के 10 विषयों--हिन्दी, अंग्रेजी, गणित-1, गणित-2, विज्ञान-1, विज्ञान-2, जीव विज्ञान सामाजिक विज्ञान, भूगोल एवं नागरिकशास्त्र।

[2]--इण्टरमीडिएट के 8 विषयों--हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं भूगोल।

(2) उर्दू भाषा के माध्यमिक स्तर पर लोकप्रिय बनाने हेतु उसके प्रयोग एवं विकास हेतु बैठक एवं सुझाव दिये गये।

(3) सी0 बी0 एस0 ई0 में माध्यमिक स्तर पर चल रही अंग्रेजी पाठ्य-पुस्तकों को उत्तर प्रदेश में माध्यमिक स्तर पर चालू करने हेतु 3 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन एवं निष्कर्ष।

(4) हाई स्कूल विज्ञान के वर्ष 1984 से 1995 तक के परीक्षाफलों एवं पाठ्यक्रमों का तुलनात्मक अध्ययन कर सुधार हेतु सुझाव सम्बन्धीविज्ञान पाठ्यक्रम एवं एक अध्ययन-पुस्तिका का प्रणयन।

(5) हाई स्कूल गणित के वर्ष 1994 से 1995 तक के परीक्षाफलों का तुलनात्मक अध्ययन कर सुधार हेतु सुझाव सम्बन्धी गणित पाठ्यक्रम एवं एक अध्ययन-पुस्तिका का प्रणयन।

(6) केन्द्र पुरोनिधानित व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत निम्नलिखित ट्रेड के प्रतिदर्श प्रश्न-पत्रों के निर्माण हेतु कार्यशाला का आयोजन एवं प्रतिदर्श प्रश्न-पत्रों का निर्माण--

1--नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण,

2--पाकशास्त्र,

3--बहीखाता तथा लेखाशास्त्र,

4--बैंकिंग,

5--आशुलिपि एवं टंकण,

6--सचिवीय पद्धति।

प्रतिदर्श प्रश्न-पत्र मुद्रण हेतु मुद्रणालय भेजे गये हैं।

7--प्रतिभा-प्रसून, 1990, 1991, 1992 1993 मुद्रणालय भेजे गए हैं। वर्ष 1994 की पुस्तिका के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

(खण्ड-आरेख : 6)

इस प्रकार क्षेत्रीय कार्यालयवार बालक एवं बालिकाओं के उत्तीर्ण प्रतिशत का ट्रेंड राजकीय विद्यालयों सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों, असहायताप्राप्त अशासकीय विद्यालयों एवं व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए किसी एक निश्चित क्रम का पालन नहीं करते ।

इण्टरमीडिएट की भांति ही हाई स्कूल में भी प्रायोजना की संकल्पना "सभी कोटियों के विद्यालयों का परीक्षाफल एक सदृश (सम) होना चाहिए" गलत सिद्ध हुई है तथा यहां भी विभिन्न कोटियों के विद्यालयों के परीक्षा परिणामों में पर्याप्त विषमता दिखाई देती है तथा श्रेष्ठता का कोई एक सुनिश्चित क्रम विभिन्न कोटियों के विद्यालय में नहीं बन पाया है ।

10--परामर्श--

वर्ष 1994 के इण्टरमीडिएट एवं हाई स्कूल की परीक्षाओं के परीक्षाफलों के उपर्युक्त विश्लेषणात्मक विवेचन से यह स्पष्ट एवं अपरिहार्य प्रतीत होता है कि आगामी वर्षों के इण्टरमीडिएट एवं हाई स्कूल के परीक्षाफल के समुन्नयन हेतु विशेष प्रयास करने की सतत आवश्यकता है । एतदर्थ सम्बद्ध पक्षों हेतु कतिपय परामर्श निम्नवत् हैं--

(1) छात्रों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना ।

(2) सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन-अध्यापन सुनिश्चित करना ।

(3) छात्र-छात्राओं को लिखित कार्य हेतु प्रोत्साहित करना ।

(4) छात्रों के लिखित कार्य की नियमित जांच करना ।

(5) छात्र-छात्राओं की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु मासिक टेस्ट लेना ।

(6) प्रत्येक विषय में कमजोर छात्र-छात्राओं का पहचान कर उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था करना ।

(7) मेधावी छात्र-छात्राओं की पहचान कर उनके लिए अलग से शिक्षण की व्यवस्था करना ।

(8) छात्र-छात्राओं को पूरक पाठ्य-सामग्री उपलब्ध कराना तथा वाचनालय की सुविधा जुटाना ।

(9) समय-बद्ध शिक्षणकार्यक्रम तैयार करना ।

(10) छात्र-छात्राओं में प्रतियोगितात्मक स्पर्द्धा की भावना उत्पन्न करना ।

11--निष्कर्ष--

इस प्रायोजना में यह संकल्पना की गई थी कि राजकीय विद्यालयों, सहायताप्राप्त अशासकीय विद्यालयों तथा असहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों (वित्त विहीन मान्यताप्राप्त विद्यालय) का परीक्षाफल एक सदृश होना चाहिए किन्तु उपर्युक्त विश्लेषणात्मक विवेचन एवं अध्ययन में इस संकल्पना की पुष्टि नहीं हो सकी है । परीक्षा परिणाम के ट्रेंड एक समान नहीं हैं । इनमें पर्याप्त भिन्नता दिखायी पड़ी है । व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का परीक्षाफल सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में न्यूनतम रहा है, किन्तु संस्थागत परीक्षार्थियों में बालक एवं बालिका दोनों के परीक्षा-परिणाम किसी एक निश्चित अनुक्रम में नहीं है । श्रेष्ठता की दौड़ में कहीं राजकीय विद्यालय आगे हैं तो कहीं सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालय और कहीं असहायताप्राप्त अशासकीय विद्यालय । बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत प्रत्येक दशा में बालकों के संगत उत्तीर्ण प्रतिशत से पर्याप्त अधिक है । संस्थागत एवं व्यक्तिगत हर कोटि में बालिकायें, बालकों से सतत् आगे दिखाई देती हैं ।

अध्याय–4

पत्राचार शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश

दूर शिक्षा युग सापेक्ष सर्वसुलभ शिक्षा के मार्ग पर निरन्तर प्रगति करती जा रही है । सभी के लिये शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से, "पत्राचार शिक्षा संस्थान" की स्थापना की गयी है जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप विकसित और समृद्ध करने के लिये शासन प्रयासरत है ।

शासनादेश संख्या मा0-4747/15-6/64/80, दिनांक 17 सितम्बर, 1980 के अन्तर्गत "पत्राचार शिक्षा संस्थान" की स्थापना की गयी है । संस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं में व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को अध्ययन का बेहतर सुविधा देने के लिये कृत संकल्प है ।

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये इण्टरमीडिएट एजूकेशन एक्ट के विनियमों में विनियम 35, 36, 37 तथा 38 बढ़ाकर यह प्राविधान कर दिया गया है कि हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले व्यक्तिगत परीक्षार्थी पत्राचार शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में पंजीकरण कराकर विहित प्रक्रिया के अनुरूप अनिवार्य रूप से पत्राचार शिक्षा का अनुसरण करें । इस प्रकार संस्थान पत्राचार प्रविधि द्वारा शिक्षण की प्रभावी व्यवस्था कर व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के शैक्षिक स्तर में गुणात्मक एवं धनात्मक वृद्धि शिक्षार्थी की आवश्यकता के अनुरूप करने का कार्य निष्पादित कर रहा है । संस्थान सम्प्रति स्वयंपाठियों के लिये उच्चकोटि की पाठ्य सामग्री का निर्माण तथा उनका प्रेषण करते हुए दूर शिक्षा के दर्शन को मूर्त रूप देने का प्रयत्न कर रहा है ।

वर्ष 1984 की इण्टरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षा हेतु साहित्यिक वर्ग के परीक्षार्थियों के लिये 12 विषयों में पत्राचार शिक्षा व्यवस्था प्रारम्भ की गयी । वर्ष 1985 की परीक्षा से साहित्यिक वर्ग के तीन अतिरिक्त विषयों को इस शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया । वर्ष 1986 की परीक्षाओं के लिये इण्टरमीडिएट साहित्यिक वर्ग के व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिये 15 विषयों में शिक्षण सुविधा प्रदान की गयी । वर्ष 1987 की इण्टरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिये पत्राचार शिक्षण की व्यवस्था रचनात्मक तथा ललित कला वर्ग में भी प्रारम्भ की गयी । वर्ष 1990 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिये वैज्ञानिक तथा वाणिज्य वर्गों को भी सम्मिलित कर लिया गया है । वर्ष 1996 की परीक्षा हेतु सितम्बर, 1994 से पंजीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है । इस प्रकार पत्राचार शिक्षा व्यवस्थान्तर्गत इण्टरमीडिएट के निम्नलिखित वर्गों एवं विषयों में पत्राचार शिक्षा सुविधा प्रदान की जा रही है––

(क) साहित्यिक वर्ग

1––साहित्यिक हिन्दी
2––संस्कृत
3––उर्दू
4––अंग्रेजी
5––इतिहास (भारतीय)
6––भूगोल
7––नागरिक शास्त्र
8––मनोविज्ञान
9––शिक्षा शास्त्र
10––गृह विज्ञान
11––अर्थशास्त्र
12––चित्रकला
13––समाज शास्त्र
14––संगीत गायन
15––संगीत वादन

(ख) रचनात्मक वर्ग

1––साहित्यिक हिन्दी
2––काष्ठ शिल्प
3––ग्रन्थ शिल्प
4––सिलाई
5––संस्कृत
6––उर्दू
7––अंग्रेजी
8––इतिहास (भारतीय)
9––भूगोल
10––नागरिक शास्त्र
11––मनोविज्ञान
12––शिक्षा शास्त्र
13––गृह विज्ञान
14––अर्थशास्त्र
15––चित्रकला

(च) ललितकला वर्ग

1—साहित्यिक हिन्दी	2—संगीत गायन
3—संगीत वादन	4—रंजन कला
5—व्यावसायिक कला	6—चित्रकला
7—संस्कृत	8—उर्दू
9—अंग्रेजी	10—इतिहास (भारतीय)
11—भूगोल	12—नागरिक शास्त्र
13—मनोविज्ञान	14—शिक्षाशास्त्र
15—गृह विज्ञान	16—अर्थशास्त्र
17—समाज शास्त्र	

(ख) वैज्ञानिक वर्ग

1—सामान्य हिन्दी	2—भौतिकी
3—रसायन विज्ञान	4—जीव विज्ञान
5—गणित	6—संस्कृत
7—उर्दू	8—अंग्रेजी

(ग) वाणिज्य (प्रथम) वर्ग

1—सामान्य हिन्दी	2—बहीखाता तथा लेखाशास्त्र
3—व्यापारिक संगठन, पत्र व्यवहार तथा बाजार विवरणी	4—अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य भूगोल
5—अधिकोषण तत्व	6—औद्योगिक संगठन
7—अंग्रेजी	8—उर्दू

पत्राचार शिक्षा केन्द्र—

वर्ष 1988 परीक्षा वर्ष तक पत्राचार शिक्षा व्यवस्थान्तर्गत स्वयंपाठी पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिये अलग-अलग जनपदीय पत्राचार शिक्षा केन्द्र प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालय पर स्थित राजकीय इण्टर कालेज एवं राजकीय बालिका इण्टर कालेजों में स्थापित किये गये जहां पर राजकीय इण्टर कालेज बालक/बालिका नहीं हैं वहां पर नाम निर्दिष्ट अशासकीय मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को जनपदीय पत्राचार शिक्षा केन्द्र के रूप में मनोनीत किया गया था। इस प्रकार वर्ष 1987-88 तक कुल 112 पत्राचार शिक्षा पंजीकरण केन्द्र थे। पत्राचार अभ्यर्थियों की संख्यायें दिनानुदिन वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में तहसील स्तर पर पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों को पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से प्रति तहसील दो विद्यालय केन्द्र जिसमें यथासम्भव एक बालिका विद्यालय हो, के आधार पर प्रदेश में वर्ष 1994-95 तक कुल 404 केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है।

छात्रों का पंजीकरण—

वर्ष 1995 में इण्टरमीडिएट परीक्षा हेतु पंजीकृत पत्राचार स्वयंपाठियों की संख्या निम्नवत् है :—

1—साहित्यिक वर्ग		
2—रचनात्मक वर्ग तथा ललितकला वर्ग	..	16,686
3—वैज्ञानिक वर्ग	..	2,375
4—वाणिज्य वर्ग	..	1,162

इस प्रकार वर्ष 1995 के लिये पंजीकृत स्वयं पाठियों की कुल संख्या 20,223 है।

वर्ष 1995 की परीक्षा हेतु साहित्यिक, वैज्ञानिक, वाणिज्य, रचनात्मक तथा ललित कला वर्गों में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों का पंजीकरण माह सितम्बर, 1994 से प्रारम्भ किया जा चुका है।

पत्राचार पाठ्य सामग्री का निर्माण—

पत्राचार पाठ्य सामग्री का निर्माण सभी विषयों के निर्धारित पाठ्यक्रम को सुविधाजनक 7-इकाइयों में विभक्तकर, विद्वानों द्वारा कराया जाता है। अनुभवी इसके पश्चात् प्रत्येक इकाई को मुद्रित कराकर पंजीकृत स्वयंपाठी को उसके द्वारा अंकित पते पर प्रेषित किया जाता है। प्रत्येक विषय के प्रत्येक प्रश्न-पत्र की प्रत्येक इकाई के अन्त में छात्र उत्तर पत्र

संलग्नक होता है जिसे हल करके स्वयंपाठी अपनी पत्राचार पंजीकरण केन्द्र पर जमा करता है। केन्द्र पर उनका मूल्यांकन कराकर प्रतिपुष्टि में निर्देश सहित स्वयंपाठी को उसके उत्तर पत्र प्रत्यावर्तित कर दिये जाते हैं। मूल्यांकित उत्तर पत्रों को प्राप्त कर स्वयंपाठी अपने ज्ञान स्तर का आकलन और वांछित सुधार का प्रयत्न करते हैं।

सम्पर्क शिविर—

अनुवर्ती कार्यक्रम के रूप में पंजीकृत स्वयंपाठियों की अध्ययनगत कठिनाइयों को दूर करने के लक्ष्य से संस्थान द्वारा प्रदेश के पंजीकरण केन्द्रों के माध्यम से छात्र/छात्राओं के लिए पृथक-पृथक दस दिवसीय सम्पर्क शिविरों का आयोजन वर्ष में दो बार किया जाता है।

वर्ष 1995 को इण्टरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षा के लिए पंजीकृत छात्र/छात्राओं के लिए प्रथम सम्पर्क शिविर प्रदेश के मैदानी तथा पर्वतीय जनपदों में 15-11-94 से 24-11-94 तथा द्वितीय सम्पर्क शिविर 12-12-94 से 21-12-94 तक आयोजित किया गया।

विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए प्रयोगात्मक अभ्यास कार्य हेतु 10-10 दिन के 4 सम्पर्क शिविर 1993 से ही आयोजित किये जा रहे हैं। वर्ष 1995 को इण्टरमीडिएट वैज्ञानिक वर्ग व्यक्तिगत स्वयंपाठियों हेतु चार विज्ञान प्रयोगात्मक सम्पर्क शिविर दिसम्बर 1994 से फरवरी 1995 तक आयोजित किये गये।

अल्पव्ययी शिक्षा विधा—

पत्राचार शिक्षा विधा अल्प व्यय वाली विधा है। संस्थागत छात्रों पर पड़ने वाले शैक्षिक व्यय का तुलनात्मक अध्ययन पत्राचार शिक्षार्थियों पर पड़ने वाले व्यय से कराया गया जिससे यह ज्ञात हुआ कि पत्राचार शिक्षा पर पड़ने वाले शैक्षिक व्यय अपेक्षाकृत कम है।

गुणात्मक एवं स्तरीय शिक्षण—

पत्राचार शिक्षा द्वारा दूरस्थ स्वयंपाठियों का उत्तम एवं गुणवत्तापूर्ण पाठ्य-सामग्री का अध्ययन कराया जाता है। मूल्यांकन एवं निर्देशन तथा सम्पर्क शिविरों में कठिनाई का निराकरण कराया जाता है जिससे स्वयंपाठियों में आत्म विश्वास बढ़ता है। विगत वर्षों में पंजीकृत स्वयपाठियों का परीक्षा परिणाम अतीव उत्साहवर्धक रहा है जो इस शिक्षा विधा की सफलता का द्योतक है।

पाठों का पुनरीक्षण—

समय-समय पर संस्थान द्वारा मुद्रित कराई गई पाठ्य-सामग्री का संशोधन एवं पुनरीक्षण कराया जाता है। इस प्रकार इसको गुणवत्ता को सम्बन्धित करने का यथासम्भव प्रयास किया जाता है।

पत्राचार शिक्षा सतत् अध्ययन सम्पर्क योजना—

प्रदेश के अच्छे विद्यालयों में छात्र प्रवेश के दबाव को कम करने के उद्देश्य से जनपद मुख्यालयों पर अवस्थित राजकीय इण्टरमीडिएट कालेजों बालक/बालिका में इण्टरमीडिएट पाठ्यक्रम के लिए साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा वाणिज्य वर्ग के लिए पत्राचार शिक्षा सतत् अध्ययन सम्पर्क योजना का कार्य 1986-87 से प्रारम्भ किया गया है। वर्ष 1987-88 में यह योजना मैदानी तथा पर्वतीय क्षेत्र में कुल 73 राजकीय इण्टरमीडिएट कालेजों (बालक/बालिका) तथा गाजियाबाद के एक अशासकीय मान्यता प्राप्त इण्टर कालेज में संचालित की गयी।

वर्ष 1992-93 में सतत अध्ययन सम्पर्क योजना मैदानी जनपदों के 83 तथा पर्वतीय जनपदों के 16 कुल मिलाकर 99 राजकीय इण्टरमीडिएट कालेजों (बालक/बालिका) तथा 16 अशासकीय मान्यताप्राप्त इण्टरमीडिएट कालेजों (बालक/बालिका) में स्वीकृत थे। मैदानी जनपदों में 1927 छात्र, पर्वतीय जनपदों में 144 छात्र तथा अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में 413 छात्र कुल मिलाकर 2484 छात्र/छात्रायें वर्ष 1992-93 में अध्ययनरत थे। वर्ष 1993-94 में पत्राचार शिक्षा सतत अध्ययन सम्पर्क योजनान्तर्गत साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं वाणिज्य वर्गों में मैदानी क्षेत्रों में क्रमशः 1447, 2225, 148, कुल योग 3,812 तथा पर्वतीय क्षेत्रों में राजकीय इण्टर कालेजों में 108, 108 कुल 216 तथा चुने हुए अशासकीय सहायता प्राप्त इण्टर कालेजों में 284, 131 कुल 435 इस प्रकार साहित्यिक वर्ग के कुल 2839, वैज्ञानिक वर्ग के 2484 तथा वाणिज्य वर्ग के कुल 148 सहायोग 4463 था।

वर्ष 1994-95 में पत्राचार शिक्षा सतत अध्ययन सम्पर्क योजनान्तर्गत छात्र प्रवेश की स्थिति इस प्रकार है :--

मैदानी क्षेत्र--

		साहि०	वैज्ञा०	वाणिज्य	योग
राजकीय इण्टर कालेज	कक्षा 11	1978	2741	190	4909
,,	कक्षा 12	1667	2118	131	3916

पर्वतीय क्षेत्र--

		साहि०	वैज्ञा०	वाणिज्य	योग
राजकीय इण्टर कालेज	कक्षा 11	..	37	..	37
,,	कक्षा 12	131	137	..	268
अशासकीय विद्यालय	कक्षा 11	376	229	19	624
,,	कक्षा 12	314	129	14	457
योग ..		4466	5391	354	10211

इस योजनान्तर्गत निम्नांकित विषयों के शिक्षण की व्यवस्था की गई है--

साहित्यिक वर्ग--

1--साहित्यिक हिन्दी
2--संस्कृत
3--इतिहास (भारतीय)
4--अंग्रेजी
5--उर्दू
6--भूगोल
7--नागरिकशास्त्र
8--मनोविज्ञान
9--शिक्षाशास्त्र
10--गृह विज्ञान
11--अर्थशास्त्र
12--चित्रकला
13--समाजशास्त्र
14--संगीत गायन
15--संगीत वादन

वैज्ञानिक वर्ग--

1--सामान्य हिन्दी
2--भौतिकी
3--रसायन विज्ञान
4--जीव विज्ञान
5--गणित
6--संस्कृत
7--उर्दू
8--अंग्रेजी

वाणिज्य वर्ग--

1--सामान्य हिन्दी
2--बहीखाता तथा लेखाशास्त्र
3--व्यापारिक संगठन, पत्र व्यवहार तथा बाजार विवरणी
4--अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य भूगोल
5--अधिकोषण तत्व
6--औद्योगिक संगठन
7--संस्कृत
8--उर्दू
9--अंग्रेजी

इस योजनान्तर्गत कक्षा निरीक्षण की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रधानाचार्य, अध्यापकों तथा सपोर्टिंग स्टाफ के लिए विहित पारिश्रमिक का भुगतान संस्थान द्वारा किया जाता है।

पत्राचार शिक्षा विचार-पत्र--

पत्राचार शिक्षा संस्थान से पत्राचार शिक्षा विचार पत्र का प्रकाशन किया जाता है। इसका प्रारम्भ सितम्बर, 1985 से किया गया।

प्रधानाचार्यों का सम्मेलन--

पत्राचार शिक्षा कार्यक्रम एवं योजना मूल्यांकन पर शैक्षिक प्रशासकों एवं प्रधानाचार्यों/प्रधानाचार्याओं की संगोष्ठी माह अगस्त, सितम्बर तथा अक्तूबर, 1994 में क्रमशः बरेली, कानपुर, आगरा, फैजाबाद एवं गोरखपुर में सम्पन्न हुई। कानपुर मण्डल की संगोष्ठी में तीन मण्डलों, कानपुर, इलाहाबाद, झांसी मण्डल तथा शेष संगोष्ठी स्थलों पर दो-दो मण्डलों से शिक्षाधिकारियों तथा प्रधानाचार्यों/प्रधानाचार्याओं को सम्मिलित किया गया।

प्रस्तावित कार्य--

पत्राचार शिक्षा संस्थान में मल्टीमीडिया पाठ निर्माण की व्यवस्था तथा आडियो/वीडियो कैसेट्स के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है।

क--पत्राचार शिक्षा की योजनायें--

1--पत्राचार शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा पूर्व से संचालित पत्राचार शिक्षा द्विवर्षीय योजना के साथ ही साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा में एक नवीन योजना पत्राचार शिक्षा एक वर्षीय योजना भी संचालित किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

संस्थान के प्रकाशन--

1--विवरणिका वर्ष 1984-85।

2--पत्राचार शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यकलापों का अध्ययन राष्ट्रीय कार्यशाला में प्रस्तुत।

3--उत्तर प्रदेश में दूर शिक्षा का एक आलेख-नियोजन।

4--शैक्षणिक तथ्यों की चयनित अध्ययनात्मक तैयारी, दूर शिक्षा लेखकों की कार्यशाला में प्रस्तुत।

5--पत्राचार शिक्षा विचार पत्र।

6--दिल्ली, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के अध्यापकों को दूर शिक्षा पाठ-लेखन कार्यशाला की आख्या।

7--दूर शिक्षा लेखक--कार्यशाला-कार्यवृत्त।

8--पत्राचार शिक्षा के प्रवानों के लिये निर्देशिका।

9--पत्राचार शिक्षा विचार पत्र।

10--आयाम--वार्षिक पत्रिका।

11--उत्तर प्रदेश में दूर शिक्षा की प्रगति।

12--शिक्षा सन्दर्शिका।

13--पत्राचार शिक्षा विचार पत्र।

14--पत्राचार शिक्षा नियम संग्रह।

15--पत्राचार शिक्षा विचार पत्र।

16--छात्र निर्दिष्ट कार्य की भूमिका एवं स्वरूप, स्वयं आंच अभ्यास सामग्री।

17--छात्र निर्दिष्ट कार्य हेतु परीक्षण सामग्री एवं पाठगत प्रश्नों का निर्माण।

18--पत्राचार स्वरूप एवं प्रबन्ध प्रचलन।

19--पत्राचार शिक्षा विचार पत्र।

20--प्रधानाचार्यों की संगोष्ठी का कार्यक्रम।

21--पत्राचार शिक्षा विचार पत्र।

22--पत्राचार शिक्षा विचार पत्र।

23--पत्राचार शिक्षा विचार पत्र।

24--पत्राचार शिक्षा विचार पत्र।

25--अध्ययन सन्दर्शिका।

26--शैक्षिक प्रशासकों एवं प्रधानाचार्यों की संगोष्ठी का पृष्ठभूमि पत्रक।

27--कार्याधारित शिक्षण योजना।

28--पत्राचार शिक्षा विचार पत्र।

29--पत्राचार शिक्षा विचार पत्र।

30--आयाम वार्षिक पत्रिका ।
31--पृष्ठभूमि पत्रक, 1988-89 ।
32--पत्राचार शिक्षा विचार पत्र ।
33--पत्राचार शिक्षा विचार पत्र ।
34--पत्राचार शिक्षा विचार पत्र ।
35--पृष्ठभूमि पत्रक, 1989-90 ।
36--पत्राचार शिक्षा विचार पत्र ।
37-पृष्ठभूमि पत्रक, 1990-91 ।
38--पत्राचार शिक्षा विचार पत्र ।
39--पत्राचार शिक्षा विचार पत्र ।
40--पत्राचार शिक्षा एक दशक स्मारिका ।
41--सम्पर्क शिविर कार्यक्रम ।
42--माध्यमिक स्तर पर उत्तर प्रदेश में पत्राचार शिक्षा का स्वरूप ।
43- आयाम वार्षिक पत्रिका ।
44--दूर शिक्षा के विविध आयाम ।
45--पृष्ठभूमि पत्रक, 1993-94 ।
46--पृष्ठभूमि पत्रक, 1994-95 ।

अध्याय 5

अनौपचारिक शिक्षा कार्य-क्रम

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में वर्ष 1979-80 से अनौपचारिक शिक्षा योजना अं पचारिक शिक्षा कार्य-क्रम के पूरक के रूप में प्रारम्भ की गई इस योजना के अन्तर्गत 9-14 वय वर्ग के ऐसे बालक-बालिकाओं को शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है जो आर्थिक सामाजिक तथा अन्य किन्हीं कारणों से विद्यालयी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके हैं अथवा किन्हीं परिस्थितियों के कारण प्राइमरी अथवा मिडिल स्तर की शिक्षा पूरी किये बिना ही बीच में पढ़ाई छोड़ने के लिये विवश हो गये हैं, ऐसे बालक-बालिका शिक्षा से सदैव वंचित न रह जायें, अतः उन्हें उनके स्थान एवं समय की सुविधानुसार शिक्षा देने की व्यवस्था इस योजना के अन्तर्गत की गई है ।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का संचालन योजना के प्रारम्भ में मूलतः बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित अथवा मान्यताप्राप्त प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों में रखे गये हैं । इसके साथ ही पंचायत घरों समुदायिक केन्द्रों, पूजा स्थलों, निजी आवासों अथवा अन्य किसी भवन में भी बालक-बालिकाओं की सुविधानुसार संचालित करने के निर्देश दिये गये हैं ।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अंशकालिक शिक्षण की व्यवस्था की गई है । अनुदेशकों की नियुक्ति के लिए एक मापदण्ड निर्धारित है जिसके अन्तर्गत स्थानीय महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है । नियुक्ति की वरीयता-क्रम निम्नवत् है :--

1--बी० टी० सी० प्रशिक्षित बेरोजगार युवती/महिला

2--शिक्षित बेरोजगार युवती/महिला

3--निष्ठावान, स्वस्थ एवं कुशल अवकाश प्राप्त शिक्षिका, तथा

4--उपर्युक्त वरीयता-क्रम में स्थानीय युवती/महिला के उपलब्ध न होने पर स्थानीय पुरुष अभ्यर्थी का चयन उपरोक्त वरीयता-क्रम में किया जायगा ।

उपर्युक्त वरीयता-क्रम में अनुदेशकों के चयन हेतु प्रत्येक जनपद में चयन समिति का गठन किया गया है जिसमें निम्नांकित पदाधिकारी रखे गये हैं ।

1--परियोजना अधिकारी (अनौ० शिक्षा)...पदेन अध्यक्ष ।

2--संबंधित क्षेत्र के न्याय पंचायतों के दो सरपंच-सदस्य परियोजना अधिकारी, विकास खण्ड के प्रभारी प्रत्येक विद्यालय निरीक्षक ।

3--संबंधित विकास खण्ड प्रभारी-अर्थात् सदस्य ।

4--वरिष्ठतम प्रति-उप विद्यालय निरीक्षक ।

कार्यक्रम के सुचारु संचालन की दृष्टि से प्रत्येक परियोजना में पांच-पांच स्वैच्छिक पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षिकाओं की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है । इन पर्यवेक्षक पर्यवेक्षिकाओं द्वारा अपनी परियोजना के 20-20 केन्द्रों के निरीक्षण तथा मूल्यांकन का कार्य किया जाता है । इसके साथ ही इनके द्वारा बाल गणना, स्थान चयन आदि का भी कार्य सम्पादित किया जाता है । इसके चयन के लिये निम्नांकित चयन समिति गठित की गई है :--

1--जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2--परियोजना अधिकारी	सदस्य-सचिव
3--जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
4--क्षेत्र विकास अधिकारी द्वारा नामित व्यक्ति (एक प्रधान)	सदस्य
5--क्षेत्रीय प्रति उप विद्यालय निरीक्षक	सदस्य

स्वैच्छिक पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षिकाओं की नियुक्ति के लिए निम्नांकित व्यक्तियों के मध्य से इसी वरीयता-क्रम में चयन के आदेश शासन द्वारा दिये गये हैं :--

1--अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अनुदेशक ।

2--बी० टी० सी० बेरोजगार व्यक्ति ।

3--अवकाश प्राप्त सैनिक तथा राजकीय सेवक ।

4--अवकाश प्राप्त अध्यापक प्रधान अध्यापक ।

5--समाज सेवी व्यक्ति ।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राइमरी स्तर की शिक्षा 2 वर्ष में पूरी करने की योजना बनाई गई है। इस शिक्षा के लिये ज्ञानदीप भाग-1 व भाग-2 नामक पाठ्य-पुस्तकों की रचना की गई है। इन पुस्तकों में भाषा, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विषय, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य तथा सामान्य पाठ्यक्रम के साथ-साथ पर्यावरण, जनसंख्या, बालिका तथा अल्प बचत आदि विषयों पर भी पाठों का समावेश किया गया है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक शिक्षक-संदर्शिका पोस्टर्स, फोल्डर तथा वर्णमाला चार्ट आदि सहायक सामग्रियों के रूप में केन्द्रों को उपलब्ध कराई जाती है।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में नामांकित छात्रों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें, अभ्यास पुस्तिकायें, स्लेट, पेन्सिल आदि दी जाती हैं। केन्द्र का संचालन करने के लिए प्रत्येक केन्द्र को टाट-पट्टी, चार कुर्सी, फोल्डिंग रेक, उपस्थिति रजिस्टर दो, स्टाक रजिस्टर दो, शिक्षक डायरी दो, पटरी दो, चाकू दो, डाट पेन दो, ताला एक, मानचित्र (प्रकृति एवं राजनीतिक) उत्तर प्रदेश, भारत तथा दुनिया प्रत्येक एक, चाक का डिब्बा एक तथा डस्टर एक दिया जाता है।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत नियुक्त होने वाले अनुदेशकों को दो फेरे में प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की गई है। केन्द्र के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रथम प्रशिक्षण 10 दिनों का तथा बाद में प्रतिमाह एक दिन का तथा पुनः 10 दिनों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। इस प्रकार वर्ष में 30 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के मण्डल स्तर, जनपद स्तर तथा विकास खंड स्तर पर प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ किया गया है। इसके अन्तर्गत मण्डल स्तर पर विशेष कार्याधिकारी तथा उनके स्टाफ की नियुक्ति की गयी है। जिले स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा का कार्य जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कराया जा रहा है। विकास खण्ड स्तर पर प्रत्येक विकास खण्ड के लिये एक-एक परियोजना अधिकारी की नियुक्ति की गयी है।

भारत सरकार द्वारा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को अब संशोधित रूप में संचालित करने का आदेश दिया गया है, जिसके लिये निदेशालय, जिला तथा परियोजना स्तर पर निम्नांकित व्यवस्था की गयी है :—

शिक्षा निदेशालय हेतु—

1—अपर शिक्षा निदेशक (अनौ० शिक्षा)।

2—उप शिक्षा निदेशक (अनौ० शिक्षा)।

3—लिपिकीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी।

राज्य शिक्षा संस्थान में पाठ्य पुस्तक-पाठ्यक्रम निर्माण तथा अन्य कार्यों हेतु—

1—वरिष्ठ परामर्शी—एक।

2—परामर्शी—चार।

3—लिपिक—एक।

मण्डल स्तर हेतु—

1—विशेष कार्याधिकारी, अनौपचारिक शिक्षा।

2—लिपिकीय चपरासी।

जिला स्तर हेतु—

1—जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी।

2—वरिष्ठ सहायक, लेखा लिपिक व परासी।

परियोजना स्तर हेतु—

1—परियोजना अधिकारी।

2—लेखा लिपिक, कनिष्ठ लिपिक चपरासी।

उपर्युक्त व्यवस्था प्रदेश के लिये स्वीकृत कुल 60,320 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को 596 परियोजनाओं में निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप उनके नियंत्रण, मूल्यांकन तथा अनुश्रवण को प्रभावी बनाने के लिये किया गया है। प्रत्येक परियोजना में शिक्षा केन्द्रों की संख्या 100 से लेकर 105 तक है।

केन्द्र सरकार द्वारा 1 अक्तूबर, 1993 से योजना को पुनरोक्षित किया गया है, जिसके परिणाम-स्वरूप मिश्रित केन्द्रों का व्यय प्रदेश तथा केन्द्र सरकार के मध्य 40:60 तथा बालिका केन्द्र का व्यय 10:90 के अनुपात में वहन किये जाने का प्राविधान है।

वर्ष 1989-90 में केन्द्र सरकार द्वारा 30,160 मिश्रित तथा 30,160 बालिका केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम हेतु वर्ष 1994-95 के बजट में निम्नलिखित धनराशि रखी गयी है :

क्षेत्र	राज्यांश	केन्द्रांश	योग (हजार में)
मैदानी क्षेत्र	56630	69297	125927
पर्वतीय क्षेत्र	2500	..	2500

उक्त के अतिरिक्त वर्ष 1994-95 में अनुपूरक मांगों के माध्यम से निम्नांकित धनराशि की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है :

क्षेत्र	राज्यांश	केन्द्रांश	योग
	89102	282200	371302
योग ..	89102	282200	371302
पर्वतीय क्षेत्र	21070	45629	66699
महा योग ..	110172	327829	438001

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है, जो निम्न प्रकार से है :—

1—छात्रों का मूल्यांकन,

2—केन्द्रों का मूल्यांकन, तथा

कार्यक्रमों का मूल्यांकन ।

छात्रों की प्रगति के निरन्तर मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है । छात्रों द्वारा निर्धारित अवधि की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् अनौपचारिक विद्यालयों के छात्रों के साथ सम्मिलित परीक्षा में बैठाये जाने की व्यवस्था है ।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के समुचित अनुश्रवण की व्यवस्था के अन्तर्गत प्रतिमाह केन्द्र स्तर की सूचना जिला स्तर पर, जिला स्तर की सूचना मण्डल स्तर पर तथा मण्डल स्तर से निदेशालय को निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध कराई जाती है तथा निदेशालय द्वारा प्रतिमाह शासन को उपलब्ध कराया जाता है । इसमें प्रत्येक जनपद में संचालित केन्द्र की संख्या छात्रों की वर्गवार संख्या तथा प्रतिमाह हुये व्ययों की केन्द्रों की आपूर्ति की गई सामग्रियों के विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण की सूचना प्राप्त की जाती है और प्रतिमाह राज्य स्तर पर इसकी समीक्षा की जाती है तथा जनपदों को समुचित कार्यवाही के निर्देश दिये जाते हैं ।

नामांकन

अनौपचारिक शिक्षा के प्रत्येक केन्द्र पर 25 प्रवेश स्थान रखे गये हैं । उसी के अनुसार केन्द्रों में प्रविष्ट छात्रों की सूचनाय प्रतिमाह प्राप्त की जाती हैं ।

(संख्या हजार में)

छात्रों के नामांकन का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :

प्राइमरी स्तर	82-83	84-85	85-86	86-87	87-88	88-89	89-90
बालक	241	397	290	393	370	409	263
बालिका	130	170	252	236	354	370	590
योग ..	371	467	642	629	724	779	853

प्राइमरी स्तर	90–91	91–92	92–93	93–94	94–95	
बालक	369	643	648	571	485	
बालिका	495	809	989	599	866	सितम्बर, 1995 तक
योग ..	864	1452	1337	1170	1351	
मिडिल स्तर	82–83	83–84	84–85	85–86	86–87	77 8
बालक	49	60	59	38	48	25
बालिका	16	21	24	18	31	15
योग ..	65	81	83	56	79	40

अध्याय 6

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश—

प्रदेश के शैक्षिक स्तरोन्नयन, विविध शोध, अध्ययन, प्रशिक्षण कार्यों के विकास तथा शैक्षिक संस्थाओं, आयोजकों एवं शिक्षकों के मार्ग दर्शन के उद्देश्य से भारत सरकार की नीति एवं सुझाव के आलोक में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सितम्बर, 1981 में राज्यशैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई जिसे प्रदेश के शैक्षिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम के रूप में लिया जाना चाहिए। परिषद् के सुचारू संचालन, शैक्षिक कार्यक्रमों के नियोजन, स्तरोन्नयन विस्तार और प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा (13) अनुभाग संख्या 2024/15 (13)/1499 (47)/82, लखनऊ दिनांक 13 अगस्त, 1983 के अनुसार नौ सदस्यीय एक समिति गठित की गई है जिसके अध्यक्ष माननीय शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश, उपाध्यक्ष शिक्षा सचिव, उत्तर प्रदेश तथा सदस्य सचिव, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश हैं।

उद्देश्य और कार्य क्षेत्र :—

परिषद् के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये इसके बहुआयामी कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नांकित उद्देश्यों की संकल्पना की गयी है :—

0—शैक्षिक स्तरोन्नयन एवं विकास के लिए स्वयं अनुसंधान करना अनुसंधानों का समन्वयन एवं क्रियान्वयन करना तथा इन्हें प्रोत्साहन देना।

0—उच्च स्तरीय सेवापूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था।

0—शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में विद्यालय विस्तार सेवा में संलग्न संस्थाओं को परामर्श।

0—उन्नत शैक्षिक विधियों और कार्यक्रमों से विद्यालयों तथा शैक्षिक आयोजकों को अवगत कराना।

0—अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य के शिक्षा विभाग, विश्व विद्यालयों अन्य शैक्षिक संस्थाओं और अभिकरणों से सहयोग।

0—विद्यालय स्तरीय शिक्षा सम्बन्धी नवाचारों, अभिनव प्रवृत्तियां प्रविधियों, सूचनाओं आदि का संग्रह और प्रचार।

0—राज्य प्रशासन तथा अन्य संगठनों को विद्यालय स्तरीय शैक्षिक स्तरोन्नयन के सम्बन्ध में परामर्श।

0—पाठ्य-पुस्तकों, शिक्षण सामग्री तथा अन्य उपयोगी साहित्य का निर्माण तथा प्रकाशन।

0—ऐसे सभी कार्यों का सम्पादन जिन्हें परिषद अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक और लाभप्रद समझे।

0—राज्य सरकार द्वारा संदर्भित शैक्षिक, अनुसंधान, और प्रशिक्षण सम्बन्धी अन्य कार्यों का सम्पादन।

परिषद् के विभाग—

1—प्रारम्भिक शिक्षा विभाग तथा अनौपचारिक शिक्षा एकक।

2—मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग।

3—विज्ञान और गणित विभाग।

4—मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग।

5- हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग।

6—अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषा विभाग।

7—श्रव्य-दृश्य और शिक्षा प्रसार विभाग।

8—पाठ्यक्रम और मूल्यांकन विभाग।

9—शैक्षिक प्रशासन एवं नियोजन विभाग।

10—व्यवसायपरक शिक्षा विभाग।

11—अध्यापक प्रशिक्षण :—

(1) जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान।

(2) राजकीय शिक्षा विद्यालय।

(3) प्रशिक्षण महाविद्यालय।

उक्त के अतिरिक्त परिषद् के अन्तर्गत निम्नलिखित स्वायत्तशासी संस्थाएं कार्यरत हैं :--

1--राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान, लखनऊ ।

2--विज्ञान किट निर्माणशाला, इलाहाबाद ।

परिषद् के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न अधीनस्थ विभागों द्वारा सम्पादित कार्यों को अधोलिखित 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है :--

(क) प्रशिक्षण ।

(ख) शोध,अध्ययन/सर्वेक्षण /परियोजनायें ।

(ग) प्रकाशन ।

(घ) कार्यशालाएं/विचार गोष्ठियां ।

इन वर्गों के अन्तर्गत सम्पादित कार्यों का विभागवार विवरण निम्नवत् है--

प्रशिक्षण--

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग (राज्य शिक्षा संस्थान) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

1--सभी के लिए शिक्षा परियोजनान्तर्गत चयनित प्रदेश के दस जनपदों नैनीताल, पौड़ी, इटावा, अलीगढ़, सहारनपुर, गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, बांदा और सीतापुर में जनपद स्तर, विकास खण्ड स्तर तथा विद्यालय स्तर पर आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

2--प्रदेश के पांच जनपदों लखनऊ, बाराबंकी, सिद्धार्थनगर, मीरजापुर तथा अल्मोड़ा में सबके लिए शिक्षा हेतु वातावरण सृजन सम्बन्धी चेतना के विकास करने हेतु जनपद, विकास खण्ड तथा ग्राम शिक्षा समिति स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये ।

3--प्रदेश के प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के विशेष अनुस्थापन प्रशिक्षण कार्यक्रम (एस० ओ० पी० टी०) के अन्तर्गत सन्दर्भ व्यक्तियों, प्राथमिक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षकों को अधिगम के न्यूनतम स्तर योजना एवं प्राथमिक स्तरीय शैक्षिक निरीक्षकों को सबके लिए शिक्षा अवधारण का बोध कराने हेतु प्रशिक्षित किया गया ।

4--प्रदेश के रायबरेली, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, नैनीताल तथा झांसी जनपदों के अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अनुदेशकों तथा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 2000 शिक्षकों को उनके जनपद में स्थित डायट के माध्यम से जनसंख्या शिक्षा विषयक प्रशिक्षण आयोजित किया गया ।

5--क्षेत्र सघन शिक्षा परियोजना जो मिरजापुर जनपद के दो विकास खण्डों में संचालित की जा रही है के समस्त प्राथमिक विद्यालयीय अध्यापकों को सकुल स्तर पर अधिगम की गुणवत्ता में वृद्धि, बहु कक्षा शिक्षण तथा अभिलेखों एवं आंकड़ों के रेख-रखाव के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किया गया । क्षेत्र के कतिपय अग्रणी विद्यालयों के समस्त अध्यापकों को पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण तथा नवीन कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समन्वयकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया ।

6--आगामी वर्ष में मिर्जापुर जनपद के तीन अन्य विकास खण्डों के 548 गांवों में परियोजना के विस्तार हेतु सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक पहलुओं का अध्ययन करने सम्बन्धी आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने सम्बन्धी कार्य प्रगति पर है ।

7--पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत झांसी मण्डल के प्रत्येक जनपद में कार्यरत डायट के शिक्षक प्रशिक्षकों के माध्यम से प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के दो सौ शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया । उक्त के परिप्रेक्ष्य में जनपदों में विशेष चेतना अभियान चलाकर जनसामान्य को पर्यावरणीय शिक्षा के सम्बोध से अवगत कराया गया ।

(2) हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग (राज्य हिन्दी संस्थान)
उत्तर प्रदेश वाराणसी

1--इलाहाबाद जनपद के प्राथमिक स्तरीय 1500 शिक्षकों को हिन्दी शिक्षण की विभिन्न विधाओं, मानक, वर्तनी, उच्चारण शब्द तथा वाक्य रचना, गद्य-पद्य शिक्षण, सुलेख, पत्र लेखन से सम्बन्धित पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण दस चक्रों में प्रदान किया गया ।

2--माध्यमिक विद्यालयों में हिन्दी के प्रभावी शिक्षण हेतु मिर्जापुर जनपद के 100 अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया ।

उपर्युक्त प्रशिक्षण की श्रृंखला में जनपद बरेली के जूनियर हाई स्कूलों के 100 अध्यापकों तथा वाराणसी जनपद के माध्यमिक विद्यालयों के 100 हिन्दी शिक्षकों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

(3) अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषा विभाग (अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

1--प्रदेश के शासकीय/अशासकीय विद्यालयों के सेवारत अंग्रेजी विषय के अध्यापकों को चार मासीय डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है। यह संस्थान का नियमित कार्यक्रम है। इसके अन्तर्गत इस वर्ष दो कोर्स आयोजित किये गये। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अंग्रेजी शिक्षण की नवीन विधाओं से अभ्यर्थियों को अवगत कराया जाता है।

2--पूर्व वर्षों की तरह इस वर्ष भी 50 दिवसीय अंग्रेजी वाचन प्रवीणता कोर्स दो फेरों में आयोजित किया गया जिसमें से प्रत्येक में 30 स्नातक/स्नातकोत्तर अभ्यर्थी प्रशिक्षित किये गये।

3--प्रदेश के चार जनपदों देवरिया, हरिद्वार, अल्मोड़ा तथा मुरादाबाद के पूर्व माध्यमिक तथा माध्यमिक स्तर के अध्यापक/अध्यापिकाओं हेतु लघु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(4) मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग (राजकीय सी0 पी0 आई0), इलाहाबाद

1--प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी एल0 टी0 (सामान्य) के प्रशिक्षण हेतु 50 अध्यापकों को प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई है।

2--सेवाकालीन प्रशिक्षण के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

3--माध्यमिक विद्यालयों (पुरुष/महिला) में प्रोन्नति पाये प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकाओं के लिए दो सप्ताह का अकादमिक प्रबन्ध एवं प्रशासनिक अभिनवीकरण प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

(5) विज्ञान और गणित विभाग (राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

1--इण्टरमीडिएट स्तर की भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और गणित विषय के प्रवक्ताओं के प्रशिक्षण हेतु संदर्भदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

2--पर्यावरण के माध्यम से प्राथमिक स्तरीय विज्ञान शिक्षण सम्बन्धी साहित्य में 21 जनपदों के डायट के प्राचार्य/विज्ञान अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया।

3--प्रदेश के चार जनपदों-- वाराणसी, बरेली, उन्नाव व लखनऊ के डायटों पर विज्ञान एवं गणित किट सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न किए गए।

4--हाई स्कूल स्तरीय विज्ञान और गणित विषय के अध्यापकों का दस दिवसीय प्रशिक्षण डायट मंझनपुर (इलाहाबाद), बरुआसागर (झांसी), देहरादून तथा भीमताल (नैनीताल) में आयोजित किया गया।

5--प्रदेश के आठ जनपदों के जूनियर हाई स्कूल स्तरीय गणित विषय के अध्यापकों को अपने जनपद के डायट केन्द्र पर अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

6--इण्टरमीडिएट भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, गणित विषय के 160 प्रवक्ताओं को 10 दिवसीय पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

(6) श्रव्य-दृश्य और शिक्षा प्रसार विभाग, उ0 प्र0, इलाहाबाद

1--प्रौढ़ जीवन के उन्नयन की दृष्टि से स्थापित यह विभाग प्रदेश से निरक्षरता व अज्ञानता के अंधकार को हटाकर साक्षरता का आलोक फैलाने में सतत प्रयत्नशील है। अपने विभिन्न संसाधनों द्वारा प्रचार-प्रसार एवं जन जागरण के माध्यम से चेतना जाग्रत करने की दिशा में प्रवृत्त है।

2--डायट पकवाईनार (बलिया) के माध्यम से जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानों को श्रव्य-दृश्य शिक्षा तकनीकी में प्रशिक्षण प्रदान किया।

3--प्रदेश के कतिपय डायटों के आगन्तुक प्रशिक्षणार्थियों को श्रव्य-दृश्य शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र में 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया।

(7) मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग, उ0 प्र0, इलाहाबाद

1--योग्य एवं प्रशिक्षित मनोविज्ञानिक तैयार करने के उद्देश्य से डिप्लोमा इन गाइडेन्स सायकालोजी सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

2--प्रदेश की इण्टरमीडिएट कक्षाओं में मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र विषयों को शिक्षण कार्य करने वाले प्रवक्ताओं को बारह दिवसीय पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

3--राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा हेतु मुख्य परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण तीन फेरों में सम्पन्न किया।

4--राष्ट्रीय प्रतिभा खोज साक्षात्कार पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

(ख) शोध/अध्ययन/सर्वेक्षण—

(1) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग (राज्य शिक्षा संस्थान), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

1—जनसंख्या शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ में वितरित शैक्षणिक सामग्री के उपयोग की प्रभावकारिता का अध्ययन ।

2—हाई स्कूल स्तरीय पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा को लागू करने के प्रति अध्यापकों, अभिभावकों एवं छात्रों की अभिवृत्ति का अध्ययन ।

3—प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश हेतु निर्धारित आयु वर्ग के कुल उपलब्ध बच्चों के सापेक्ष नामांकन की स्थिति ।

4—प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा एक से पांच तक के स्तर की किसी कक्षा से बीच में पढ़ाई छोड़ देने तथा पढ़ाई प्रारम्भ न करने से सम्बन्धित समस्या का विश्लेषणात्मक अध्ययन ।

5—प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के अध्यापकों द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि का मूल्यांकन एवं अध्ययन ।

6—प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन, धारण क्षमता तथा सम्प्राप्ति पर शिक्षिकाओं की उपलब्धता के प्रभाव का अध्ययन ।

7—विद्यालयोन्मुखी शिक्षण की प्रभावात्मकता एक अध्ययन ।

(2) हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग (राज्य हिन्दी संस्थान), उत्तर प्रदेश, वाराणसी

1—प्राथमिक स्तर की हिन्दी पाठ्य-पुस्तकों में प्रयुक्त शब्दावली का अध्ययन ।

2—माध्यमिक स्तर के विज्ञान वर्ग के छात्रों की हिन्दी अध्ययन के प्रति अभिरुचि का अध्ययन ।

3—आरम्भिक स्तर की हिन्दी की पाठ्य-पुस्तकों में प्रयुक्त लोकोक्तियों एवं मुहावरों का अध्ययम ।

4—माध्यमिक स्तर पर भाषा अधिगम को प्रभावी बनानें वाले कारकों का अध्ययन ।

5—राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत चलाये जा रहे सतत शिक्षक अभिनवीकरण प्रशिक्षणों का हिन्दी शिक्षण पर प्रभाव-एक अध्ययन ।

6—कक्षा 3-8 तक की नव रचित हिन्दी पाठ्य-पुस्तकों में प्रयुक्त अन्तः कथाओं में निहित मूल्यों का अध्ययन ।

7—माध्यमिक स्तरीय हिन्दी गद्य पुस्तकों में प्रयुक्त सामाजिक पदों का अध्ययव ।

8—प्राथमिक स्तर की अनिवार्य संस्कृत पाठ्य-पुस्तकों में प्रयुक्त प्रत्ययों का अध्ययन ।

उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त संस्थान में उर्दू-हिन्दी लघु शब्दकोश का निर्माण तथा माध्यमिक विद्यालयों हिन्दी शिक्षकों के लिए हिन्दी शिक्षण अभिनव गोष्ठियों का आयोजन किया गया है।

(3) मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग (राजकीय सी0 पी0 आई0, इलाहाबाद

1—हाई स्कूल स्तर की हिन्दी विषयक पाठ्य-पुस्तकों का विवेचनात्मक अध्ययन ।

2—माध्यमिक स्तर पर छात्र/छात्राओं के नैतिक मूल्यों के विकास के परिप्रेक्ष्य में अध्यापकों के योगदान का अध्ययन ।

3—ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के विद्यालयों के शैक्षिक सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन ।

4—माध्यमिक विद्यालयों में हाई स्कूल परीक्षा के आधार पर अनुसूचित जन-जाति तथा अन्य जातियों के छात्रों की उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन ।

5—माध्यमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र की अपेक्षा अधिक छात्रों द्वारा इतिहास तथा नागरिकशास्त्र विषयों का चयन करने के कारणों का पता लगाना ।

6—सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में स्थानीय संसाधनों के उपयोग की प्रभावकारिता का अध्ययन ।

7—प्रदेश के बीस जनपदों में व्यावसायिक शिक्षा सर्वेक्षण के कार्य का समन्वयन किया जा रहा है ।

(4) विज्ञान और गणित विभाग (राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

1—विज्ञान विषयक पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण ज्ञान संस्कृति दृष्टि से सम्बन्धित अध्ययन कार्य प्रगति पर है ।

2—उच्च प्राथमिक स्कूलों को उपलब्ध कराई गई विज्ञान किट का विज्ञान शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता पर प्रभाव—एक अध्ययन ।

(5) श्रव्य दृश्य और शिक्षा प्रसार विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

1—वाराणसी मण्डल के सभी जनपदों के राजकीय ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थिति के सम्बन्ध में सर्वेक्षण ।

2—उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक, जो श्रव्य दृश्य शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण प्राप्त हैं, के द्वारा कक्षा शिक्षण में उपादानों के प्रयोग के सम्बन्ध में दो जनपदों के विद्यालयों का अध्ययन ।

3—प्रदेश के कतिपय जनपदों के प्रधानाध्यापकों द्वारा श्रव्य दृश्य शिक्षा के उपादानों का कक्षा शिक्षण में किस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है इस सम्बन्ध में एक अध्ययन किया गया ।

(6) मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग, उत्तर, प्रदेश, इलाहाबाद

1—राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, 1993 के अन्तिम रूप से चयनित छात्रों की व्यक्तित्व सम्बन्धी विशेषताओं का अध्ययन ।

2—5–10 वर्ष तक के बच्चों की सामान्य मानसिक योग्यता तथा कुछ विशिष्ट मानसिक योग्यता वाले बच्चों के विकास की गति को जानना तथा तदनुकूल बालकों की शिक्षा व्यवस्था –एक अध्ययन ।

3—सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल की प्रवृत्ति का अध्ययन ।

(7) पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन विभाग

1—उत्तर भारत के प्रमुख राज्यों में प्रचलित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम और परीक्षा व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन ।

2—बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित तथा मान्यता प्राप्त विद्यालयों के अधिगम स्तर के मूल्यांकन का तुलनात्मक अध्ययन ।

3—राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में राजकीय विद्यालयों के प्रतिभावान छात्रों की सहभागिता व समर्थन सम्बन्धी विचार गोष्ठी ।

4—मन्द बुद्धि बालकों की समस्यायें, निदान एवं उपचार विषयक विचार गोष्ठी ।

(8) व्यवसायपरक शिक्षा विभाग

व्यावसायिक शिक्षा एक अध्ययन पर प्रारम्भिक कार्यवाही की जा रही है ।

(9) शैक्षिक प्रशासन और नियोजन विभाग

1—शैक्षिक प्रशासन की दृष्टि से शैक्षिक उन्नयन के लिये विशावाद ।

2—विभिन्न प्रदेशों की राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा किये गये नवाचारात्मक कार्यों का संकलन ।

ग—प्रकाशन—

(1) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग (राज्य शिक्षा संस्थान), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

1—"सभी के लिये शिक्षा" हेतु प्रशिक्षण पैकेजों का प्रकाशन ।

2—जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कैलेण्डर, चित्र कथाओं, एकांकी नाटकों तथा चेतना का प्रकाशन ।

3—पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना की वर्ष 1983–90 तक की आख्या ।

4—खेल मंजूषा, गीत मंजूषा, कला मंजूषा का प्रकाशन तथा कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तकाधारित पाठ शिक्षण निर्देशिका का लेखन कार्य पूर्ण किया गया ।

5—क्षेत्र सघन शिक्षा परियोजना से सम्बन्धित बालिकाओं की शिक्षा आवश्यक क्यों, सबके लिये शिक्षा एवं शिक्षा के लिये सब विषयक फोल्डर, प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के प्रशिक्षण पैकेज तथा परियोजना के तिमाही समाचार-पत्र का प्रकाशन किया गया ।

6—पर्यावरणीय शिक्षा के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तरीय पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, बच्चों के लिये कार्य पुस्तिकाओं, लघु पुस्तिका, सामान्य ज्ञान पुस्तिका तथा पोस्टर्स प्रकाशित किये गये ।

7—प्रारम्भिक स्तरीय राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तक लेखन की शृंखला में कक्षा 8 के लिये हमारा भू-मण्डल, कृषि विज्ञान, स्काउट और गाइड (कक्षा 6, 7, 8) तथा भारत की महान विभूतियां नामक चार पाठ्य-पुस्तकों का लेखन कार्य किया गया । इसके अतिरिक्त बेसिक उर्दू रीडर, कक्षा 2 तथा बेसिक उर्दू रीडर

कक्षा-4 का लेखन कार्य तथा बाल अंकगणित कक्षा-2 एवं बाल अंकगणित कक्षा-4, हमारी दुनिया हमारा समाज कक्षा-4 व विज्ञान आओ करके सीखें कक्षा-4 विषयक राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों का हिन्दी से उर्दू भाषा में अनुवाद किया गया।

(2) हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग (राज्य हिन्दी संस्थान), उ0 प्र0, वाराणसी

1--संस्थान के त्रैमासिक प्रकाशन "वाणी" पत्रिका के चार अंकों का प्रकाशन किया गया।

2--हिन्दी भाषी छात्रों के लिए नेपाली तथा डोगरी विषयक कविताओं का नागरी लिपि में प्रकाशन।

3--हिन्दी-तमिल लघु शब्द कोष तथा हिन्दी-कन्नड़ लघु शब्द कोष का प्रकाशन किया गया है।

(3) अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषा विभाग (अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान), उ0 प्र0, इलाहाबाद

1--गाइडेन्स फार टीचिंग राइटिंग ऐट जूनियर हाई स्कूल स्टेज।

2--जूनियर हाई स्कूल स्तर पर रिपोर्टिंड स्पीच का शिक्षण।

(4) मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग (राजकीय सी0 पी0 आई0) उ0 प्र0, इलाहाबाद

1--परिषद के विभिन्न विभागों द्वारा कृत शोध कार्यों का सम्पादित पुस्तिका "चिन्तन" का पांचवां और छठवां संस्करण प्रकाशित हुआ।

2--अभिप्रेरण-द्वितीय पुष्प

3--माध्यमिक विद्यालयों के प्रोन्नति प्रधानों का अकादमिक, प्रबंधकीय एवं विकासात्मक अभिनवीकरण-विवरणिका।

4--तरुण शिक्षक--द्वितीय पुष्प

5--समुदाय में कार्य सम्बन्धी शिक्षक प्रशिक्षक संदर्शिका।

6--सामाजिक विज्ञान के समवेत पाठ्यक्रम सम्बन्धी कार्यशाला की आख्या।

7--सूक्ष्म शिक्षण, शिक्षक-प्रशिक्षण संदर्शिका।

8--सामाजिक विज्ञान विषयक पाठ्यक्रम का कक्षा 9 और 10 के लिए विभाजन।

9--एल0 टी0 परीक्षा के अन्तर्गत कक्षा शिक्षण के मानकों का निर्धारण।

10--व्यावसायिक शिक्षा सर्वेक्षण आख्याएं।

(5) विज्ञान और गणित विभाग (राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान), उ0 प्र0, इलाहाबाद

1--राज्य विज्ञान संगोष्ठी, 1994 विवरणिका।

2--राज्य विज्ञान प्रदर्शनी, 1994 विवरणिका।

3--प्राथमिक स्तरीय गणित प्रशिक्षण साहित्य।

4--जूनियर हाई स्कूल स्तरीय विज्ञान प्रशिक्षण साहित्य।

(6) श्रव्य दृश्य और शिक्षा प्रसार विभाग, उ0 प्र0, इलाहाबाद

1--विभाग के त्रैमासिक प्रकाश "नव ज्योति" के चार अंक में से दो अंक प्रकाशित हो चुके हैं।

2--लोक साहित्य निर्माण हेतु चयनित चार पुस्तकों में से एक श्रीमद् भागवत गीता की शिक्षाप्रद कहानियां भाग-2 प्रकाशनाधीन है।

3--विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों की अनुश्रवण विधियों का निर्धारण, सुझाव एवं सुधार विषयक पुस्तिका प्रकाशन की प्रक्रिया में है।

4--जन जागरण कार्यक्रम हेतु विभिन्न शोधक एवं राष्ट्रीय संदेशों को दृष्टिगत रखकर फोल्डर्स, हैण्डशीट, बुकलेट प्रकाशनाधीन हैं।

(7) मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग, उ0 प्र0, इलाहाबाद

1--आपका बालक (त्रैमासिक)

2--व्यावसायिक सूचना (त्रैमासिक)

3--मनोविज्ञान शाला--एक परिचय (कीलर)

4--उत्कर्ष

(8) पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन विभाग

1--उत्तर भारत के प्रमुख राज्यों में प्रचलित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम और परीक्षा व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन।

2--बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित तथा मान्यताप्राप्त विद्यालयों के अधिगम स्तर के मूल्यांकन का तुलनात्मक अध्ययन।

(9) व्यावसायिक शिक्षा विभाग

1--व्यावसायिक शिक्षा सर्वेक्षण की आख्या ।

2--व्यावसायिक शिक्षा एक अध्ययन की आख्या के प्रकाशन की कार्यवाही प्रगति पर है ।

(10) शैक्षिक प्रशासन और नियोजन विभाग

1--शैक्षिक प्रशासन की दृष्टि से शैक्षिक उन्नयन के लिए दिशाबोध की आख्या--

2--विभिन्न प्रदेशों की राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों द्वारा किये गये नवाचारात्मक कार्यों का संकलन की आख्या ।

(घ) कार्यशाला-गोष्ठी--

1--प्रारम्भिक शिक्षा विभाग (राज्य शिक्षा संस्थान), उ० प्र०, इलाहाबाद

1--प्रदेश के विभिन्न डायट/दीक्षा विद्यालयों के शिक्षक से क्रियात्मक अनुसंधान सम्बन्धी पत्रक निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई ।

2--पाठ्य पुस्तक के लेखन की विधि तथा उसमें सुधार, प्राथमिक शिक्षा के गुणात्मक सुधार में शिक्षण प्रशिक्षण की भूमिका तथा सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य समस्यायें एवं समाधान से सम्बन्धित विचार गोष्ठियां आयोजित की गई जिनमें प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत लेखन शिक्षाविद् शिक्षक प्रशिक्षक एवं शिक्षकों ने प्रतिभाग किया ।

3--जनसंख्या शिक्षा को अवधारणा को सार्थकता प्रदान करने की दृष्टि से हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट स्तर की पाठ्य पुस्तकों के लेखन की दिशा में सुधार हेतु कार्यशाला आयोजित की गई ।

4--अनौपचारिक शिक्षा हेतु जनसंख्या शिक्षा से सम्बन्धों पर आधारित पंच तंत्र कथाओं, एकांकी नाटकों, कैलेण्डर तथा लोगोज का विकास से सम्बन्धित कार्यशालाएं सम्पन्न की गई ।

5--पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत वार्तालाप चार्ट, गीत मंजूषा, कथा मंजूषा के सम्पादन हेतु कार्यशालाएं आयोजित की गई । उक्त परियोजना के प्रसार की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित भी किया गया ।

6--पूर्व प्राथमिक शिक्षा की अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए कक्षा-1 की भाषा, गणित व पर्यावरण पर आधारित पाठ संकेत निर्देशिका तैयार करने हेतु कार्यशाला आयोजित की गई ।

7--क्षेत्र सघन शिक्षा परियोजना के अंतर्गत कार्यक्रमों के निर्धारण संचालन, शिक्षण सामग्री के विकास तथा सर्वेक्षिका आदि लिखने की दृष्टि से विभिन्न कार्यशालाएं विचार गोष्ठियां सम्पादित की गई । इसके अतिरिक्त स्वैच्छिक संगठनों एवं प्रचार माध्यमों को ग्राम स्तर पर जागरूकता उत्पन्न करने हेतु बैठकें तथा उपयुक्त समन्वयन लाने की दृष्टि से विकास खण्ड, जनपद तथा राज्य स्तरीय बैठकें आहूत की गई तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया ।

8--पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तरीय पर्यावरणीय शिक्षा का पाठ्यक्रम सामग्री तथा कार्य पुस्तिकाओं के निर्माण हेतु कार्यशालाएं आयोजित की गई ।

9--क्षेत्र सघन शिक्षा परियोजनान्तर्गत प्रशिक्षण पैकेज निर्माण हेतु तथा मूल्यांकन उपकरणों के विकास हेतु कार्यशाला आयोजित की गई ।

19--राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तक लेखन तथा उर्दू की पुस्तकों के अनुवाद करने हेतु कार्यशालाओं की श्रृंखला आयोजित की गई ।

11--प्रदेश के प्रारम्भिक स्तरीय शिक्षा क्षेत्र के राज्य/राष्ट्र पुरस्कार प्राप्त अध्यापकों की संगोष्ठी का आयोजन किया गया ।

2--हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग (राज्य हिन्दी संस्थान) उ० प्र०, वाराणसी

1--हिन्दी शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु कुमायूं मण्डल के माध्यमिक विद्यालयों के 120 हिन्दी प्रवक्ताओं की संगोष्ठी तीन चक्रों में आयोजित की गई ।

2--प्राथमिक स्तर पर हिन्दी भाषा का न्यूनतम अधिगम स्तर निर्धारित करने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

3--कक्षा 8 की राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तक के पुनर्लेखन हेतु चार कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

4--प्राथमिक शिक्षकों के विशेष अनुस्थापन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत संदर्भदाता शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु सात दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न की गई।

3--अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषा विभाग (अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान), उ0 प्र0, इलाहाबाद

1--एल0टी0 परीक्षा के अन्तर्गत सत्रीय कार्य के मानकों के निर्धारण सम्बन्धी कार्यशाला आयोजित की गई।

2--कक्षा 9 एवं 12 के बालकों से सामाजिक विज्ञान विषय के परीक्षाफल में गुणात्मक सुधार लाने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया।

4--मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग (राजकीय सी0 पी0 आई0), इलाहाबाद

1--एल0टी0 परीक्षा के अंतर्गत सत्रीय कार्य के मानकों के निर्धारण सम्बन्धी कार्यशाला आयोजित की गई।

2--कक्षा 9 एवं 12 के बालकों के सामाजिक विज्ञान विषय के परीक्षाफल में गुणात्मक सुधार लाने के आशय से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया।

5--विज्ञान और गणित विभाग (राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

1--प्राथमिक स्तरीय अध्यापकों के लिए गणित विषय के शिक्षण हेतु साहित्य का विकास सम्बन्धी दो कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

2--जू0 हा0 स्कूल स्तरीय अध्यापकों हेतु विज्ञान के शिक्षण साहित्य का विकास सम्बन्धी कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

3--राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तक लेखन की श्रृंखला में गणित व विज्ञान विषयक पुस्तक लेखन हेतु कार्य-शालाएं आहूत की गईं।

6--श्रव्य दृश्य और शिक्षा प्रसार विभाग, उ0 प्र0, इलाहाबाद

1--विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के अनुश्रवण को विधि निर्धारण विषयक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

2--अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय ग्रामीण पुस्तकालयों की भूमिका तथा उन पुस्तकालयों की स्थिति में सुधार हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया।

3--अनौपचारिक शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु "सुनो-गुनो" आडियो कैसेट निर्माण सम्बन्धी कार्यशाला सम्पन्न की गई।

4--राजकीय ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थिति में सुधार करने से सम्बन्धित वाराणसी जनपद के उप विद्यालय निरीक्षकों और अनौपचारिक शिक्षा परियोजना अधिकारियों का विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया।

7--मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग, उ0 प्र0, इलाहाबाद

1--राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा की नवीन योजना के अन्तर्गत शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण प्रश्न-पत्र निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई।

2--वृत्ति नियोजन के संदर्भ में माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक सूचना की उपलब्धता के स्रोत पर उसका सम्वर्धन सम्बन्धी विचार गोष्ठी का आयोजन तथा प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के नामांकन की वर्तमान स्थिति तथा उसमें सुधार के उपाय विषयक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

3--मन्द बुद्धि बालकों की समस्याएं, उनके निदान एवं उपचार हेतु कार्यशाला आयोजित की गई।

4--माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन का स्वरूप, समस्याएं और समाधान विषयक गोष्ठी आयोजित की गई।

8--पाठ्यक्रम का मूल्यांकन विभाग

1--प्राथमिक स्तरीय शिक्षा में न्यूनतम अधिगम स्तर को लागू करने और उससे सम्यक् लाभ प्राप्त करने के उपायों को प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर-अवधारणा स्मरण तथा कार्यान्वयन विषयक गोष्ठी आयोजित की गई।

2--बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करने की संकल्पना के आधार, प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के नामांकन की वर्तमान स्थिति तथा उसमें सुधार के उपाय विषयक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

17

DOC, No

Date

9—व्यवसायपरक शिक्षा विभाग

1—व्यावसायिक शिक्षा की संशोधित मूल्यांकन विधा के परिप्रेक्ष्य में आदर्श प्रश्न-पत्रों के निर्माण सम्बन्धी कार्यशाला आयोजित की गई।

2—व्यावसायिक शिक्षा सर्वेक्षण के आलोक में व्यावसायिक शिक्षा का निर्धारण सम्बन्धी विचार गोष्ठी आयोजित की गयी।

10—शैक्षिक प्रशासन और नियोजन विभाग

1—संविधान के 73-74वें संशोधन के संदर्भ में बेसिक शिक्षा अधिनियम में संशोधन की संभावनाओं पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई।

2—माध्यमिक शिक्षा के निजीकरण के सम्बन्ध में सहयोग की संभावनाओं पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

अन्य विभागों के अन्य विशिष्ट कार्यक्रम

विज्ञान और गणित विभाग, राज्य शिक्षा संस्थान, उ0 प्र0, इलाहाबाद—

यह संस्थान राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष राज्य विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन करता है। इस वर्ष का विषय 'जनसंख्या एक साधन या एक बोझ' था इसके अतिरिक्त संस्थान राज्य विज्ञान प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया जिसका मुख्य विषय 'सबके लिए विज्ञान और स्वास्थ्य' है।

1—मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग उ0 प्र0, इलाहाबाद—

1—सामूहिक निर्देशन के अन्तर्गत अकादमिक और व्यावसायिक शिक्षा धारा परीक्षण माला का मानकीकरण और मैनुअल रचना संशोधित सम्बन्धी कार्य किया गया।

2—प्रदेश के स्पोर्ट्स कालेजों लखनऊ, गोरखपुर, फैजाबाद और देहरादून तथा उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, लखनऊ के प्रशिक्षणार्थियों के चयन में मनोवैज्ञानिक परीक्षण हेतु सहयोग प्रदान किया।

3—प्रदेश के प्रशिक्षण महाविद्यालयों के एल0 टी0 सी0 टी0 सी0 पी0 एड0 तथा डी0 पी0 एड0 में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया मण्डलीय मनोवैज्ञानिक केन्द्रों द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया।

4—प्रदेश के विभिन्न जनपदों हेतु पी0 ए0 सी0 के कान्स्टेबिलों, उपनिरीक्षकों तथा फायर बिग्रेड और मोटर ड्राइवर्स के मनोवैज्ञानिक परीक्षण में मण्डलीय मनोवैज्ञानिक केन्द्रों के विशेषज्ञों को सहयोग प्रदान किया।

2—श्रव्य दृश्य और शिक्षा प्रसार विभाग, उ0 प्र0, इलाहाबाद—

युग प्रवर्तक विद्युत शक्ति, लघु फिल्म का निर्माण आदिवासी गीतों के कैसेट तथा अनौपचारिक शिक्षा के पाठों के कैसेट निर्माणाधीन हैं।

1—सबके लिए शिक्षा वातावरण सृजन—

प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा में नामांकन वृद्धि, गुणवत्ता, संवर्द्धन और समुदाय की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदेश के 5 जनपदों—लखनऊ, बाराबंकी, सिद्धार्थनगर, मिर्जापुर और अल्मोड़ा में शिक्षा के प्रति जागरुकता उत्पन्न करने और 6 से 14 वय वर्ग के बच्चों को विद्यालय भेजने तथा 6 वर्ष की आयु के सभी बालक-बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश दिलाने के उद्देश्य से वातावरण सृजन कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य नारा सबके लिए शिक्षा और शिक्षा के लिए सब' रखा गया।

निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश, जनपद, विकास खण्ड और विद्यालय संकुल स्तर पर अधिकारियों, शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों, शैक्षिक संगठनों के अभिकर्मियों तथा समुदाय के प्रतिनिधियों को 20 मई से 30 जून, 1994 तक प्रशिक्षित किया गया। इस प्रशिक्षण के लिए 4 प्रकार के प्रशिक्षण पैकेज तैयार किए गए। इस कार्यक्रम के संचालन में जन जागरण के लिए संचार माध्यमों का भी सहयोग लिया गया, इस प्रशिक्षण में पांचों जनपदों के 64 विकास खण्डों के 11443 गांवों को आच्छादित किया गया। इन जनपदों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार यह तथ्य उभर कर आया है कि कार्यक्रम का जन मानस पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है और छात्र नामांकन में वृद्धि हुई है।

2—शिक्षक अभिप्रेरण—

शिक्षा में गुणात्मक सुधार के कार्य की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी शिक्षक है। प्राथमिक शिक्षकों को इस दिशा में अभिप्रेरित करने और अपने दायित्वों का पूर्ण निष्ठा और समर्पण से निर्वहन करने का बोध कराने के लिए यूनीसेफ और प्राथमिक शिक्षक संघ के सहयोग से प्रदेश के सभी प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए 'शिक्षक संकल्प' नामक पोस्टर का विकास किया गया। शिक्षक दिवस 5 सितम्बर 1994 को माननीय मुख्य

मंत्री की अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजित समारोह में 10 हजार शिक्षकों ने संकल्प लिया। प्रदेश के 95 हजार विद्यालयों को पोस्टर की प्रति उपलब्ध करायी गई। कार्यक्रम के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए जनसंचार माध्यमों का भी सहयोग लिया गया।

3—शिक्षक शिक्षा में गुणात्मक संवर्द्धन—

प्रारम्भिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए इनसे सम्बन्धित शिक्षक को नवीन आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के आलोक में प्रशिक्षित करने, नवीन शैक्षिक तकनीकी तथा नवाचारों के ज्ञान को उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। इस योजना के अन्तर्गत 40 जनपद में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जा चुकी है और 22 जनपदों में इन संस्थानों की स्थापना प्राथमिकता के आधार पर करने की कार्यवाही चल रही है।

इन संस्थानों में सेवापूर्व और सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के साथ अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा के अभिकर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस वर्ष लगभग 10 हजार शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।

4—प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन—

भारत सरकार की योजना के अनुसार आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के 2,77,456 प्राथमिक शिक्षकों को चरणबद्ध रूप में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपरेशन ब्लैक बोर्ड, भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं विषयों के न्यूनतम अधिगम स्तर तथा शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग पर विशेष बल दिया गया है।

इस वर्ष 74,700 प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए 85 "की पर्सन्स" तथा 625 "रिसोर्स पर्सन्स" को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण साहित्य का विकास तथा प्रकाशन भी कराया जा चुका है।

5—विश्व बैंक पोषित सभी के लिए शिक्षा परियोजना—

उक्त परियोजना प्रदेश के 10 जनपदों में क्रियान्वित है। इसके प्रबन्ध प्रशिक्षण तथा पर्यवेक्षण का दायित्व राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को दिया गया है।

परियोजना के सुचारु क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण पैकेजों का निर्माण किया गया। परिषद् के 40 मास्टर ट्रेनर्स में एम० सी० ई० आर० टी०, नई दिल्ली में प्रशिक्षण प्राप्त किया। इन मास्टर ट्रेनर्स द्वारा 327 बी० आर० सी० संदर्भदाताओं को प्रशिक्षित किया गया। इसके बाद ब्लाक संदर्भ केन्द्रों पर प्राथमिक शिक्षकों को सेवारत प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

इसके अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालयों में नवनियुक्त शिक्षकों के इन्सेन्टिव कोर्स के लिए प्रशिक्षण पैकेज का निर्माण किया जा चुका है।

6—बेस लाइन स्टडी—

बाराबंकी और गोरखपुर जनपद में बेस लाइन स्टडी का कार्य परिषद् को सौंपा गया। इस स्टडी के लिए प्रस्ताव का निर्माण कर विश्व बैंक को भेजा जा चुका है। अध्ययन के उपकरणों का प्रकाशन कराया गया तथा सर्वेक्षण कार्य किया गया।

8—स्टेट जर्नल का प्रकाशन—

सभी के लिए शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार तथा शैक्षिक वातावरण निर्माण के लिए "संकल्प" नामक मासिक का प्रकाशन जनवरी, 1994 से प्रारम्भ किया गया है।

8—पर्यावरण शिक्षा—

छात्रों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरुकता पैदा करने के लिए प्रदेश सरकार ने एक व्यापक योजना बनायी है। इस योजना के अन्तर्गत पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री का निर्माण शिक्षक प्रशिक्षण, छात्राओं के लिए शैक्षिक भ्रमण का आयोजन स्मारकों पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन ग्रामीण पर्यावरण संतुलन आदि बिन्दुओं को सम्मिलित किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए सरकार द्वारा 13,38,600 की धनराशि स्वीकृत की गयी है। परियोजना का संचालन झांसी मण्डल में किया जा रहा है।

9—न्यूनतम अधिगम स्तर कार्यक्रम—

प्रदेश के उन्नाव जनपद के नवाबगंज विकास खण्ड तथा लखनऊ जनपद के सरोजनीनगर विकास खण्ड में न्यूनतम अधिगम स्तर कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इन दोनों विकास खण्डों के सभी प्राथमिक शिक्षकों को भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन विषयों के कक्षा 1 से 5 तक के पाठ्यक्रम में न्यूनतम अधिगम स्तरों तथा बाल केन्द्रित क्रियाधारित शिक्षण के लिए प्रशिक्षित किया गया। इस वर्ष लखनऊ जनपद के मिनहु

विकास खण्ड में योजना क्रियान्वित की गई। इसके अन्तर्गत इन विकास खण्ड के शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। छात्रों की अधिगम उपलब्धि के सही परीक्षण हेतु प्रश्न बैंक का निर्माण किया गया।

10—उर्दू शिक्षक प्रशिक्षण—

उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान कर उसकी शिक्षा का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया है। इसके लिए प्रदेश में चार उर्दू प्रशिक्षण संस्थायें निर्धारित की गई है। इन संस्थाओं में वर्तमान 60 के स्थान पर 200 सीटों की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही साथ उर्दू शिक्षकों के सेवारत प्रशिक्षण के लिए परिषद द्वारा जिला शिक्षा सेवारत प्रशिक्षण संस्थानों के उर्दू अध्यापक का संदर्भदाता प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण के पश्चात् उर्दू शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की योजना है।

(ख) राजकीय दीक्षा विद्यालय—

प्रारम्भिक विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षक सुलभ कराने हेतु जिला शिक्षा और शिक्षण संस्थानों के अतिरिक्त प्रदेश में सम्प्रति 68 पुरुष और महिला राजकीय दीक्षा विद्यालय कार्यरत हैं।

पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धि को ध्यान में रखकर बी० टी० सी० प्रशिक्षण विद्यालयों की प्रवेश संख्या में निम्नलिखित संशोधन किया गया है :

जनपद	पुरुष	महिला	अतिरिक्त सीट	योग
नैनीताल	20	40	..	60
अल्मोड़ा	40	60	..	100
पिथौरागढ़	40	60	..	100
चमोली	50	70	110	230
पौड़ी	50	60	130	240
टिहरी	40	60	230	330
उत्तरकाशी	30	50	100	180
देहरादून	20	30	..	50

मैदानी क्षेत्र के जनपदों में पुरुष दीक्षा विद्यालयों में 20, महिला दीक्षा विद्यालयों में 30, इकाईयों में 15 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिये जाने का प्राविधान है।

इसके अतिरिक्त सी० टी० प्रशिक्षण के लिये निम्नलिखित विद्यालय कार्यरत हैं।

1—राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद।

2—राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय, आगरा।

3—राजकीय गृह विज्ञान प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद।

इन विद्यालयों में क्रमशः 34, 30 और 35 अभ्यर्थी प्रतिवर्ष प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

प्रारम्भिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा में शिक्षकों को सुलभ कराने के लिये सी० पी० एड० प्रशिक्षण की निम्नलिखित व्यवस्था है—

1—राजकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद।	25
2—राजकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय, रामपुर।	50
3—क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ।	51
4—गांधी स्मारक शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय, समोधपुर, जौनपुर।	50

(ग) एल० टी० प्रशिक्षण महाविद्यालय—

माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों को प्रशिक्षित कराने हेतु 5 राजकीय तथा 8 अशासकीय एल० टी० प्रशिक्षण महाविद्यालय कार्यरत हैं। इन विद्यालयों की प्रवेश क्षमता निम्नवत् है :

1—राजकीय केन्द्रीय अध्यापक विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद	80
2—राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद	80

3--राजकीय महिला गृह विज्ञान प्रशिक्षण महा विद्यालय, इलाहाबाद	30
4--राजकीय बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, वाराणसी	100
5--राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ	155
6--के0 पी0 प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद	100
7--किशोरी रमण प्रशिक्षण महाविद्यालय, मथुरा	80
8--डी0 ए0 वी0 प्रशिक्षण महाविद्यालय, कानपुर	100
9--सकलडीहा प्रशिक्षण महाविद्यालय, वाराणसी	100
10--दिग्विजयनाथ प्रशिक्षण महाविद्यालय, गोरखपुर	120
11--किसान प्रशिक्षण महाविद्यालय, बस्ती	80
12--क्रिश्चियन प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ	100
13--सिटी माण्टेसरी महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ	40

क्रिश्चियन ट्रेनिंग कालेज, लखनऊ में निर्धारित कुल स्थान का 15 प्रतिशत क्रिश्चियन अभ्यर्थियों के लिये सुरक्षित हैं।

उपर्युक्त संस्थाओं में अतिरिक्त मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग, इलाहाबाद में डी0 पी0 सी0 प्रशिक्षण की व्यवस्था है, जिसमें 15 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाता है। उक्त के अतिरिक्त माध्यमिक स्तर पर उक्त शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों को उपलब्ध कराने हेतु डी0 पी0 एड0 के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। यह प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थाओं की प्रवेश क्षमता निम्नवत् है :--

1--राजकीय महिला शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद	25
2--राजकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय, रामपुर,	50
3--क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ	25

क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ में निर्धारित कुल संख्या 15 प्रतिशत स्थान क्रिश्चियन अभ्यर्थियों के लिये सुरक्षित हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

(राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद)

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास की दृष्टि से परिषद का यह विभाग सतत् रूप से प्रयासरत है। आख्यागत वर्ष 1994-95 में इस विभाग द्वारा किये गये कार्यों का विवरण निम्नवत् है :--

(क) प्रशिक्षण :--

1--प्रदेश के प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के विशेष अनुस्थापन प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 1994-95 (ए0 ओ0 पी0 टी0) अन्तर्गत सन्दर्भ व्यक्तियों, प्राथमिक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षकों को अधिगम के न्यूनतम स्तर योजना एवं प्राथमिक स्तरीय शैक्षिक निरीक्षकों को सबके लिये शिक्षा अवधारणा का बोध कराने हेतु प्रशिक्षित किया गया।

2--प्रदेश में रायबरेली, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, नैनीताल तथा झांसी जनपदों के अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अनुदेशकों तथा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 5000 शिक्षकों को उनके जनपद में स्थित डायट के माध्यम से जनसंख्या शिक्षा विषयक प्रशिक्षण आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

3--क्षेत्र सघन शिक्षा परियोजना जो मिर्जापुर जनपद के दो विकास खण्डों में संचालित की जा रही है के समस्त प्राथमिक विद्यालयीय अध्यापकों को संकुल स्तर पर अधिगम की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु बहु कक्षा शिक्षण तथा अभिलेखों एवं आकड़ों के रख रखाव के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। क्षेत्र के कतिपय अग्रणी विद्यालयों के समस्त अध्यापकों को पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण तथा नवीन कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समन्वयकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

4--आगामी वर्ष में मिर्जापुर जनपद के तीन अन्य विकास खण्डों के 548 गांवों में परियोजना के विस्तार हेतु सामाजार्थिक व शैक्षिक पहलुओं का अध्ययन करने सम्बन्धी आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने आदि का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

5--पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत [illegible] के प्रत्येक जनपद में कार्यरत डायट के शिक्षक प्रशिक्षकों के माध्यम से प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के दो सौ शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। उक्त परिप्रेक्ष्य में जनपदों में विशेष चेतना अभियान चलाकर जन सामान्य को पर्यावरणीय शिक्षा सम्बोध से अवगत कराया गया।

(ख) कार्यशाला/गोष्ठी--

वर्ष 1994-95 में संस्थान द्वारा आयोजित कार्यशालाएं/गोष्ठियां

1--प्रदेश के विभिन्न डायट/दीक्षा विद्यालयों के शिक्षक प्रशिक्षकों की सहायता से क्रियात्मक अनुसन्धान सम्बन्धी पत्रक निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई। पाठ्य पुस्तकों के लेखन की विधि तथा उसमें सुधार, प्राथमिक शिक्षा के गुणात्मक सुधार में शिक्षक प्रशिक्षण की भूमिका तथा सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य-समस्यायें एवं समाधान से सम्बन्धित विचार गोष्ठियां आयोजित की गयी। जिनमें प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत लेखक, शिक्षा विद्, शिक्षक प्रशिक्षक एवं शिक्षकों ने प्रतिभाग किया।

2--जनसंख्या शिक्षा की अवधारणा को सार्थकता प्रदान करने की दृष्टि से हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट स्तर की पाठ्य पुस्तकों के लेखन की विधा में सुधार हेतु कार्यशाला आयोजित की गयी। अनौपचारिक शिक्षा हेतु जनसंख्या शिक्षा के सम्बोधों पर आधारित पांच चित्र कथाओं, एकांकी नाटकों, केलेण्डर तथा लोगोज का विकास से सम्बन्धित कार्यशालाएं भी आयोजित की गयीं।

3--पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत वार्तालाप चार्टस, गीत, मंजूषा तथा मंजूषा के सम्पादन हेतु कार्यशालाएं आयोजित की गयीं। उक्त-परियोजना के प्रसार की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

4--क्षेत्र सघन शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत कार्यक्रमों के निर्धारण, संचालन, शिक्षण सामग्री के विकास तथा संदर्शिका आदि लिखने की दृष्टि से विभिन्न कार्यशालाएं/विचार गोष्ठियां सम्पादित की गयी। इसके अतिरिक्त स्वैच्छिक संगठनों एवं प्रचार माध्यमों को ग्राम स्तर पर जागरूकता उत्पन्न करने हेतु बैठकें तथा उपयुक्त समन्वयन लाने की दृष्टि से विकास खण्ड, जनपद तथा राज्य स्तरीय बैठकें आहूत की गयीं।

5--पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तरीय पर्यावरणीय शिक्षा का पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री तथा कार्य पुस्तिकाओं के निर्माण हेतु कार्यशालाएं आयोजित की गयीं।

6--राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तक लेखन तथा उर्दू की पुस्तकों के अनुवाद करने हेतु कार्यशालाओं की श्रृंखला आयोजित की गयी।

7--प्रदेश के प्रारम्भिक स्तरीय शिक्षा क्षेत्र के राज्य/राष्ट्र पुरस्कार प्राप्त अध्यापकों की संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

(ग) शोध/अध्ययन/सर्वेक्षण--

1--जनसंख्या शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ में वितरित शैक्षणिक सामग्री के उपयोग की प्रभाव कारिता का अध्ययन।

2--हाई स्कूल स्तरीय पाठ्यक्रम में योग शिक्षा को लागू करने के प्रति अध्यापकों, अभिभावकों एवं छात्रों की अभिवृत्ति का अध्ययन।

3--प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश हेतु निर्धारित आयु वर्ग के कुल उपलब्ध बच्चों के सापेक्ष नामांकन की स्थिति।

4--प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा एक से पांच तक के स्तर की किसी कक्षा से बीच में पढ़ाई छोड़ देने तथा पढ़ाई प्रारम्भ न करने से सम्बन्धित समस्या का विश्लेषणात्मक अध्ययन।

5--प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के अध्यापकों द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि का मूल्यांकन-एक अध्ययन।

6--प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन, धारण क्षमता तथा सम्प्राप्ति पर शिक्षिकाओं की उपलब्धता के प्रभाव का अध्ययन।

7--विद्यालयोन्मुखी शिक्षण की प्रभावात्मकता का एक अध्ययन।

(घ) प्रकाशन (1994-95)--

1--सभी के लिए शिक्षा हेतु प्रशिक्षण पैकेजों का प्रकाशन।

2--जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कैलेण्डर, चित्र, कथाओं, एकांकी, नाटकों तथा चेतना का प्रकाशन।

3--पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना को वर्ष 1983-90 तक को आख्या ।

4--खेल मंजूषा, गीत मंजूषा, कला मंजूषा का प्रकाशन ।

5--क्षेत्र सघन शिक्षा परियोजना से सम्बन्धित बालिकाओं की शिक्षा आवश्यक क्यों सबके लिए शिक्षा एवं शिक्षा के लिए सब विषयक फोल्डर, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के प्रशिक्षण पैकेज तथा परियोजना का तिमाही समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया ।

6--पर्यावरणीय शिक्षा के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तरीय पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, बच्चों के लिए कार्य पुस्तिकाओं, लघु पुस्तिका, सामान्य ज्ञान पुस्तिका तथा पोस्टर्स प्रकाशित किए गये ।

7--प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय कृत पाठ्य पुस्तक लेखन की शृंखला में कक्षा 8 के लिये हमारा भूमण्डल, कृषि विज्ञान, स्काउट और गाइड (कक्षा 6, 7, 8) तथा भारत की महान विभूतियां नामक चार पाठ्य पुस्तकों का लेखन कार्य किया । इसके अतिरिक्त बेसिक उर्दू रीडर कक्षा-2 तथा बेसिक उर्दू रीडर कक्षा-4 का लेखन कार्य तथा बाल अंकगणित कक्षा-2 एवं बाल अंकगणित कक्षा-4, हमारी दुनियां हमारा समाज कक्षा-4 व विज्ञान आओ करके सीखें कक्षा-4 विषयक राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों का हिन्दी से उर्दू भाषा में अनुवाद किया गया ।

8--उत्तर प्रदेश की शिक्षा सांख्यिकी (तुलनात्मक एवं प्रगति दर्शन) वर्ष 1994 का प्रकाशन ।

5--विज्ञान किट निर्माणशाला, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद--

जर्मन गणराज्य की सहायता से विज्ञान किट निर्माणशाला, उ० प्र० की स्थापना राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, उ० प्र० के विज्ञान और गणित विभाग, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, उ० प्र०, इलाहाबाद में की गई है । इसमें प्राथमिक विद्यालयों हेतु प्राथमिक विज्ञान किटो का उत्पादन किया जाता है । एन० सी० ई० आर० टी० पैटर्न के कुल 585 प्राथमिक किट विज्ञान का उत्पादन/एसेम्बली किया गया, जिसमें से अब तक प्रदेश के 28 डायट केन्द्रों को कुल 122 किटें तथा विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत कार्यरत विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, अलीगढ़ को 17 किटों की आपूर्ति की गई । सम्प्रति शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ० प्र० के निर्देशानुसार फरवरी 1993 से रु० 600 के अन्तर्गत लघुप्राथमिक विज्ञान किट के उत्पादन प्रारम्भ किया गया । वर्ष 1994-95 में माह अप्रैल, 1994 से सितम्बर 1994 तक 167 प्राथमिक किट का उत्पादन पूर्ण किया गया । माह अक्तूबर 1994 से मार्च 1995 तक 200 प्राथमिक विज्ञान किट का उत्पादन पूर्ण कर लिया जायेगा ।

---0---

अध्याय--7

दक्षिण भारतीय एवं अन्य अहिन्दी भाषी क्षेत्रों की राज्य भाषाओं की शिक्षा

शिक्षा के माध्यम से उत्तर-दक्षिण की दूरी कम करने एवं भाषायी भेदभाव मिटाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने प्रदेश में दक्षिण भाषाओं के शिक्षण के व्यवस्था प्रदेश के आठ राजकीय इण्टर कालेजों एवं एक गैर-सरकारी संस्था के माध्यम से कर रखी है । इस प्रकार की कक्षाओं का संचालन राजकीय इण्टर कालेज, मेरठ, अलीगढ़, कानपुर, गोरखपुर, बरेली, झांसी, इलाहाबाद तथा वाराणसी में किया जाता है । इसके अतिरिक्त लखनऊ में मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी लखनऊ में तमिल एवं तेलगू भाषाओं के उच्च अध्ययन की व्यवस्था की गयी है । इस प्रयोजन हेतु सोसाइटी को आवर्तक एवं अनावर्तक अनुदान दिया जाता है । तमिल और तेलगू भाषाओं में उच्च पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रत्येक छात्र को प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेने के उपरान्त 250 रु0 तथा दूसरे वर्ष के अन्त में कोविद परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के उपरान्त 300 रु0 का पारितोषिक प्रदान किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योजना के संचालनार्थ निम्न मदों पर अनुदान स्वीकृत किया जाता है :

आवर्तक व्यय	मदें	धनराशि
		रुपया
	1--पाठ्य-पुस्तकों तथा सहायक पुस्तकों हेतु प्रति छात्र अनुदान	30.00
	2--प्रासंगिक व्यय--	
	"क" लखनऊ को छोड़कर शेष प्रत्येक केन्द्रों को प्रतिवर्ष	3000.00
	"ख" दक्षिण भारतीय भाषा विद्यालय, लखनऊ को प्रतिवर्ष	4000.00
	3--सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ इण्डियन लैंग्वेजेज मैसूर में 200 छात्रों को वर्ष में केवल एक बार दो सप्ताह का प्रशिक्षण, जिसमें एक पथ-प्रदर्शक अध्यापक भी भेजा जाता है, व्यय हेतु प्रति वर्ष	21000.00
	4--प्रत्येक सम्बन्धित भाषा के अध्यापक को--	
	"क" स्नातक योग्यता रखने वाले को मासिक भत्ता (दस माह का)	350.00
	"ख" मैट्रीकुलेट योग्यता रखने वाले अध्यापक को मासिक भत्ता (दस माह का)	250.00
	"ग" प्रत्येक केन्द्र के प्रधानाचार्य को मासिक भत्ता (दस माह का)	150.00

छात्र/छात्राओं को दो सप्ताह के लिये सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ इण्डियन लैंग्वेजेज, मैसूर में भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । साथ ही उन्हें दक्षिण भारत की संस्कृति, रीति रिवाजों, रहन-सहन का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने का भी अवसर सुलभ होता है। यह राष्ट्रीय एकता एवं सदभाव जागृत करने में एक प्रभावकारी योजना है ।

इस योजना अन्तर्गत वर्ष 1987-88 से 1990-91 तक प्रतिवर्ष आयोजनेतर बजट में 2.00 लाख रु0 का प्राविधान किया गया है, किन्तु वर्ष 1994-95 में केवल 1.00 लाख रु0 का ही प्राविधान है । प्रदेश शासन द्वारा प्रदान की गयी आर्थिक सहायता से कन्नड़ और मलयालम भाषाओं की कक्षायें भी जनवरी, 1970 से चल रही हैं । परीक्षार्थियों का 24 वां बैच रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षाएं, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा संचालित 1994 की परीक्षा में सम्मिलित हुआ ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त अहिन्दी क्षेत्रों की राज्य भाषाओं की अध्ययन अध्यापन हेतु व्यवस्था के उद्देश्य से 2 अक्तूबर, 1990 से 8 भारतीय भाषाओं तमिल, तेलगू, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, बंगला, गुजराती एवं मराठी भाषाओं के अध्ययत हेतु निम्नलिखित 8 जनपदों में 16 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 में अध्यापन प्रारम्भ किया गया है :

क्रम-संख्या	जनपद	विद्यालय का नाम	चयनित भाषा
1	2	3	4
1	कानपुर	1--राजकीय इण्टर कालेज, कानपुर	उड़िया
		2--कानपुर विद्यामन्दिर कन्या इण्टर कालेज, स्वरूप नगर, कानपुर	मलयालम
2	आगरा	3--राजकीय इण्टर कालेज, आगरा	गुजराती
		4--श्रीमती बी0 डी0 जैन कन्या इण्टर कालेज, आगरा	गुजराती

1	2	3	4
3	वाराणसी	5--क्वींस इण्टर कालेज, वाराणसी	बंगला
		6--राजकीय बालिका इण्टर कालेज, वाराणसी	बंगला
4	झांसी	7--राजकीय इण्टर कालेज, झांसी	मराठी
		8--राजकीय बालिका इण्टर कालेज, झांसी	तमिल
5	गाजियाबाद	9--सेठ मुकुंद लाल इण्टर कालेज, गाजियाबाद	बंगला
		10--रुकमणि कन्या इण्टर कालेज, मोदीनगर, गाजियाबाद	बंगला
6	लखनऊ	11--राजकीय जुबिली इण्टर कालेज, लखनऊ	तमिल
		12--राजकीय बालिका इण्टर कालेज, शाहमीना रोड, लखनऊ	कन्नड़
7	इलाहाबाद	13--राजकीय इण्टर कालेज, इलाहाबाद	मराठी
		14--जगत तारण गर्ल्स इण्टर कालेज, इलाहाबाद	कन्नड़
8	देहरादून	15--आशाराम वैदिक इण्टर कालेज, रविदास नगर, देहरादून	बंगला
		19--राजकीय बालिया इण्टर कालेक, देहरादून	तमिल

अध्याय–8

संस्कृत शिक्षा

1––स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् विगत 47 वर्षों में प्रदेश की सामान्य शिक्षा के साथ प्राच्य शिक्षा (संस्कृत) के क्षेत्र में भी उत्तरोत्तर प्रत्याशित वृद्धि एवं प्रगति हुई है । वर्ष 1982–83 तक प्रदेश में मान्यता एवं सहायता प्राप्त संस्कृत पाठशालाओं की कुल संख्या 1,100 रही । यह संख्या वर्ष 1984–85 में बढ़कर 1,220 हो गयी थी । प्रशासनिक अनियमितताओं आदि के कारण वर्ष 1985–86 में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा 430 संस्कृत पाठशालाओं की मान्यता निरस्त करने एवं सम्बद्धता वापस लेने की स्थिति के कारण इन संस्कृत पाठशालाओं की वास्तविक संख्या में अभिवृद्धि के बजाय कमी आना स्वाभाविक हो गया, फलतः इस मान्यता प्राप्त सहायिक संस्कृत पाठशालाओं की संख्या 928 ही रह गई है ।

2––उत्तर प्रदेश में कुल 928 राज्यानुदानित संस्कृत पाठशालायें हैं जो प्रथम श्रेणी (क वर्ग), द्वितीय श्रेणी (ख वर्ग), तृतीय श्रेणी (ग वर्ग) एवं चतुर्थ श्रेणी (घ वर्ग) इन चार श्रेणियों में से शासन द्वारा विभक्त हैं जिनका विवरण निम्नांकित है :

1––प्रथम श्रेणी (क वर्ग) .. 152 (एक सौ बावन) हैं ।
2––द्वितीय श्रेणी (ख वर्ग) .. 52 (बावन) हैं ।
3––तृतीय श्रेणी (ग वर्ग) .. 07 (सात) हैं ।
4––चतुर्थ श्रेणी (घ वर्ग) .. 717 (सात सौ सत्रह) हैं ।
कुल योग .. 928 (नौ सौ अट्ठाइस) हैं ।

मण्डलवार विवरण निम्नवत् हैं :––

(1) मेरठ 47
(2) आगरा 54
(3) बरेली 32
(4) इलाहाबाद 99
(5) वाराणसी 222 (2 राजकीय)
(6) लखनऊ 44
(7) गोरखपुर 176
(8) फैजाबाद 99
(9) झांसी 57
(10) मुरादाबाद 12
(11) पौड़ी 42 (6 राजकीय)
(12) नैनीताल 10
(13) कानपुर 34

928 संस्कृत पाठशालाओं के प्रधान अध्यापक/अध्यापकों एवं अन्य स्वीकृत कर्मचारियों का वेतनादि का भुगतान विधिवत् नियुक्त अध्यापकों को वेतनादि का सम्पूर्ण व्यय भार शासन द्वारा वहन किया जा रहा है ।

उत्तर प्रदेश की संस्कृत पाठशालाओं के अध्यापकों के वेतन, महंगाई भत्ता, नगर आवास भत्ता, बोनस, पुनरीक्षित वेतन, पुनरीक्षित वेतनमान का अवशेष पोषण अनुदान, पुस्तक क्रय करने सम्बन्धी अनुदान तथा जमींदारी उन्मूलन के फलस्वरूप बाटे की क्षतिपूर्ति के अनुदान आदि के मदों में विगत 5 वर्षों में निम्नांकित धनराशियां शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :––

क्रम संख्या	वर्ष	स्वीकृत धनराशि
		रु0
1	1989–90	12,27,55,000 (बारह करोड़ सत्ताइस लाख पचपन हजार)
2	1990–91	13,17,29,000 (तेरह करोड़ सत्रह लाख उन्तीस हजार)
3	1991–92	11,74,97,000 (ग्यारह करोड़ चौहत्तर लाख सतानवें हजार)
4	1992–93	17,35,89,000 (सत्रह करोड़ पैंतीस लाख नवासी हजार)
5	1993–94	21,61,08,000 (इक्कीस करोड़ इकसठ लाख आठ हजार)
6	1994–95	15,96,803 (पन्द्रह लाख छियान्वे हजार आठ सौ तीन)

संस्कृत पाठशालाओं को विकास अनुदान--

1--प्रश्नगत पाठशालाओं में कुल स्वीकृत शिक्षकों के पदों की संख्या 4430 है। प्रथम श्रेणी के 152 सहायता प्राप्त संस्कृत पाठशालाओं में 152 लिपिक तथा 152 परिचालक के पद स्वीकृत हैं।

2--वर्ष 1994-95 में आयोजनेत्तर मद में रुपया 19,53,21,000 (उन्नीस करोड़ तिरपन लाख इक्कीस हजार रुपये) का प्राविधान स्वीकृत हैं। वर्ष 1995-96 के लिये रुपया 20,75,56000 (बीस करोड़ पचहत्तर लाख छप्पन हजार रुपये मात्र) का बजट प्राधान प्रस्तावित है।

3--सहायता प्राप्त संस्कृत पाठशालाओं के अध्यापकों के लिए राजाज्ञा संख्या 151/15-8-92-3072 (स)/91, दिनांक 5 मार्च, 1992 द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान राजाज्ञा संख्या 2894/15-6-94-3072/91, दिनांक 6 अक्तूबर, 1994 द्वारा लागू किया गया है।

4--अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सहायता प्राप्त संस्कृत पाठशालाओं के शिक्षकों/शिक्षणेतर कर्मचारियों को ग्रामीण आवास भत्ता नहीं प्राप्त हो रहा था। शासन द्वारा शासनादेश संख्या 2279/15-6-94-5/(66)/86, दिनांक 23 फरवरी, 1995 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षण। शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को ग्रामीण आवास भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

5--उत्तर प्रदेश के परम्परागत संस्कृत शिक्षा के सम्मुनयन एवं विकास हेतु जिला योजना के अधीन विकास अनुदान योजना संचालित है, जिसके अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाली संस्कृत पाठशालाओं के भवन अनुदान हेतु रु0 50,000, पुस्तकालय मद में 10,000 तथा साज-सज्जा हेतु 5,000 रुपये की धनराशि दिए जाने की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 1994-95 में इस योजना के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्रों में संस्कृत पाठशालाओं के लिए कोई धनराशि प्राविधानित नहीं है। किन्तु प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत जिला योजना के अधीन उत्तरांचल की संस्कृत पाठशालाओं के लिए 1,20,000 रुपया का प्राविधान प्रविधानित है।

6--भारत सरकार द्वारा प्रदेश के संस्कृत शिक्षा सम्बन्धी स्वैच्छिक संगठनों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्कृत पाठशालाओं को केन्द्रीय अनुदान दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा सम्बन्धित स्वैच्छिक संगठनों एवं संस्कृत पाठशालाओं को सीधे स्वीकृत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

7--उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 1994-95 में संस्कृत पाठशालाओं के मेधावी तथा निर्धन छात्रों को प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्ति के मद में 88,000 रुपया का धनराशि स्वीकृत की गई है।

8--संस्कृत पाठशालाओं को जमीदारी प्रथा उन्मूलन के फलस्वरूप घाटे की क्षतिपूर्ति हेतु रु0 83,980 का धन वर्ष 1994-95 के लिए स्वीकृति शासन द्वारा की गई है।

संस्कृत पाठशालाओं का संचालन एवं कार्यरत अध्यापकों शिक्षाणेतर कर्मचारियों की सेवा शर्तें सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा प्रदत्त सेवा नियमावली दिसम्बर, 1978 में प्रस्त परिनियमावली के अधीन व्यवहृत की जाती है।

अध्याय–9

उर्दू, अरबी तथा फारसी शिक्षा

प्रदेश के मान्यता प्राप्त अरबी तथा फारसी मदरसों की कुल संख्या 451 है। इनमें से 229 मदरसे सहायता प्राप्त हैं। विभाग द्वारा सहायता प्राप्त मदरसों को विभिन्न प्रकार के अनुदान दिये जाते हैं, जो निम्नलिखित हैं––

अनुरक्षण अनुदान महंगाई भत्ता, अतिरिक्त मंहगाई भत्ता, अन्तरिम सहायता एवं बोनस इसके अतिरिक्त बजट में प्रावधान होने पर प्रारम्भिक अनुदान भवन, साज–सज्जा, पुस्तकालय अनुदान भी विभाग द्वारा इन मदरसों को दिये जाते हैं। विभाग के माध्यम से भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त एवं असहायता प्राप्त मदरसों को केन्द्रीय अनुदान दिया जाता है।

परीक्षायें––

विभाग द्वारा अरबी तथा फारसी की पांच नाम से परीक्षायें संचालित की जाती हैं––

मुन्शी, मौलवी, आलिम, कामिल तथा फाजिल (पांच विषयों में अलग अलग पूर्ण परीक्षा) मुन्शी तथा मौलवी को हाई स्कूल एवं आलिम परीक्षा को इन्टरमीडिएट की समकक्षता प्रदान कर दी गई है। कामिल तथा फाजिल की समकक्षता पर विचार किया जा रहा है।

अरबी तथा फारसी शिक्षा से सम्बन्धित पाठ्यक्रम, परीक्षाओं के आयोजन तथा अनुदान देने आदि के सम्बन्ध में नीति निर्धारण हेतु एक बोर्ड गठित की है।

अरबी तथा फारसी परीक्षाओं का गत पांच वर्षों का परीक्षा फल निम्नवत् है––

वर्ष	परीक्षार्थियों की संख्या		
	पंजीकृत	सम्मिलित	उत्तीर्ण
1990	10484	7062	5315
1691	10449	7684	4361
1992	13258	8088	5442
1993	10039	6939	5229
1994	14283	..	..

अरबी तथा फारसी मदरसों का पूर्ण रूप से प्रबन्ध, शिक्षा की देख–रेख एवं परीक्षाओं के संचालन हेतु निरीक्षक अरबी मदरसाज, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हैं, जो अरबी तथा फारसी परीक्षाओं के रजिस्ट्रार तथा उर्दू माध्यम विद्यालयों के निरीक्षक भी हैं।

प्रदेश में उर्दू भाषा की विद्यालयी शिक्षा की प्रगति

उत्तर प्रदेश में उर्दू अल्पसंख्यकों की एक प्रमुख भाषा है। इस भाषा के बोलने वालों की संख्या प्रदेश की आबादी का एक महत्व हिस्सा है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अक्टूबर 1989 में उर्दू भाषा को राज्य स्तर पर द्वितीय राज्य भाषा घोषित किया गया तथा शासन द्वारा एक स्वतंत्र उर्दू निदेशालय की स्थापना भी हो चुकी है।

प्रदेश में उर्दू भाषा को विकसित करने हेतु तीव उद्देश्य रखे गये हैं जो निम्नवत् है––

1––मातृ भाषा के माध्यम से अल्पसंख्यकों के बच्चों को शैक्षिक सुविधायें उपलब्ध कराना।

2––शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर उर्दू के पठन पाठन की सुविधायें उपलब्ध कराना।

3––राष्ट्रीय एकता एवं भावायी सामंजस्य को उत्साहित करना एवं बढ़ावा देना।

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रदेश में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है––

प्राथमिक स्तर––

1––ऐसे प्राथमिक विद्यालयों में जहां एक कक्षा में न्यूनतम 10 छात्र अथवा पूरे विद्यालय में न्यूनतम 40 छात्र उर्दू पढ़ने वाले उपलब्ध हैं एक उर्दू अध्यापक की व्यवस्था की जाती है।

2--बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राइमरी स्कूलों में आगामी सत्र में उर्दू पढ़ने वाले छात्रों की संख्या की जानकारी हेतु प्रत्येक परिषदीय प्राइमरी विद्यालय में अग्रिम छात्र पंजिका (एडवांस इन्रोलमेण्ट रजिस्टर) के रखने व भरे जाने के स्थायी निर्देश हैं। जिससे इस रजिस्टर में नये सत्र के प्रारम्भ होने के पूर्व अभिभावकगण उर्दू शिक्षक विषयक अपनी आवश्यकता का उल्लेख करें और मानक के अनुसार उर्दू शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जा सके।

3--प्राइमरी स्कूलों में प्रवेश प्रार्थना-पत्रों में मातृ भाषा तथा जिस भाषा के माध्यम से छात्र पढ़ना चाहते हैं, इसकी सूचना एकत्र की जाती है। विद्यालयों में उर्दू पढ़ाने हेतु समय सारिणी में पृथक् से घंटे की व्यवस्था भी की गई है।

4--शासन ने विभिन्न राजाज्ञाओं द्वारा वर्ष 1969-70 से अब तक बेसिक विद्यालयों में उर्दू अध्यापक/अध्यापिकाओं के 6082 पद सृजित किये गये। जिनमें से 1027 पद प्राथमिक वेतनक्रम में जूनियर हाई स्कूलों में दिये गये। इसके अतिरिक्त प्रदेश के परिषदीय सीनियर बेसिक विद्यालयों में उर्दू सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं के 5,000 पद राजाज्ञा संख्या 7320-क/15-584, दिनांक 15 अक्तूबर, 1984 द्वारा सृजित किये गये हैं जिनमें से 4,375 पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं। शेष पदों को विज्ञापित कर नियुक्ति हेतु इस कार्यालय से अ0 शा0 पत्रांक 5744-5820/उर्दू/156 (पांच)/93-94, दिनांक 24 नवम्बर, 1993 निर्गत किया जा चुका है।

5--त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत 364 गैर सरकारी तथा 202 परिषदीय ग्रामीण क्षेत्र के जूनियर हाई स्कूलों एवं 62 नगर क्षेत्र के जू0 हा0 स्कूलों में उर्दू अध्यापकों के अध्यापन के लिए अनुदान पूर्ववत् जारी है। प्रदेश के त्रिभाषा सूत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के क्रियान्वयन में अद्धशासकीय पत्रांक संख्या 5161/15-7-1-158 (89) शिक्षा (7) अनुभाग विधान भवन, लखनऊ दिनांक 10 अगस्त, 1987 के अनुसार निम्नवत् लागू है :

(1) हिन्दी तथा अनिवार्य संस्कृत या सामान्य हिन्दी

(2) अंग्रेजी तथा

(3) संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगला, गुजराती, मराठी, असमी, उड़िया, कश्मीरी, तेलुगु, मलयालम, तामिल, कन्नड़, सिन्धी में से कोई एक भाषा।

6--उर्दू भाषा में प्रशिक्षित उर्दू अध्यापकों को उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के चार स्थानों-लखनऊ, मवाना (मेरठ), आगरा तथा सकलडीहा (वाराणसी) में 4 उर्दू बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं, जिनमें प्रत्येक में प्रतिवर्ष 15-15 अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

7--प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल स्तर की सभी 33 राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों के उर्दू संस्करण उपलब्ध करा दिये गये हैं। छात्रों को इनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु समय-समय पर शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं तथा परिणामी व्यवस्था की जाती है। उर्दू पाठ्य-पुस्तकों के मूल्य हिन्दी की पुस्तकों के समान रखने हेतु "सब्सिडी" दी जाती है।

उर्दू माध्यम प्राइमरी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक सभी विषय उर्दू माध्यम से पढ़ाये जाते हैं तथा कक्षा 3 से हिन्दी भाषा के रूप में पढ़ायी जाती है। बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन से पूर्व जिला परिषदों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उर्दू माध्यम प्राइमरी स्कूल, जिन्हें इस्लामिया स्कूल कहा जाता था उन्हीं को अब उर्दू माध्यम परिषदीय प्राइमरी विद्यालय कहा जाता है। प्राइवेट मान्यता प्राप्त मकतब भी उर्दू माध्यम प्राइमरी स्कूल ही हैं।

उर्दू शिक्षा सम्बन्धी आंकड़े--

उर्दू शिक्षकों के पद--

(क) प्राथमिक विद्यालय	6,082
(ख) उच्च प्राथमिक विद्यालय	5,000

प्राथमिक स्तर--

1--उर्दू माध्यम परिषदीय प्राइमरी विद्यालयों की संख्या	422
2--मान्यता प्राप्त मकतबों की संख्या	1,151
योग ..	1,573
3--अनुदानित मकतबों की संख्या	814
4--उर्दू एक विषय के रूप में पढ़ाने वाले विद्यालयों की संख्या	5,581
5--उर्दू माध्यम विद्यालयों में उर्दू अध्यापकों की संख्या	4,182
6--प्राथमिक स्तर पर उर्दू एक विषय के रूप में पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या	5,581
योग ..	9763

7—उर्दू माध्यम प्राथमिक विद्यालयों की छात्र संख्या		2,68,000
8—उर्दू एक विषय के रूप में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या		1,75,000
	योग ..	4,48,000

नोट—बेसिक परिषदीय प्राइमरी विद्यालयों में 501 पद जो रिक्त ज्ञात होते हैं उनमें से कुछ पदों के भरने में न्यायालय विवाद है। याचिका लम्बित है तथा कतिपय पद उर्दू पढ़ने के लिये छात्र उपलब्ध न होने के कारण नहीं भरे गये हैं।

जूनियर हाई स्कूल स्तर—

1—उर्दू माध्यम परिषदीय जूनियर हाई स्कूलों की संख्या	..	शून्य
2—उर्दू माध्यम प्राइवेट मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों की संख्या	..	18
3—उर्दू एक विषय के रूप में पढ़ाने वाले प्राइवेट मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों की संख्या	..	364
4—उर्दू एक विषय के रूप में पढ़ाने वाले परिषदीय जू0 हा0 स्कूलों की संख्या	..	4,453
5—उर्दू माध्यम जूनियर हाई स्कूलो में पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या	..	73
6—उर्दू एक विषय के रूप में पढ़ाने वाले जू0 हा0 स्कूलों में अध्यापकों की संख्या	..	4,817
	कुल संख्या ..	9,725
7—उर्दू माध्यम पढ़ने वाले छात्रों की संख्या		2,241
8—उर्दू एक विषय के रूप में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या		59,972
	योग ..	62,213

परिषदीय विद्यालयों में उर्दू अध्यापकों पर व्यय होने वाली धनराशि का विवरण—

(क) वित्तीय वर्ष 1992–93 में कुल 25,54,00,000.00 रुपये उर्दू अध्यापकों के वेतन पर व्यय हुआ।

(ख) अनुदानित मकतबों को वर्ष में दी जाने वाली धनराशि 9,20,000.00 रुपये (प्रति अनुदानित मकतब को कुछ अपवादों को छोड़कर एक हजार रुपया) प्रतिवर्ष एकमुश्त अनुदान दिया जाता है।

उच्चतर माध्यमिक स्तर—

1—हाईस्कूल कक्षाओं में उर्दू पढ़ाने की सुविधा वाले विद्यालय—		
(क) सरकारी	..	109
(ख) गैर सरकारी	..	830
2—इण्टर कक्षाओं में उर्दू पढ़ाने वाले विद्यालय—		
(ख) सरकारी	..	38
(ख) गैर सरकारी	..	312
3—हाईस्कूल कक्षाओं में उर्दू पढ़ने वाले छात्रों की संख्या	..	48,617

4—इण्टरमीडिएट स्तर पर उर्दू पढ़ने वाले छात्रों की संख्या संकलित की जा रही है।

उच्च शिक्षा स्तर—

1—महाविद्यालयों की संख्या जहां उर्दू विषय का शिक्षण किया जा रहा है। (इनमें 11 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में उर्दू पढ़ाया जाता है)	69
2—उर्दू विषय पढ़ाने हेतु महाविद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों की संख्या	77

नोट—महाविद्यालय में किसी विषय विशेष के शिक्षण हेतु 25 छात्र उपलब्ध होने पर विषय की सम्बद्धता महाविद्यालय को प्रदान की जाती है, किन्तु उर्दू विषय की सम्बद्धता हेतु छात्र संख्या का न्यूनतम मानक 15 निर्धारित किया गया है।

उर्दू शिक्षा संबंधी अन्य सुविधायें—

1—उर्दू प्रवीणता परीक्षा—

राजकीय, स्थानीय निकायों एवं सार्वजनिक निगमों के कर्मचारियों के उर्दू सीखने हेतु प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शासन द्वारा प्रति वर्ष उर्दू की दो प्रवीणता परीक्षायें—जूनियर हाई स्कूल स्तर तथा हाईस्कूल स्तर की रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षायें, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा संचालित होती हैं । इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त प्रथम श्रेणी के परीक्षार्थियों को 500 रुपये, द्वितीय श्रेणी के परीक्षार्थियों क 300 रुपये तथा तृतीय श्रेणी के परीक्षार्थियों को 100 रुपये पुरस्कार के रूप में दिये जाते हैं ।

2—उर्दू प्रशिक्षण अनुसंधान केन्द्र—

भारत सरकार द्वारा संचालित केन्द्रीय भाषा संस्थान, मैसूर द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर गैर उर्दू जानकारों जूनियर तथा माध्यमिक स्तरों के लिये विभिन्न विषयों के अध्यापकों को उर्दू तथा अन्य भारतीय भाषाओं में 10 माह का प्रशिक्षण आयोजित होता है । इस योजना के अन्तर्गत उर्दू शिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ में 1984 में खोला गया है यहां शिक्षण की अवधि में अध्यापकों को पूरा वेतन तथा 400 रुपये मासिक छात्रवृत्ति तथा मार्ग व्यय दिया जाता है और प्रोत्साहन स्वरूप इन्हें प्रशिक्षित अध्यापकों को उर्दू भाषा का शिक्षण करने पर 70 रुपये प्रतिमाह का भुगतान भी केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है, यदि वे अपने विद्यालय में कम से कम 10 छात्रों को उर्दू पढ़ाते हैं ।

3—प्रशासनिक व्यवस्था—

उर्दू भाषा के प्रचार एव प्रसार तथा इसको विकसित करने हेतु एक पृथक् उर्दू निदेशालय की स्थापना अप्रैल, 1989 में की गई । वर्तमान में इस निदेशालय में निदेशक (उर्दू) तथा एक उप शिक्षा निदेशक (उर्दू) का प उपलब्ध हैं । मंडलीय स्तर पर उप विद्यालय निरीक्षक (उर्दू माध्यम) का पद उपलब्ध है । जनपद स्तर पर उर्दू ाध्यम के विद्यालयों की देखभाल करने के लिए एक प्रति उप विद्यालय निरीक्षक निर्दिष्ट किये जाने की व्यवस्था म ।

उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी—

उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा उर्दू भाषा के विभिन्न पहलुओं को विकसित करने हेतु उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, लखनऊ की स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी । अकादमी का मुख्य उद्देश्य उर्दू भाषा को उन्नत करना और साहित्य को लोकप्रिय बनाना है । अकादमी द्वारा निष्पादित कार्य-कलापों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है—

1—पुस्तकों का प्रकाशन—

वर्ष 1972 से अब तक प्रति वर्ष विभिन्न विषयों पर पुस्तकें अकादमी द्वारा प्रकाशित होती हैं, जिनमें शैक्षिक एवं साहित्यिक रचनाओं के अतिरिक्त स्वतंत्रता संग्राम, बाल साहित्य आदि से सम्बन्धित पुस्तक भी हैं :

2—उर्दू जानने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियां—

उर्दू अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष कक्षा 6 से एम० ए० तथा पी० एच० डी० के उर्दू छात्रों की योग्यता के आधार पर छात्रवृत्तियां स्वीकृत की जाती हैं । अब छात्रवृत्तियों की संख्या 2,500 से बढ़ाकर 5,000 कर दी गई है । वर्ष 1993-94 में 4,000 छात्रों को 10 69 लाख रुपये (छात्रवृत्ति) वितरित किये ।

3—उर्दू साहित्यकारों को प्रकाशन सहायता—

अकादमी उत्तर प्रदेश के ऐसे लेखकों को उनकी पाण्डुलिपियों के प्रकाशन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करती है जो स्वयं उन्हें प्रकाशित करने में असमर्थ हैं ।

4—पुस्तकालयों को अनुदान—

अकादमी द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालयों की उर्दू पुस्तक तथा समाचार-पत्र, पत्रिकायें क्रय करने हेतु प्रति वर्ष 2.20 लाख रुपये का अनुदान वितरित किया जाता है ।

5—अकादमी द्वारा उर्दू लेखकों तथा कवियों की जीवन-यापन के लिए अथवा बीमारी आदि की दशा में आर्थिक सहायता भी दी जाती है । इस वर्ष 111 व्यक्तियों को 2,99, 100 रुपया आर्थिक सहायता के रूप में वितरित किए गये । अकादमी द्वारा उर्दू भाषा की शिक्षा प्रसार एवं प्रचार हेतु गोष्ठियों का अयोजन किया जाता है । जिस पर गत वर्ष 5.11 लाख रुपये व्यय हुआ ।

6—गत वर्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रकाशन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर 4000 पृष्ठों तथा तीन खण्डों में "अलहिलाल" प्रकाशित की गई जिसका विमोचन माननीय राष्ट्रपति द्वारा किया गया ।

7--उर्दू भाषा का प्रसार-प्रचार--

उर्दू न जानने वालों को उर्दू सिखाने हेतु कोचिंग कक्षाओं को प्रारम्भ किया गया है। उर्दू किताब तथा उर्दू टाइप स्कूल अकादमी के प्रांगण में चलाया जाता है। अकादमी द्वारा राज्य स्तर पर तालीमी कान्फ्रेन्स का आयोजन भी किया जाता है।

उर्दू अकादमी के नये भवन के निर्माण हेतु गत वर्ष 1 करोड़ 50 लाख रुपये स्वीकृत किए गये, ये भवन निर्माणाधीन है।

फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी, लखनऊ--

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उर्दू भाषा के साहित्यकारों को बढ़ावा देने हेतु फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी स्थापना की गई। इस कमेटी के द्वारा उर्दू साहित्यकारों को अपने साहित्य प्रकाशन हेतु सहायता दी जाती है। उर्दू साहित्य की उत्कृष्ट परियोजनाओं के लिए भी धन उपलब्ध कराया जाता है। उर्दू भाषा पर शोध करने वाले छात्रों को अपनी थीसिस प्रकाशित कराने हेतु सहायता दी जाती है। प्रति वर्ष इस संस्था को शासन द्वारा 13 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है।

मदरसा शिक्षा--

शासन ने राजाज्ञा संख्या 92/15 (13)/90-37 (4)/90, दिनांक 12 जुलाई, 1990 द्वारा नवम्बर, 1989 से राज्यानुदानित अरबी-फारसी के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मासिक वेतन भुगतान करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया है जिसके फलस्वरूप अरबी-फारसी मदरसों के प्रबन्ध, प्रशासन, विकास तथा अनुदान आदि के कार्यों के साथ अरबी-फारसी मदरसों के वेतन भुगतान कार्य भी उर्दू निदेशालय द्वारा किया जा रहा है।

अरबी-फारसी मदरसा शिक्षा के महत्वपूर्ण आंकड़े--

अरबी-फारसी मदरसा शिक्षा--

1--मान्यता प्राप्त अरबी-फारसी मदरसों की संख्या	..	391
नोट --23 विद्यालयों की मान्यता जुलाई, 1994 से प्रभावी होगी		
2--राज्य निधि से सहायता प्राप्त (अनुदान सूची पर रखे गये) मदरसों की संख्या	..	23
3--अरबी-फारसी राज्यानुदानित मदरसे जो वर्तमान में असंचालित हैं	..	249
4--वर्तमान में वास्तविक अनुदानित मदरसों की संख्या	..	20
5--असहायता प्राप्त मदरसों की संख्या	..	229
6--मदरसों में छात्र नामांकन	..	142
7--वित्तीय वर्ष 94-95 में अरबी-फारसी मदरसों में वेतन भुगतान हेतु बजट में प्रावधानित धनराशि--	..	91,535

आयोजनेत्तर मद--6,78,22,000 रु0 (रुपया छः करोड़ अठहत्तर लाख बाइस हजार मात्र)

अनुदान संख्या--71 के अधीन लेखा शीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-आयोजनेत्तर-01-प्रारम्भिक शिक्षा--800-अन्य व्यय-86-अरेबिक पाठशालाओं को अनुदान-14 सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता।

आयोजनागत मद--7,26,00,000 रु0 (रुपया सात करोड़ छब्बीस लाख मात्र)

अनुदान संख्या--71 लेखा शीर्षक 7202 "-सामान्य शिक्षा, आयोजनागत-01, प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय--11 अरेबिक पाठशालाओं को अनुदान-14--सहायक अनुदान/राज्य सहायता"।

आधुनिक भारतीय भाषाओं का कार्य--

संविधान की आठवीं अनुसूची में अंकित उर्दू भाषा के अतिरिक्त अन्य 12 भारतीय भाषाओं--तमिल, तेलगु, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, बंगाली, कश्मीरी, उड़िया, असमी, मराठी, सिन्धी तथा गुजराती की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रदेश के मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/इण्टर कालेजों के कार्यरत शिक्षकों को 10 माह का प्रशिक्षण केन्द्रीय भाषा संस्थान, मानस गंगोत्री, मैसूर तथा उससे सम्बद्ध क्षेत्रीय संस्थाओं के माध्यम से प्रदान कराया जाता है। इन भाषाओं को सीखने के इच्छुक अध्यापकों के आवेदन-पत्र उर्दू निदेशालय में मंगाकर उनका परीक्षण किया जाता है तथा नियमानुसार अर्ह अध्यापकों को इच्छुक भाषाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कराने की व्यवस्था की जाती है। प्रशिक्षण काल में अध्यापकों को उनके पूरे वेतन के अतिरिक्त रु0 400 प्रतिमाह की दर से प्रोत्साहन भत्ता तथा प्रशिक्षण केन्द्र पर आने-जाने का मार्ग व्यय भी संस्थान द्वारा दिया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त अपने विद्यालयों में जाने के उपरान्त उक्त भाषाओं को पढ़ाने के लिए सम्बन्धित अध्यापक को 70 रु0 प्रति माह की दर से केन्द्रीय भाषा संस्थान, मैसूर द्वारा प्रोत्साहन भत्ता दिया जाता है। इस प्रकार के त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत तृतीय भाषा के विकल्प के रूप में आधुनिक भारतीय भाषाओं के अध्ययन हेतु शिक्षकों को तैयार किया जा रहा है।

उर्दू निदेशालय द्वारा अब तक प्रदेश में विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षण के लिए भारतीय भाषा संस्थान, मानस गंगोत्री अथवा उससे सम्बद्ध संस्थाओं में निम्नलिखित विवरण के अनुसार अध्यापक भेजे गए हैं—

क्र0 सं0	भाषा का नाम	प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या
1	2	3
1	पंजाबी	52
2	सिन्धी	42
3	तमिल	70
4	तेलुगु	25
5	मलयालम	58
6	कन्नड़	34
7	बंगाली	81
8	उड़िया	27
9	गुजराती	65
10	मराठी	46
11	असमी	20
12	कश्मीरी	24
13	उर्दू	304
	योग ..	848

अध्याय---10

उच्च शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा का विशेष महत्व है। देश के सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विकास में उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संख्यात्मक वृद्धि प्रचुर मात्रा में हुई है। जहाँ एक ओर 1947 में पूरे प्रदेश में 5 विश्वविद्यालय तथा 16 महाविद्यालय संचालित थे। इस समय 21 विश्वविद्यालय, 5 डीम्ड विश्वविद्यालय तथा 486 महाविद्यालय हैं। 486 महाविद्यालयों में अशासकीय महाविद्यालयों की संख्या 418 है, शासकीय महाविद्यालयों की संख्या 68 है जिसमें से 27 उत्तराखंड में, 7 बुन्देलखंड में, 13 पूर्वी बिछड़े क्षेत्र तथा 21 अन्य मैदानी क्षेत्रों में स्थित हैं।

उच्च शिक्षा के सुनियोजित विकास के उद्देश्य से उच्च शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की एक परियोजना वर्ष 1979–80 से आरम्भ की गयी इस परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश में उच्च शिक्षा के चार क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर तथा मेरठ में स्थापित हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना नोएडा, गाजियाबाद में की गयी है। इस कार्यालय की स्थापना से महाविद्यालयों को विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त करने में सुविधा होगी।

प्रदेश में स्वायत्तशासी महाविद्यालयों की स्थापना पर बल दिया जा रहा है। उदय प्रताप कालेज, वाराणसी एवं क्रिश्चियन कालेज, इलाहाबाद को स्वायत्तशासी महाविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है।

पाठ्यक्रमों को सुसंगत एवं व्यवसायपरक बनाने के लिये पाठ्यक्रम पुनर्संरचना कार्यक्रम को कार्यान्वित करने पर बहुत बल दिया गया है। वर्ष 1994–95 में प्रदेश के 9 विश्वविद्यालयों तथा 7 महाविद्यालयों में व्यवसायपरक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये।

शिक्षकों के प्रशिक्षण के महत्व को स्वीकार करते हुये यह अनुभव किया गया कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों की सृजनात्मक क्षमता को गतिशील बनाये रखने की व्यवस्था अत्यन्त संकुचित है जिससे शैक्षिक नेतृत्व का शनैः-शनैः ह्रास होने लगता है। अतः आवश्यक है कि इस जड़ता को दूर करने के लिये तथा शिक्षकों को शिक्षण की मूल प्रवृत्तियों, सिद्धान्तों, तकनीकियों तथा मूल्यों से अभिविन्यासित करने के लिये समुचित रूप से उन्हें प्रशिक्षित किया जाय जिससे वे समय की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने दायित्व बोध को जीवन्त बनाये रख सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से प्रदेश में शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं पुनर्बोध के लिये 5 एकेडेमिक स्टाफ कालेजों की स्थापना की गयी है। इन कालेजों के प्रशिक्षण शिविरों में सम्मिलित होने के लिये शिक्षकों को सुविधायें प्रदान की जा रही हैं और निदेशालय स्तर से उन्हें प्रेरित भी किया जा रहा है कि वे आधुनिक शैक्षिक विधाओं तथा ज्ञान के बढ़ते हुए आयामों से अवगत होने के लिये उसमें सम्मिलित हों।

शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय प्रबन्धन की जानकारी देने के लिये निदेशालय स्तर पर भी प्राचार्यों एवं शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है। अब तक अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों के लिये 6 तथा शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों के लिये 11 प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है। उत्तराखंड के राजकीय महाविद्यालयों में लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित नव नियुक्त प्रवक्ताओं का एक सप्ताह का प्रशिक्षण दिनांक दिसम्बर 15 से 20, 1994 तक मुरादाबाद में आयोजित किया गया।

शैक्षिक सत्रों को नियमित करने पर शासन द्वारा विशेष बल दिया जा रहा है। इस हेतु सभी विश्वविद्यालयों को परिनियमावली में शैक्षिक कलेण्डर की व्यवस्था की गयी है जिसके अनुसार 31 अगस्त तक प्रवेश दिये जाने हैं, 30 अप्रैल तक परीक्षाएं सम्पन्न करायी जानी हैं तथा 15 जून तक परीक्षाफल घोषित किया जाना है।

उच्च शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रवेश में आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।

प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1994–95 में छः अशासकीय महाविद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया गया है।

प्रदेश शासन द्वारा मेधावी छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिये प्रदेश के विश्वविद्यालयों की स्नातक स्तर की परीक्षाओं में कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, विधि तथा शिक्षा संकायों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को पुरस्कृत किया जा रहा है। वर्ष 1994-95 में वर्ष 1989 की परीक्षा के मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कृत किया गया

विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को सही दिशा देने हेतु उनकी उर्जा का रचनात्मक कार्यक्रमों में उपयोग करने हेतु रोवर्स/रेंजर्स योजना लागू की गयी है। जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय स्तर तथा प्रादेशिक स्तर की रोवर्स/रेंजर्स रैली का आयोजन किया जा रहा है।

उच्च शिक्षा से सम्बन्धित छात्रवृत्ति/छात्रवेतन के आंकड़े वर्ष 1994-95

आयोजनेतर/आयोजनागत निम्नलिखित हैं :--

(क) आयोजनेतर --

आयोजनेतर आय-व्ययक वर्ष 1994-95 में हाई स्कूल स्तर परीक्षा के आधार पर विगत वर्षों की स्वीकृत छात्रवृत्तियों का स्नातक पाठ्यक्रम में नवीनीकरण तथा शिक्षा संहिता के विभिन्न अनुच्छेदों के अनुसार आर्थिक सहायता, प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बच्चों, इण्डियन स्कूल आफ इण्टरनेशनल स्टडीज नई दिल्ली के शोध छात्रों की छात्रवृत्ति/छात्रवेतन के निमित्त 63.40 लाख धनराशि स्वीकृत करने का प्राविधान है। इन छात्रवृत्तियों तथा धनराशि के अन्तर्गत मुख्य छात्रवृत्तियों का विवरण निम्नवत् है :--

1--प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के बच्चों को योग्यता छात्रवृत्ति के अन्तर्गत स्नातक स्तर के छात्रों को रु० 75 तथा स्नातकोत्तर स्तर व शोध कार्य करने वाले छात्रों को रु० 100 प्रतिमाह छात्रवृत्ति तथा छात्रावृत्तियों को 110 एवं 125 रु० प्रतिमाह छात्रवृत्ति देने हेतु 2.13 लाख रु० का प्राविधान है। छात्रों से प्रगति आख्या प्राप्त होने पर उनका नवीनीकरण किया जाता है।

2--राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत हाईस्कूल श्रेष्ठता सूची के आधार पर प्राप्त छात्रवृत्तियों का नवीनीकरण स्नातक कक्षा (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) प्रथम वर्ष में रु० 60 तथा छात्रावासी छात्रों को रु० 100 प्रतिमाह तथा द्वितीय एवं तृतीय वर्षों में छात्रवृत्ति 90 रु० प्रतिमाह तथा छात्रावासी छात्रों के लिए 140 प्रति माह, व्यवसायिक कोर्स में 120 रु० छात्रवृत्ति तथा छात्रावासी छात्रों के लिए 300 रु० प्रतिमाह की दर से नवीनीकरण किया जाता है। इस हेतु 42.15 लाख रु० का प्राविधान है।

3--प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बच्चों को 300 छात्रवृत्तियां स्वीकृत करने हेतु 60,000 रुपये का प्राविधान है तथा प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा हेतु 88,000 रु० का बजट प्राविधान है।

4--इण्डियन स्कूल आफ इण्टरनेशनल स्टडीज जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में शोध कार्य करने वाले उत्तर प्रदेश के दो छात्र/छात्राओं को 300 रु० प्रतिमाह की छात्रवृत्ति स्वीकृत करने हेतु 29,000 रु० का प्राविधान है। यह छात्रवृत्ति शोधरत छात्रों को 3 वर्ष तक देय होती है।

5--स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों तथा आश्रितों को डिग्री स्तर पर छात्रवृत्तियां एवं आर्थिक सहायता स्वीकृत करने हेतु तथा उस पर व्यय हेतु 3,88,000 रु० का प्राविधान है।

6--पर्वतीय जिलों के सामान्य एवं प्राविधिक शिक्षा के ग्रहण करने हेतु छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं पुस्तकीय सहायता स्वीकृत करने हेतु वर्ष 1994-95 में 4 लाख रु० का प्राविधान है।

7--पर्वतीय जिलों के असेवित क्षेत्रों के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृत करने हेतु 9,17,000 रु० का प्राविधान है।

8--रानी लक्ष्मी बाई शारीरिक शिक्षा विद्यालय में प्रवेश पाये विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां स्वीकृत करने हेतु 4,000 रु० का प्राविधान है।

(ख) आयोजनागत--

विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत करने हेतु आयोजनागत बजट शीर्षक के वर्ष 1994-95 हेतु बजट प्राविधान 9.70 लाख रुपये का किया गया किन्तु इस वित्तीय वर्ष 1994-95 में शासन द्वारा धनराशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। इसलिए इस योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है।

आयोजनागत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत इण्टर स्तर परीक्षा की श्रेष्ठता सूची के आधार पर स्नातक कक्षाओं में स्नातक स्तर परीक्षा की श्रेष्ठता सूची के आधार पर स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु छात्रों को रु० 120 तथा छात्रावासी आवासीय छात्रों को रु० 300 प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है।

आयोजनेतर योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पाठ्यक्रम तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की जो दरें हैं वही दरें इण्टर परीक्षा की श्रेष्ठता सूची के आधार पर स्नातक स्तर पाठ्यक्रम तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु आयोजनागत योजनान्तर्गत हैं।

वित्तीय वर्ष 1994-95 में इण्टर स्तर परीक्षा की श्रेष्ठता सूची में आये उन छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु शासन द्वारा रु० 1,00 लाख स्वीकृत किया गया है। इस योजनान्तर्गत वे छात्र/छात्रा लाभान्वित होंगे जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रु० 25,000 से अधिक है।

अध्याय 11

पुस्तकालय

इलाहाबाद में शिक्षा विभाग के कई महत्वपूर्ण मुख्य कार्यालयों के साथ केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय के भी होने से शैक्षिक दृष्टि से इस नगर के महत्व और गौरव में भी वृद्धि हुई है । अपने ढंग के इस अनूठे पुस्तकालय की स्थापना सन् 1949 में हुई थी । इसमें प्रेस तथा रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स ऐक्ट के अन्तर्गत प्रदेश में प्रकाशित प्रायः प्रत्येक पुस्तक की एक-एक प्रति संग्रहीत की गई है इस प्रकार कापी राइट्स संग्रह की लगभग एक लाख पुस्तकें संग्रहीत हैं । पुस्तकों के इस विशाल संग्रह में कतिपय पुस्तकें अत्यन्त दुर्लभ, बहुमूल्य एवं अत्योपयोगी हैं । सामान्य पठन-पाठन के अतिरिक्त अनुसंधान की दृष्टि से यह पुस्तकें अत्यन्त महत्वपूर्ण और लाभदायक हैं ।

इस पुस्तकालय में हिन्दी के साथ अंग्रेजी, उर्दू, बंगला और संस्कृत साहित्य की 58072 पुस्तकों का नवीनतम संग्रह है । भविष्य में भी इसके विशाल संग्रह में उत्तरोत्तर वृद्धि की पूर्ण सम्भावना एवं आशा है । दिसम्बर, 1994 तक इस पुस्तकालय से सम्बद्ध सदस्यों की कुल संख्या 10379 तथा निर्गत पठनीय पुस्तकों की संख्या 10967 और पाठकों की संख्या 15843 रही है । इसके साथ-साथ मात्र बाल कक्ष में पढ़ी गयी पुस्तकों की संख्या 2045 रही । जबकि सन्दर्भ कक्ष में पढ़ी गयी पुस्तकों की संख्या 2111 रही ।

2—राजकीय जिला पुस्तकालय—

अपने-अपने जनपदों में जनसाधारण को शैक्षिक स्वाध्याय की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य की सिद्धि के लिये प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में 8 तथा पर्वतीय क्षेत्र में 6 पुस्तकालय स्थापित थे । इस प्रकार के प्रत्येक पुस्तकालय में लगभग 15000 (पन्द्रह हजार) पुस्तकों का संग्रह है । इसके अलावा जिलायोजनान्तर्गत प्रत्येक जनपद में एक राजकीय जिला पुस्तकालय खोलने का प्रावधान किया गया है जिसके अन्तर्गत निम्नांकित जनपदों [मिर्जापुर, जौनपुर, पीलीभीत, सहारनपुर, इटा, सीतापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बहराइच, फर्रुखाबाद, आजमगढ़, प्रतापगढ़, बस्ती, लखनऊ, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, बाराबंकी, अलीगढ़, रायबरेली, लखीमपुर-खीरी, हमीरपुर, बदायूं, कानपुर (देहात), बांदा, गोण्डा, देवरिया, इलाहाबाद, उरई, मैनपुरी, रामपुर, हरदोई, सोनभद्र, देहरादून, ललितपुर, शाहजहांपुर, इटावा, उन्नाव, अमेठी, (सुल्तानपुर), फैजाबाद, फतेहपुर, बलिया, गाजीपुर, बिजनौर] में राजकीय जिला पुस्तकालय की स्थापना 1994-95 तक की जा चुकी है ।

पर्वतीय क्षेत्र में शिक्षा के उन्नयन एवं विकास के लिए राजकीय जिला पुस्तकालयों की शाखा पुस्तकालयों की स्थापना निम्नांकित जनपदों में की जा चुकी है जिससे वहां का जनसाधारण स्वाध्याय से लाभान्वित हो रहा है :

1—चमोली—कर्ण प्रयाग, अगस्तमुनी, पोखरी, जोशीमठ ।

2—टेहरी—चम्बा ।

3—अल्मोड़ा—रानीखेत, बद्रीनाथ, बागेश्वर ।

4—पिथौरागढ़—लोहाघाट, मुन्सियारी ।

5—नैनीताल—काशीपुर, हल्द्वानी ।

उपरोक्त पुस्तकालयों के सम्वर्द्धन एवम् विकास हेतु अनुदान जिला योजनान्तर्गत विशेष कार्याधिकारी (पुस्तकालय प्रकोष्ठ), उ० प्र० शासन द्वारा आवंटित किया जाता है ।

3—पुस्तकालय नीति और पद्धति—

वर्ष 1980-81 में शिक्षा विभाग के अन्तर्गत एक पुस्तकालय प्रकोष्ठ की स्थापना सचिवालय स्तर पर की गई है । प्रदेश में एक सामूहिक पद्धति के विषय में आवश्यक परियोजनाओं के निर्माण तथा अन्य प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यों के निर्वहन एवं सम्पादन का दायित्व इस प्रकोष्ठ को सौंपा गया है । जिसमें सार्वजनिक पुस्तकालयों के अनुदान स्वीकृत, राजा राम मोहनराय पुस्तकालय, प्रतिष्ठान योजना, केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय, इलाहाबाद और पब्लिक लाइब्रेरी, इलाहाबाद, जनपदीय जिला पुस्तकालयों के विकास तथा पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण आदि विषयक विभिन्न कार्य अब इसी प्रकोष्ठ से निस्तारित किये जाते हैं ।

अध्याय–12

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1 मार्च, 1991 को 139112287 है, जिसमें 74036957 पुरुष तथा 65075330 महिलायें हैं। प्रदेश की जनसंख्या सम्पूर्ण देश की जनसंख्या का छठवां भाग है, जबकि क्षेत्रफल के आधार पर इसका देश में चौथा स्थान है।

शिक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश काफी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 41.60 है। साक्षरता की दृष्टि से प्रदेश का समस्त राज्यों में सत्ताइसवां स्थान है। वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की संख्या 46144196 है।

वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार 15–35 वय वर्ग के निरक्षरों की संख्या प्रदेश में 310 लाख है जिन्हें कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य है।

प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का शुभारम्भ 2 अक्तूबर, 1978 को किया गया। वर्ष 1978–79 तैयारी का वर्ष रहा एवं दिसम्बर, 1979 से प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का संचालन विधिवत् आरम्भ हुआ है। वर्ष 1988 में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का गठन किया गया है। तदनुरूप राज्य सरकार की राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का गठन किया गया है। मिशन का लक्ष्य 15–35 वय वर्ग के निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है कार्यात्मक साक्षरता से तात्पर्य है—

(1) साक्षरता और गणित में आत्म निर्भर होना,

(2) अपनी गिरी हुई हालत और कारणों की जानकारी पाना और संगठित होकर अपनी दशा को सुधारने की कोशिश करना,

(3) अपनी आर्थिक स्थिति और गिरी हुई हालत को सुधारने के सुधारों हेतु नये हुनर सीखना,

(4) राष्ट्रीय एकता पर्यावरण से बचाव, महिलाओं और पुरुषों में समानता, छोटे परिवार के आदर्श को समझना, मानवीय एवं सामाजिक मूल्यों की पहचान, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यक्रम निम्नवत् संचालित किया जा रहा है।

कार्यक्रम की प्रगति

केन्द्रीय कार्यक्रम

वर्ष 1979–80 के अन्तिम त्रैमास में प्रदेश के 32 जनपदों के चुने हुए 64 विकास खण्डों में भारत सरकार की शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता से तीन–तीन सौ केन्द्रों वाले 32 ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनायें (आर0 एफ0 एल0 पी0) प्रारम्भ की गई। भारत सरकार द्वारा संचालित यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के समस्त 63 जनपदों में 63 परियोजनाओं के माध्यम से संचालित किया गया। वर्ष 1991–93 में भारत सरकार ने केन्द्रीय कार्यक्रम की इन परियोजनाओं द्वारा केन्द्र संचालित न करने का आदेश दिये गये थे। केन्द्र सरकार द्वारा परियोजना व्यवस्था को समाप्त किये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार ने भी 31 मार्च, 1992 से परियोजना व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया और 31 मार्च, 1994 से कार्यरत 120 परियोजनाएं समाप्त कर दी गई। इसमें कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को या तो उनके मूल विभाग में प्रत्यावर्तित कर दिया गया या छटनी शुदा कर्मचारी के रूप में शिक्षा विभाग में सेवायोजन के अवसर प्रदान किये गए।

उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजनाकाल 1980–85 में 58441 केन्द्रों का संचालन किया गया। इन पर 17.02 लाख प्रौढ़ प्रतिभागियों को लाभान्वित किया गया है। इसी प्रकार सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985–90 में उपरोक्त कायक्रम के अन्तर्गत 94500 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का संचालन किया गया इन केन्द्रों के अन्तर्गत 28 64 लाख प्रौढ़ प्रतिभागियों को लाभान्वित किया गया। उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1994–95 में 18900 केन्द्रों के माध्यम से 11.17 लाख व्यक्तियों को साक्षर बनाया गया। वर्ष 1990–91 में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रा की अवधि आई0 पी0 सी0 के आधार पर 6–6 माह कर दी गई है। इस प्रकार वर्ष 1994–95 में प्रौढ़ शिक्षा के दो सत्र आयोजित किये गये।

राज्य कार्यक्रम—

भारत सरकार के कार्यक्रमों के साथ–साथ प्रदेश सरकार द्वारा निरक्षरता उन्मूलन हेतु राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में 300–300 केन्द्रों का 3 तथा 100 केन्द्रों की एक परियोजना वर्ष–1980–81 से तथा 100–100 केन्द्रों की 10 परियोजनाओं का शुभारम्भ वर्ष 1994–95 से प्रदेश के 14 जनपदों के चुने हुये

17 विकास खन्डों में किया गया। कालान्तर में 100 केन्द्रों की परियोजना को 300 केन्द्रों की परियोजना में परिवर्तित किया गया। प्रदेश में 300 केन्द्रों की 61 परियोजनायें राज्य सरकार की सहायता से संचालित की गयी थी।

छटी पंचवर्षीय योजना वर्ष 1980–81 तक राज्य सरकार के द्वारा 11946 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र संचालित किये गये जिनके माध्यम से 3.55 लाख प्रतिभागियों को लाभान्वित किया गया। सातवीं पचवर्षीय योजना वर्ष 1985–90 तक उपरोक्त कार्यक्रम के माध्यम से 38900 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का संचालन किया गया। उपरोक्त केन्द्रों के माध्यम से 11.78 लाख प्रौढ़ों को लाभान्वित किया गया वर्ष 1990–91 में उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत 17100 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का संचालन किया गया। उपरोक्त केन्द्रो के माध्यम से 7.89 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 1994–95 में राज्य कार्यक्रम की 57 परियोजना के 17100 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से 9.97 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

केन्द्र आधारित कार्यक्रम समाप्त होने के उपरान्त वर्ष 1993–94 में प्रदेश में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान संचालित किया गया, जिसमें भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अभियान लागत को दो: एक दो से अनुपात में वहन किया जाता है। सम्पूर्ण साक्षरता के अन्तर्गत वर्ष 1993–94 में 7.58 लाख तथा वर्ष 1994–95 में माह दिसम्बर तक 19.50 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

अशासकीय अभिकरण––

भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं के अतिरिक्त इस कार्यक्रम के अशासकीय अभिकरणों––जैसे स्वैच्छिक संगठन, नेहरू युवक केन्द्रों, यू0 पी0 सी0 द्वारा भी कार्यक्रम का संचालन किया गया है। वर्ष 1980–85 छठी पचवर्षीय योजना में इन अभिकरणों द्वारा 9696 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र संचालित किये गये और इन केन्द्रों के माध्यम से 2.79 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। सातवें पंचवर्षीय योजना 1985–90 की अवधि में उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत 26621 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से 5.11 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 1990–91 में उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्तगत 0.91 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 1991–92 के उपरोक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत 0.25 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। उपरोक्त कार्यक्रम के लिये अनुदान भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है भारत सरकार द्वारा नयी नीति के आधार पर इन्हें अनुदान देने हेतु व्यापक परिवर्तन कर दिये हैं। वर्ष 1994–95 तक 34 स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से सम्पूर्ण साक्षरता अभियान संचालित करने हेतु अनुदान दिया जा चुका है। वर्ष 1993–94 में स्वैच्छिक संगठन द्वारा 1.5 लाख तथा वर्ष 1994–95 में 0.76 लाख प्रतिभागियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

कार्यक्रम की अद्यतन प्रगति––

वर्ष 1980–81 से वर्ष 1994–95 के माह दिसम्बर, 1994 तक शासकीय/अशासकीय प्रयासों द्वारा प्रदेश में हुई प्रगति निम्नवत् है :

(पंजीकृत प्रतिभागी लाख में)

वर्ष	वालिंटियर	संचालित केन्द्र	पुरुष	महिला	योग	अनु0 जा0	अनु0 जन–जा0
1	2	3	4	5	6	7	8
1980–81	..	11888	2.16	1.06	3.22	0.83	0.08
1981–82	..	12777	2.28	1.34	3.62	1.19	0.06
1982–83	..	12792	2.29	1.44	3.73	1.26	0.06
1983–84	..	19303	3.52	2.23	5.75	2.00	0.07
1984–85	..	23336	2.79	4.25	7.04	2 54	0.08
1985–86	..	25984	2.58	5.19	7.77	3 75	0.09
1986–87	..	30654	3.31	6.15	9.46	3.38	0 11
1987–88	..	32494	4.37	5.46	9.83	3.87	0.13
1988–89	..	35848	2.06	8.67	10.17	3.91	0.07
1989–90	..	35043	3.37	7.17	10.54	3.59	0.06

1	2	3	4	5	6	7	8
1990-91	..	66944	8.02	11.95	19.97	6.90	0.11
1991-92	..	30154	3.65	4.75	8.40	2.98	0.02
1992-93	114327	..	2.70	4.88	7.58	2.08	0.01
1993-94	269161	..	8.16	10.34	18.50	3.57	0.05
1994-95 (माह दिसम्बर, 1994 तक)	270131	..	8.76	10.63	19.69	3.60	0·06
योग ..	653619	337204	60.02	85.51	146.83	44.43	1.06

जन साक्षरता कार्यक्रम (एम0एफ0एल0)--

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत समाज के प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति से यह अपेक्षा की गई है कि अपने पास-पड़ोस के एक निरक्षर प्रौढ़ों को साक्षरता किट की सहायता से साक्षर बनाये। इसको "एक पढ़ाये एक" कार्यक्रम की संज्ञा दी गयी है। वर्तमान समय में उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत जेल प्रशासन, माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय के एन0 एस0 एस0 के छात्र एवं स्वय सेवी संस्थाओं को शामिल किया गया है। वर्ष 1990-91 में 464 माध्यमिक विद्यालयों में तथा 38 जेलों में उपरोक्त कार्यक्रम संचालित किया गया। इसी प्रकार 52 महा विद्यालयो तथा 28 स्वय सेवी संस्थाओं द्वारा कार्यक्रम संचालित किया गया। वर्ष 1991-92 में 0.65 लाख प्रतिभागियों को लाभान्वित किया गया तथा वर्ष 1993-94 में 0.7 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 1994-95 के माह दिसम्बर तक 1.83 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया।

सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम--

आठवीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 1993-94 के माह जनवरी, 1994 तक प्रदेश में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के आच्छादित जनपद--

1--आगरा
2--गाजियाबाद
3--कानपुर देहात
4--बरेली
5--बिजनौर
6--फतेहपुर
7--देहरादून
8--अल्मोड़ा
9--चमोली
10--मुरादाबाद
11--मऊ
12--आजमगढ़
13--जौनपुर
14--जालौन
15--फर्रुखाबाद
16--लखीमपुर खीरी
17--ललितपुर
18--फैजाबाद
19--बहराइच
20--गाजीपुर

21—मिर्जापुर
22—देवरिया
23—प्रतापगढ़
24—सुल्तानपुर
25—उत्तरकाशी
26—टिहरी
27—हमीरपुर
28—पिथौरागढ़
29—बार बंकी
30—रायबरेली
31—मेरठ

को आच्छादित किए जाने का अनुमोदन राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा किया जा चुका है।

सतत् शिक्षा कार्यक्रम—

नव साक्षरों की साक्षरता एवं कौशल की सतत् एवं निरन्तर बनाये रखने के उद्देश्य से सतत शिक्षा की व्यवस्था की गई है, जिससे नवसाक्षरों को अपनी शिक्षा को आगे जारी रखने तथा कालान्तर में शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो सके।

जन शिक्षण निलयम—

सतत् शिक्षा की व्यवस्था हेतु प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर या 5000 आबादी वाले क्षेत्र में एक जन-शिक्षण निलयम की स्थापना की गई है। यह निलयम सतत् शिक्षा के स्थायी केन्द्र हैं, जिन्हें संस्थागत स्वरूप प्रदान किया गया है। जन शिक्षण निलयम के लाभार्थी हैं :

1—प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम द्वारा हुये नव साक्षर,
2—अनौचारिक शिक्षा कार्यक्रम द्वारा लाभान्वित नव साक्षर,
3—एक पढ़ाये एक योजना द्वारा हुये नव साक्षर,
4—प्राइमरी शिक्षा से उत्तीर्ण बालक/बालिकायें,
5—ग्राम के अन्य उत्साही व्यक्ति।

जन शिक्षण निलयम का प्रमारी प्रेरक होता है, जो स्थानीय होता है। जन शिक्षण निलयम की गतिविधियाँ हैं :—

1—साक्षरता और गणित की दक्षता बढ़ाने हेतु सायंकालीन कक्षा आयोजित करना,
2—वाचनालय,
3—पुस्तकालय,
4—लघु प्रशिक्षण के सत्रों का आयोजन,
5—चर्चा मण्डल,
6—मनोरंजन एवं सांकृतिक कार्यक्रम,
7—खेलकूद एवं साहसिक कार्य कलाप,
8—सूचना खिड़की,
9—संचार केन्द्र/नवसाक्षरों को सेतु साहित्य के द्वारा कक्षा पांच उत्तीर्ण करने की सुविधा दी गई है।

एक प्रौढ़ शिक्षा परियोजना में कुल 37 जन शिक्षण निलयम खोले जाने की व्यवस्था है। भारत सरकार के संसाधनों से वर्तमान 2108 जन शिक्षण निलयम तथा राज्य सरकार के संसाधनों से 2257 जन शिक्षण निलयम संचालित किये जा रहे हैं।

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान वाले जनपदों में साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने के तुरन्त बाद उत्तर साक्षरता और सतत् शिक्षा के कार्यक्रम आरम्भ किए जायेंगे, जिसमें प्रत्येक ग्राम में "जन शिक्षण केन्द्र" स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रौढ़ शिक्षा साहित्य—

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों हेतु पठन-पाठन एवं शिक्षण सामग्री प्रतिभागियों को निशुल्क दी जाती है इसका निर्माण राज्य सन्दभ केन्द्र साक्षारता निकेतन, लखनऊ द्वारा किया जाता है। सम्प्रति राज्य में विभिन्न क्षेत्रों हेतु 7 प्रवेशिकाएं स्थानीय बोलियों में अपनाई गई हैं यथा ब्रज भारती, ब्रज क्षेत्र के लिए, कुमाउनी प्रवेशिका, कुमाऊं क्षेत्र के लिए, आदि भारती, सोनभद्र आदिवासी क्षेत्र के लिए, गढ़ भारती, गढ़वाल क्षेत्र के लिए, बुन्देल भारती, बुन्देलखण्ड के लिए, नई किरन, मध्य उत्तर प्रदेश के लिये, पूर्वांचल प्रवेशिका पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये भारत सरकार के निदेशानुसार तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की संकल्पनानुसार आई0 पी0 सी0 एल0 (इम्पेक्ट पेश ऐण्ड कन्टेन्ट आफ लर्निंग मैटीरियल) अनुसार प्रवेशिकाओं को तीन भागों में तैयार किया गया है। इन प्रवेशिकाओं में लिखित अभ्यास, मूल्यांकन के लिये जांच-पत्र तथा सफलता पर प्रमाण-पत्र की भी व्यवस्था की गई है।

सारिणी–1

शिक्षा के लिए निर्दिष्ट बजट

(हजार रुपयों में)

वर्ष	बालकों की शिक्षा के लिये बजट	बालिकाओं की शिक्षा के लिये बजट	शिक्षा के लिये सम्पूर्ण बजट
1	2	3	4
1950–51	6,61,15	76,29	7,37,44
1960–61 शिक्षा	12,17,33	1,18,23	13,35,56
1960–61 शिक्षा नियोजन	..	..	3,87,43
1970–71 शिक्षा	61,50,01	8,33,60	67,33,61
1970–71 शिक्षा नियोजन	4,40,23	63,90	7,04,19
1980–81 शिक्षा	2,77,32,09	43,47,96	3,21,30,05
1980–81 शिक्षा नियोजन	15,41,82	2,84	15,44,66
1985–86 शिक्षा	5,81,26,22	51,38,63	6,32,64,85
1985–86 शिक्षा नियोजन	..	..	29,63,42
1994–95 अनुदान संख्या 73—उच्च शिक्षा—			
आयोजनेत्तर	..	..	2,36,98,52
आयोजनागत	..	..	13,65,03
1994–95 अनुदान संख्या 72—माध्यमिक शिक्षा			
आयोजनेत्तर	..	..	10,28,85,91
आयोजनागत	..	..	30,20,22
1994–95 अनुदान संख्या 71 बेसिक शिक्षा—			
आयोजनेत्तर	..	..	14,53,59,75
आयोजनागत	..	..	1,78,62,05
1994–95 अनुदान संख्या 74—प्रौढ़ शिक्ष—			
आयोजनेत्तर	..	..	61,43
आयोजनागत	..	..	7,17,06
1994–95 अनुदान संख्या 75—राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्—			
आयोजनेत्तर	..	..	3,32,02
आयोजनागत	..	..	6,03,37
1994–95 का योग—			
आयोजनेत्तर	..	..	27,23,37,63
आयोजनागत	..	..	2,35,67,73

टिप्पणी—इसके अतिरिक्त बालकों की शिक्षा के लिए बजट में बालिकाओं की शिक्षा पर सम्मिलित है ।

1 अप्रैल, 1986 से शिक्षा निदेशालय का बजट 5 पृथक्–पृथक् निदेशालयों में विभक्त हो गया है तथा सभी निदेशक अपने से सम्बन्धित बजट के नियन्त्रक अधिकारी है । इन पांचों पृथक् निदेशालयों का बजट विवरण उपर्युक्त है ।

सारिणी–2

शिक्षा के विभिन्न शीर्षकों के लिए बजट

(हजार रुपयों में)

शीर्षक	1960–61	1970–71	1980–81	1983–84	1985–86	1994–95
1	2	3	4	5	6	7
शिक्षा––						
1––प्रारम्भिक	5,69,27	31,67,14	1,64,65,06	3,39,16.62	3,20,24,69	..
2––माध्यमिक	3,36,10	18,24,28	94,44,30	1,58,31,52	2,37,10,14	..
3––विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज	1,13,62	4,66,36	32,03,86	43,04,08	59,78,22	..
4––ट्रेनिंग	9,83	29,94	..	..	..	..
5––अन्य	30,474	13,00,79	..	..	..	..
6––विशेष शिक्षा	..	..	3,19,42	4,70,07	6,42,44	..
7––प्राविधिक शिक्षा	..	..	..	..	..	..
8––क्रीड़ा एवं युवक कल्याण	..	..	2,77,59	4,77,93	5,37,71	..
9––सामान्य शिक्षा	..	..	24	24	24	..
10––एकमुश्त प्राविधान	..	..	21,48,24	..	..	..
11––कला एवं संस्कृति	..	..	1,60	1,60	1,60	..
12––अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	..	..	2,69,74	2,69,74	3,13,31	..
13––मंत्रि परिषद्	..	..	..	1,50	1,50	..
14––उच्च शिक्षा आयोजनेतर	..	..	..	..	..	2,36,98,52
15––माध्यमिक शिक्षा	..	..	..	..	..	10,28,85,91
16––नैतिक शिक्षा	..	..	..	..	..	14,23,59,75
17––प्रौढ़ शिक्षा	..	..	..	..	..	61,43
18––राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	..	..	..	..	..	3,32,02
योग ..	13,35,56	67,88,61	3,21,30,05	4,52,73,06	32,64,85	27,23,37,63
शिक्षा नियोजन––						
1––प्राथमिक	2·54,77	3,47,13	6,97,93	1,02,35,40	17,43,16	..
2––माध्यमिक	63,67	82,98	2,81,18	5,97,32	48,22	..
3––विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज	41,17	68,38	95,04	2,17,12	1,48,00	..
4––ट्रेनिंग	13,06	4,27	..	..	..	..
5––अन्य	14,74	2,01,43	..	..	..	..
6––विशेष शिक्षा	..	..	3,17,41	3,30,08	9,30,14	..
7––प्राविधिक शिक्षा	..	..	..	..	..	..
8––क्रीड़ा एवं युवक कल्याण	..	..	69,10	38,47	9,60	..
9––सामान्य शिक्षा	..	..	..	..	75,00	..
10––एकमुश्त प्राविधान	..	..	25,03	..	..	..

1	2	3	4	5	6	7
11—कला एवं संस्कृति	..	..	1,00	1,00	..	..
12— अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग का कल्याण	..	..	57,91	40,30,27	..	..
13—उच्च शिक्षा आयोजनागत	..	..	..	..	..	13,65,03
14—माध्यमिक शिक्षा आयोजनागत	..	..	..	..	..	30,20,22
15—बेसिक शिक्षा आयोजनागत	..	..	..	..	..	1,78,62,05
16—प्रौढ़ शिक्षा आयोजनागत	..	..	..	..	..	7,17,06
17—राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण आयोजनागत	..	..	..	..	..	6,03,37
योग ..	3,87,41	7,04,19	15,44,66	26,11,20	29,63,42	2,35,67,73

प्राविधिक शिक्षा का बजट प्राविधान 1979–80 से अनुदान संख्या 35 को स्थानान्तरित कर किया गया है ।

ट्रेनिंग से सम्बन्धित बजट वर्ष 1974–75 से विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज में सम्मिलित दिया गया है ।

सारिणी–3

प्रबन्धानुसार शिक्षा संस्थायें (सामान्य शिक्षा)

प्रबन्ध	1950 51	1960–61	1970–71	1980–81	1990–91	1994–95*
1	2	3	4	5	6	7
1 राजकीय	1094	1341	1304	1025	3418	3507
2 स्थानीय विकाय	30323	39386	63363	75834	77535	82465
3 विश्वविद्यालय	6	9	13	20	25	26
4 सहायता प्राप्त/असहायता प्राप्त	4449	5663	10050	12006	16636	19195
योग ..	35872	46899	74730	88885	97614	105193

*टिप्पणी—विश्वविद्यालय की संख्या में दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा पांच डीम्ड विश्वविद्यालय भी सम्मिलित हैं ।

* आंकड़ा अनुमानित है ।

सारिणी 4

विभिन्न प्रकार की मान्यताप्राप्त शिक्षा संस्थायें

संस्था का स्तर	1950–51	1960–61	1970–71	1980–81	1990–91	1994–95*
1	2	3	4	5	6	7
1—विश्वविद्यालय—						
(1) लड़के	6	9	13	20	25	26
(2) लड़कियां	..	..	..	..	..	..
योग ..	6	9	13	20	25	26

1	2	3	4	5	6	7
2—महाविद्यालय—						
(1) लड़के	34	108	294	283	330	383
(2) लड़कियां	6	20	53	78	89	103
योग ..	40	128	247	361	419	486
3—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय—						
(1) लड़के	833	1489	2834	4420	5113	5675
(2) लड़कियां	154	282	581	758	886	962
योग ..	987	1771	3415	5178	5999	6637
ग्रामीण क्षेत्र में कुल ..	503	749	1840	3394	4093	4376
4—सीनियर बेसिक स्कूल—						
(1) लड़के	2386	3574	6779	10355	11753	12159
(2) लड़कियां	468	671	2008	3200	3319	3817
योग ..	2854	4335	8787	13555	15072	15976
ग्रामीण क्षेत्र में कुल..	1984	3772	6367	11322	13530	14357
5—जूनियर बेसिक स्कूल—						
(1) लड़के	29459	35156	50503	70606	77111	82023
(2) लड़कियां	2520	4927	11624	(मिश्रित)	(मिश्रित)	(मिश्रित)
योग ..	31979	40083	62127	70606	77111	82023
ग्रामीण क्षेत्र में कुल..	23710	35302	55998	64021	71188	73987
6—नर्सरी स्कूल	6	73	141	65	45	45
योग ..	6	73	141	65	45	45

*आंकड़े अनुमानित हैं।

सारिणी—5

संस्थानुसार छात्रों की संख्या

संस्था	1950–51	1960–61	1970–71	1980–81	1990–91	1994–95*
1	2	3	4	5	6	7
—विश्वविद्यालय—						
लड़के	19105	29785	51799	94221	126684	138982
लड़कियां	1671	4033	11906	20091	42516	51622
योग ..	20776	33818	63705	104212	169200	190604

* आंकड़े अनुमानित हैं।

1	2	3	4	5	6	7
2—डिग्री कालेज—						
लड़के	27294	48959	146242	275948	403723	434939
लड़कियां	2504	8743	39133	69221	155904	218846
योग ..	29798	67702	185375	345169	559627	653785
3—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय—						
लड़के	359580	75759	1851759	2752494	3614474	4088287
लड़कियां	57825	15448	463877	695829	1145932	1731312
योग ..	417405	91207	2315736	3448323	4760406	5819599
4—सीनियर बेसिक स्कूल—						
लड़के	278339	446139	1095740	1413783	2026314	2883195
लड़कियां	69798	103688	285166	391731	721254	1192692
योग ..	348137	549827	1380906	1804514	2747568	4025887
5—जूनियर बसिक स्कूल						
लड़के	2392175	3170868	6748031	6593572	7893063	10256518
लड़कियां	334948	787660	3066 91	2774829	4068501	6469996
योग ..	2727123	3958528	10615722	9368401	11961564	16726514
6—नर्सरी स्कूल—						
लड़के	644	4486	13742	9276	4711	5247
लड़कियां	162	3068	10551	5979	5227	5942
योग ..	806	7554	24293	15255	9938	11189

सारिणी—6

संस्थानुसार अध्यापकों की संख्या

संस्था	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	1994-95*
1	2	3	4	5	6	7
1—विश्वविद्यालय—						
पुरुष	1201	2089	3708	5184	6789	6833
महिला	71	159	390	796	1261	1299
योग ..	1272	2248	4098	5980	8050	8132

*आकड़े अनुमानित हैं ।

1	2	3	4	5	6	7
2—डिग्री कालेज—						
पुरुष	1175	3113	6820	10123	11515	11700
महिला	74	331	1446	2264	3011	3310
योग ..	1249	3444	8266	12387	14526	15010
3—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय—						
पुरुष	15453	30222	64810	96117	106650	83439
महिला	2774	5854	14836	19747	19522	17318
योग ..	18227	36076	79646	115864	126172	99757
4—सीनियर बेसिक स्कूल—						
पुरुष	11605	19057	41306	58775	79914	77939
महिला	2900	4202	10880	14326	19415	19392
योग ..	14505	23259	52186	73101	99329	97331
5—जूनियर बेसिक स्कूल—						
पुरुष	65110	87340	170857	203712	209120	220613
महिला	5189	11714	32502	44042	57037	49566
योग ..	70299	99054	203359	247754	266157	270179
6—नर्सरी स्कूल—						
पुरुष	8	51	270	69	24	28
महिला	14	348	750	490	243	252
योग ..	22	399	1020	559	267	280

*आंकड़े अनुमानित हैं ।

सारिणी—7

स्तरानुसार विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 1994-95*

क्रम-संख्या	स्तर	बालक	बालिका	योग
1	प्री प्राइमरी	25000	15000	40000
2	जूनियर बेसिक (कक्षा 1-5)	10276000	6631000	16907000
3	सीनियर बेसिक (कक्षा 6-8)	4201000	1911000	6162000
4	हायर सेकेण्डरी (कक्षा 9-12)	2701000	852000	3553000
5	स्नातक	..	..	..
6	स्नातकोत्तर	..	..	..

*आंकड़े अनुमानित हैं ।

सारिणी--8

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं के लिये मान्यताप्राप्त विद्यालयों की संख्या

परीक्षा एवं संस्था	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	1994-95
1	2	3	4	5	6	7
1--हाई स्कूल परीक्षा--						
लड़कों की शिक्षा संस्थायें	749	1404	2656	4150	4827	5256
लड़कियों की शिक्षा संस्थायें	130	257	241	692	762	834
योग ..	879	1661	3137	4842	5589	6090
2---इण्टरमीडिएट परीक्षा--						
लड़कों की शिक्षा संस्थायें	334	786	1468	2386	2912	3248
लड़कियों की शिक्षा संस्थायें	41	148	302	416	490	534
योग ..	375	934	1770	2802	3402	3782

स्रोत--माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश ।

सारिणी--9

हाई स्कूल परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या

परीक्षा	1951	1961	1971	1981	1991	1994
1	2	3	4	5	6	7
1--हाई स्कूल परीक्षा में पंजीकृत संख्या--						
लड़के	अनुपलब्ध	215252	483161	707254	1404519	1345668
लड़कियां	,,	22620	81477	136717	371083	396479
योग ..	110581	237872	564638	843971	1775602	1742147
2--परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों की संख्या--						
लड़के	अनुपलब्ध	204315	447949	671665	1332617	1293080
लड़कियां	,,	21526	74824	131799	357980	386834
योग ..	98534	225841	522773	803464	1690597	1679914
3--उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या--						
लड़के	अनुपलब्ध	89880	269383	231922	792224	428206
लड़कियां	,,	13860	49263	72588	278985	212206
योग ..	58234	103740	218645	304511	981219	640412

स्रोत--माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश ।

सारिणी 10

इण्टरमीडिएट परीक्षा के परीक्षार्थियों की संख्या

परीक्षा	1951	1961	1971	1981	1991	1994
1	2	3	4	5	6	7
1—इण्टरमीडिएट परीक्षा में मंजीकृत संख्या—						
लड़के	अनुपलब्ध	99600	249683	370586	635315	554467
लड़कियां	,,	13745	51221	103138	211543	196750
योग ..	110581	113345	3000904	473724	846858	751217
2—परीक्षा में सम्मिलित होने वालों की संख्या—						
लड़के	अनुपलब्ध	89542	223786	339536	595512	518881
लड़कियां	,,	12282	46421	94574	201592	187224
योग ..	98534	101824	270207	434119	797104	706105
3—उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या—						
लड़के	अनुपलब्ध	35645	104665	160318	468503	250229
लड़कियां	,,	6557	29281	52550	173560	131212
योग ..	58234	42202	133946	212868	642063	381441

स्रोत—माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश ।

सारिणी 11

संस्कृत पाठशालाओं की संख्या और राजकीय सहायता

मद	1950–51	1960–61	1970–71	1980–81	1990–91	1994–95
1	2	3	4	5	6	7
1—स्वीकृत पाठशालायें	3400	1050	900	957	928	1055
2—छात्र संख्या	34093	42892	51245	62798	45100	94132
3—अध्यापक	3603	4644	4420	4580	4450	4844
4—सहायता प्राप्त पाठशालायें	332	637	810	867	928	928
5—राज्य से प्राप्त सहायता (रुपये में)	253512	962953	3573313	21054000	9156600	1596803

*अंक अनुमानित हैं ।

स्रोत—निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, उत्तर प्रदेश ।

सारिणी 12

अरेबिक मदरसों की संख्या और राजकीय सहायता

मद	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	1994-95*
1	2	3	4	5	6	7
1--अरेबिक मदरसा	86	104	146	283	400	451
2--छात्र संख्या	..	16710	29578	53442	89735	95389
3--अध्यापक संख्या	620	726	1606	3670	5560	5948
4--सहायता प्राप्त मदरसे	186	104	123	209	237	250
5--राजकीय सहायता (रुपये में)	90672	124154	331515	800800	41288000	..

*आंकड़े अस्थायी हैं ।

स्रोत--निरीक्षक, अरबी-मदरसाज, उत्तर प्रदेश ।

सारिणी 13

प्रशिक्षण संस्थान तथा सम्बद्ध प्रशिक्षण संस्थायें

मद	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	1994-95*
1	2	3	4	5	6	7
1--ट्रेनिंग कालेज, एल0 टी0 तथा बी0 एड0--						
पुरुष	4	7	6	9	9	9
महिला	5	3	4	5	6	6
योग ..	9	10	10	14	15	15
2--विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण विभाग बी0 एड0 तथा एम0 एड0 तथा महिला सम्मिलित	2	5	5	8	10	10
3--डिग्री कालेज, बी0 एड0 तथा एम0 एड0--						
पुरुष	8	28	44	76	76	77
महिला	1	2	7	23	23	23
योग ..	9	30	51	98	99	100
4--बी0 टी0 सी0--						
पुरुष	..	..	..	61	65	65
महिला	..	..	..	49	50	50
योग ..	..	..	..	110	115	115

*आंकड़े अनुमानित हैं ।

सारिणी--14

प्रशिक्षण संस्थायें तथा सम्बद्ध प्रशिक्षक (छात्र संख्या)

मद	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	1994-95*
1	2	3	4	5	6	7
1--ट्रेनिंग कालेज (एल0 टी0 तथा बी0 एड0)--						
पुरुष	226	500	659	645	798	809
महिला	337	520	1357	896	848	854
योग ..	563	1020	2016	1541	1646	1663
2--विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण (बी0 एड0 तथा एम0 एड0)--						
पुरुष	312	356	609	1084	1282	1301
महिला	107	144	734	890	992	998
योग ..	419	500	1343	1974	2274	2299
3--डिग्री कालेजों की प्रशिक्षण कक्षायें (बी0 एड0 तथा एम0 एड0)--						
पुरुष	520	2413	3332	6563	7352	7407
महिला	66	509	4316	4316	5440	5488
योग ..	586	2922	5058	10879	12792	12895
4--बी0 टी0 सी0--						
पुरुष	..	..	..	2925	3287	3375
महिला	..	..	..	1880	2058	2118
योग ..	..	..	..	4805	5 95	5483

*आंकड़ अनुमानित हैं।

सारिणी--15

रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षायें द्वारा संचालित परीक्षाओं का अंतिम तीन वर्षों का परीक्षाफल

क्रम-संख्या	परीक्षायें	परीक्षार्थियों की संख्या 1992			परीक्षार्थियों की संख्या 1993			परीक्षार्थियों की संख्या 1994		
		सम्मिलित	उत्तीर्ण	प्रतिशत	सम्मिलित	उत्तीर्ण	प्रतिशत	सम्मिलित	उत्तीर्ण	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सी0पी0एड0	200	115	58	242	148	61	180	169	94
2	डी0पी0एड0	179	147	82	176	160	96	161	157	98
3	सी0टी0(गृह विज्ञान)	31	31	100	33	33	100	29	28	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	सी0टी0 (बविर)	18	18	100	21	17	81	18	12	67
5	सी0टी0 शिशु	48	41	85	49	48	98	52	52	100
6	एल0टी0 (बेसिक)	104	92	88	..	..	..	..	..	..
7	एल0टी0 (रचनात्मक)	215	206	96	148	139	94	..	..	..
8	एल0टी0 (गृह विज्ञान)	27	27	100	..	..	..	..	..	..
9	एल0टी0 (सामान्य)	824	712	86	892	750	84	1087	992	91
10	बी0टी0सी0 (परीक्षा)	3205	2882	90	3063	2759	90	2678	2487	93

स्रोत--रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षायें, उत्तर प्रदेश।

सारिणी---16

माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं का अन्तिम तीन वर्षों का परीक्षाफल

वर्ष	विवरण	हाई स्कूल		इण्टरमीडिएट	
		संस्थागत	व्यक्तिगत	संस्थागत	व्यक्तिगत
1	2	3	4	5	6
1992	परीक्षार्थियों की संख्या	1080473	489455	525142	171345
	उत्तीर्ण	186742	44109	179572	35036
	प्रतिशत	17	09	34	20
1993	परीक्षार्थियों की संख्या	1121525	430845	715533	198460
	उत्तीर्ण	328424	65082	294938	58064
	प्रतिशत	29	15	41	29
1994	परीक्षार्थियों की संख्या	1097962	581952	449887	256218
	उत्तीर्ण	496666	143746	284176	97265
	प्रतिशत	45	25	63	38

स्रोत—सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश।

सारिणी---17

30 सितम्बर, 1994 का जनपद मण्डलवार जूनियर बेसिक विद्यालयों, विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की संख्या

क्रम-संख्या	जनपद मण्डल	विद्यालयों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या		अध्यापकों की संख्या	
			कुल	बालिका	कुल	महिला
1	2	3	4	5	6	7
1	लखनऊ	1202	220314	107729	3933	1574
2	सीतापुर	1974	365518	129978	4658	975
3	लखीमपुर खीरी	1631	301115	121499	4249	744
4	हरदोई	1738	368387	142151	5008	683
5	उन्नाव	1596	294925	119409	4294	585
6	रायबरेली	1293	327624	128745	4862	646
	लखनऊ मण्डल ..	9434	877883	749511	27004	5207

1	2	3	4	5	6	7
1	फैजाबाद	1584	311746	135012	6816	886
2	सुल्तानपुर	1685	363396	148979	5483	754
3	बाराबंकी	1680	313654	114373	4842	910
4	बहराइच	1670	293029	97783	4765	664
5	गोण्डा	1754	333599	113260	5842	821
	फैजाबाद मण्डल ..	8873	1615424	609398	27748	4035
1	बस्ती	1488	339338	105707	5251	458
2	सिद्धार्थनगर	874	104197	33742	2566	212
3	गोरखपुर	1397	331345	125008	5235	753
4	महराजगंज	717	123568	26695	2533	360
5	देवरिया	2248	493966	172579	7010	943
6	आजमगढ़	1340	361475	136419	5173	677
7	मऊ	615	175476	69556	3274	426
	गोरखपुर मण्डल ..	8679	1929365	669704	31042	3829
1	बलिया	1399	328163	137428	5091	744
2	गाजीपुर	1160	338886	139183	4813	628
3	जौनपुर	1451	44 455	182022	6269	802
4	वाराणसी	1812	455976	181198	9683	1140
5	मिर्जापुर	1088	194758	63467	3299	602
6	सोनभद्र	717	108577	54396	1511	273
	वाराणसी मण्डल ..	7637	1866815	757694	30666	4198
1	बिजनौर	1332	259307	95466	3846	870
2	मुरादाबाद	1960	387270	128222	6828	1368
2	रामपुर	840	165587	61250	2030	456
	मुरादाबाद मण्डल ..	1 32	811164	284938	12704	2694
1	प्रतापगढ़	1880	305143	106802	4360	536
2	इलाहाबाद	2105	475513	170383	9432	1583
3	फतेहपुर	1184	296851	116208	3892	452
	इलाहाबाद मण्डल	4569	1077507	393393	17684	2571
1	कानपुर	998	310077	135492	4113	1126
2	कानपुर देहात	1441	316791	135940	4259	959
3	फर्रुखाबाद	1435	338651	127875	5035	858
4	इटावा	1368	329517	143610	5118	937
	कानपुर मण्डल	5242	1295036	542917	18525	3880

1	2	3	4	5	6	7
1	जालौन	1036	147092	62225	2604	390
2	हमीरपुर	959	210508	81413	2897	486
3	बांदा	1365	244125	98980	3704	479
4	ललितपुर	642	132343	51914	3326	280
5	झांसी	985	228476	92447	3448	1072
	झांसी मण्डल ..	4987	962544	386979	13979	2707
1	आगरा	1142	325240	108889	4065	1033
2	फिरोजाबाद	645	171450	60978	2519	637
3	मैनपुरी	1381	316953	126337	3986	520
4	एटा	1297	193308	113316	4502	545
5	मथुरा	1140	216872	75693	3921	718
6	अलीगढ़	1605	357738	124582	6009	1281
	आगरा मण्डल ..	7210	1581561	609795	25002	4734
1	बुलन्दशहर	1527	321401	113147	5316	906
2	गाजियाबाद	846	215902	89095	2906	982
3	मेरठ	1598	355419	140503	6667	1710
4	मुजफ्फरनगर	1445	350221	145775	5737	991
5	सहारनपुर	1132	215171	83940	6446	1045
6	हरिद्वार	559	109836	42768	3202	516
	मेरठ मण्डल ..	7007	1567950	615228	30274	6150
1	बदायूं	1462	282384	98986	4204	778
2	शाहजहांपुर	1432	262162	94366	3529	664
3	बरेली	1583	384425	169278	4958	1620
4	पीलीभीत	824	161414	53584	2223	475
	बरेली मण्डल ..	5301	1090385	416214	14914	3537
1	नैनीताल	1411	192597	75820	3697	1176
2	अल्मोड़ा	1546	194744	79212	3746	838
3	पिथौरागढ़	1110	133696	49793	2513	853
	कुमायूं मण्डल ..	4067	521037	204825	9996	2867
*1	पौड़ी गढ़वाल	1416	153402	72919	2919	754
2	टिहरी-गढ़वाल	1088	110177	42415	1732	436
3	उत्तरकाशी	515	32998	11109	1009	197
4	चमोली	902	108518	47029	1737	491
5	देहरादून	964	124748	55928	3244	1288
	गढ़वाल मण्डल ..	4885	529843	229400	10641	3166
	उत्तर प्रदेश राज्य ..	82023	16226514	6469996	270179	49566

*आंकड़े अनुमानित हैं ।

सारिणी—18*

30 सितम्बर, 1994 को जनपद/मण्डलवार सीनियर बेसिक विद्यालयों, विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की संख्या

क्रम-संख्या	जनपद/मण्डल	विद्यालयों की संख्या		विद्यार्थियों की संख्या		अध्यापकों की संख्या	
		कुल	बालिका	कुल	बालिका	कुल	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8
1	लखनऊ	248	76	82938	32321	2283	1409
2	सीतापुर	350	166	72102	17070	1969	345
3	लखीमपुर-खीरी	273	168	64720	15445	1542	305
4	हरदोई	385	75	73147	18847	1949	341
5	उन्नाव	376	80	41110	16897	1765	382
6	रायबरेली	261	50	65156	17152	1655	196
	लखनऊ मण्डल ..	1893	615	399173	117732	11163	2978
1	फैजाबाद	315	38	104418	35976	2149	358
2	सुल्तानपुर	276	56	62043	20675	1804	136
3	बाराबंकी	248	49	65059	18050	1354	216
4	बहराइच	207	57	69389	21645	1170	163
5	गोण्डा	294	53	57831	19798	1652	200
	फैजाबाद मण्डल ..	1340	253	358740	116144	8129	1073
1	बस्ती	312	62	38542	19219	1893	207
2	सिद्धार्थनगर	114	27	18440	9089	818	93
3	गोरखपुर	278	74	99564	28623	1815	303
4	महाराजगंज	150	22	29733	9369	808	125
5	देवरिया	523	94	109353	28676	3426	388
6	आजमगढ़	280	72	76574	20277	1849	316
7	मऊ	120	23	29657	7390	830	103
	गोरखपुर मण्डल ..	1777	374	401863	122643	11419	1533
1	बलिया	334	92	101017	29358	2129	392
2	गाजीपुर	288	74	90354	22513	2015	301
3	जौनपुर	323	76	118701	33725	2147	412
4	वाराणसी	416	101	107552	31661	2858	615
5	मिर्जापुर	197	60	54066	21571	1062	212
6	सोनभद्र	71	32	18769	5682	366	110
	वाराणसी मण्डल ..	1629	435	490459	144510	10518	2042
1	बिजनौर	196	65	53270	13698	1021	222
2	मुरादाबाद	268	92	96583	28851	1935	671
3	रामपुर	105	28	45740	14133	573	164
	मुरादाबाद मण्डल ..	569	185	195593	56682	3529	1057

1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रतापगढ़	236	51	64208	16852	1456	140
2	इलाहाबाद	439	144	91151	27200	2589	610
3	फतेहपुर	254	60	70549	15645	1463	263
	इलाहाबाद मण्डल ..	929	255	225908	59697	5508	1013
1	कानपुर	428	104	121641	50336	3121	730
2	कानपुर देहात	297	73	102836	32457	1937	317
3	फर्रुखाबाद	372	102	92099	27913	4593	320
4	इटावा	377	80	91506	30406	2522	411
	कानपुर मण्डल ..	1474	359	408084	141112	12173	1778
1	जालौन	203	38	28725	12458	1171	219
2	हमीरपुर	219	60	43543	10998	1183	211
3	बांदा	247	40	59625	12871	1300	188
4	ललितपुर	102	14	17004	5128	437	73
5	झांसी	182	35	60885	13738	956	155
	झांसी मण्डल ..	953	187	209782	55193	5047	846
1	आगरा	237	88	125589	28746	1418	310
2	फिरोजाबाद	112	29	48755	13783	403	96
3	मैनपुरी	299	62	48946	18215	1368	177
4	एटा	305	65	47480	20066	2009	358
5	मथुरा	198	42	68655	22432	888	170
6	अलीगढ़	348	69	109212	20691	2280	276
	आगरा मण्डल ..	1499	355	444537	123933	8366	1387
1	बुलन्दशहर	173	45	104660	16989	1139	334
2	गाजियाबाद	171	64	67362	21560	1744	837
3	मेरठ	272	107	95629	20687	1781	706
4	मुजफ्फरनगर	230	76	92534	20200	1513	359
5	सहारनपुर	180	51	76321	29355	1226	403
6	हरिद्वार	104	17	41224	9202	527	205
	मेरठ मण्डल ..	1130	360	477730	117993	7930	2844
1	बदायूं	245	54	39508	9382	1375	230
2	शाहजहांपुर	199	30	46142	11791	1228	197
3	बरेली	323	37	73671	29455	1887	590
4	पीलीभीत	140	42	47037	10120	673	157
	बरेली मण्डल ..	907	163	206358	60748	5163	1174
1	नैनीताल	349	62	88305	14134	1622	406
2	अल्मोड़ा	251	27	21176	7709	1093	107
3	पिथौरागढ़	238	22	36047	13569	1028	82
	कुमायूं मण्डल ..	838	111	95528	35412	3743	595

1	2	3	4	5	6	7	8
1	पौड़ी गढ़वाल	257	73	24418	10162	1084	268
2	टिहरी गढ़वाल	232	22	19050	5761	871	106
3	उत्तरकाशी	140	08	12567	4451	583	51
4	चमोली	191	12	24158	6369	821	103
5	देहरादून	218	50	31939	14150	1284	544
	गढ़वाल मण्डल ..	1038	165	112132	40893	4643	1072
	उत्तर प्रदेश राज्य	15976	3817	4025887	1192692	97331	19392

* आंकड़े अनुमानित हैं ।

सारिणी—19

30 सितम्बर, 1994 को जनपद/मण्डलवार उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की संख्या

क्रम-संख्या	जनपद/मण्डल	विद्यालयों की संख्या		विद्यार्थियों की संख्या		अध्यापकों की संख्या	
		कुल	बालिका	कुल	बालिका	कुल	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8
1	लखनऊ	120	40	147132	76102	3023	1439
2	सीतापुर	72	15	75234	27852	1132	305
3	लखीमपुर खीरी	54	11	62087	16171	810	132
4	हरदोई	98	11	72727	16527	1112	128
5	उन्नाव	72	13	70644	18443	1151	150
6	रायबरेली	80	11	75822	20467	1042	110
	लखनऊ मण्डल ..	496	101	503646	175562	8270	1264
1	फैजाबाद	124	15	77379	16401	2053	332
2	सुल्तानपुर	100	16	87759	19292	1286	104
3	बाराबंकी	53	05	45177	11406	543	83
4	बहराइच	47	09	49713	14254	810	188
5	गोण्डा	69	10	75219	16627	1148	162
	फैजाबाद मण्डल ..	393	55	335247	79980	5340	869
1	बस्ती	112	08	80310	18712	1908	115
2	सिद्धार्थनगर	58	04	47171	7856	745	41
3	गोरखपुर	133	16	160082	35293	2669	272
4	महराजगंज	45	06	61970	15233	786	108
5	देवरिया	212	14	193079	40123	3468	162
6	आजमगढ़	116	13	117545	31096	2326	244
7	मऊ	69	05	51834	12485	571	135
	गोरखपुर मण्डल ..	745	66	711991	160798	12473	1077

1	2	3	4	5	6	7	8
1	बलिया	110	12	113628	23774	1847	120
2	गाजीपुर	127	12	115331	30012	1781	152
3	जौनपुर	160	11	145593	31614	2508	146
4	वाराणसी	184	38	206398	62531	3310	624
5	मिर्जापुर	63	10	55999	20668	1037	127
6	सोनभद्र	30	04	33282	9212	369	67
	वाराणसी मण्डल ..	674	87	670281	177911	10852	1236
1	बिजनौर	95	17	96623	30998	1407	278
2	मुरादाबाद	137	29	128507	40439	2109	502
3	रामपुर	45	10	37487	14530	579	154
	मुरादाबाद मण्डल ..	277	56	262617	85967	4115	934
1	प्रतापगढ़	88	7	85510	16451	1347	71
2	इलाहाबाद	241	34	232465	70880	4095	827
3	फतेहपुर	86	6	72107	1704	1232	101
	इलाहाबाद मण्डल ..	415	47	390082	104375	6674	999
1	कानपुर	122	28	149874	59084	2091	615
2	कानपुर देहात	106	16	100673	40727	1877	436
3	फर्रुखाबाद	149	19	120537	35427	2907	296
4	इटावा	139	13	116720	35212	2063	229
	कानपुर मण्डल ..	516	76	487804	70450	8538	1576
1	जालौन	78	9	75531	17913	1162	133
2	हमीरपुर	51	7	53076	13951	800	120
3	बांदा	66	8	58314	13524	912	123
4	ललितपुर	18	3	27416	9203	324	79
5	झांसी	66	1[illegible]	73420	24001	1276	478
	झांसी मण्डल ..	279	42	287758	78580	4474	933
1	आगरा	126	28	146220	52458	2682	867
2	फिरोजाबाद	70	14	53445	16572	1023	101
3	मैनपुरी	63	12	64584	15078	1319	133
4	एटा	108	13	86726	20545	1382	185
5	मथुरा	114	15	106642	23072	1802	287
6	अलीगढ़	155	25	157006	43769	2696	488
	आगरा मण्डल ..	636	107	614623	171514	10904	2061

1	2	3	4	6	6	7	8
1	बुलन्दशहर	200	22	194879	52125	2940	332
2	गाजियाबाद	123	24	148689	50013	2310	538
3	मेरठ	219	45	223449	73284	3253	833
4	मुजफ्फरनगर	108	33	120330	52588	2012	395
5	सहारनपुर	92	17	90539	29644	1584	371
6	हरिद्वार	42	8	51892	20315	903	207
	मेरठ मण्डल ..	784	149	829775	277962	13702	2676
1	बदायूं	54	12	65540	19713	891	226
2	शाहजहांपुर	51	10	58015	24056	790	240
3	बरेली	92	19	105273	32386	1473	418
4	पीलीभीत	33	4	36953	10442	422	84
	बरेली मण्डल ..	230	45	265781	86597	3576	968
1	नैनीताल	172	33	90248	35828	1640	426
2	अल्मोड़ा	209	20	73582	20943	1660	164
3	पिथौरागढ़	129	15	51058	17056	1146	128
	कुमायूं मण्डल ..	510	68	214888	73826	4446	718
1	पौड़ी-गढ़वाल	218	15	59105	17889	1539	188
2	टिहरी गढ़वाल	163	12	40591	11824	1020	33
3	उत्तरकाशी	67	4	20896	7761	451	38
4	चमोली	127	8	39469	13118	956	76
5	देहरादून	108	23	85046	37191	1527	672
	गढ़वाल मण्डल ..	682	63	245106	87783	5493	1007
	उत्तर प्रदेश राज्य ..	6637	962	5819599	1731312	99757	17818

*आंकड़े अनुमानित हैं ।

सारिणी—20

जनपदवार महाविद्यालय छात्र संख्या एवं अध्यापक संख्या
31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार

क्रम संख्या	जनपद का नाम	विश्वविद्यालय का नाम जिससे महाविद्यालय सम्बद्ध है	महाविद्यालय की संख्या	छात्र संख्या	अध्यापक संख्या
1	2	3	4	5	6
1	देहरादून	गढ़वाल विश्वविद्यालय	8	22383	430
2	उत्तरकाशी	तदेव	3	1283	62
3	चमोली	तदेव	3	2877	113
4	पौड़ी गढ़वाल	तदेव	4	3100	118
5	टेहरी गढ़वाल	तदेव	2	188	15
	योग .. गढ़वाल मण्डल		20	29831	738

1	2		3	4	5	6	7	8
6	नैनीताल		कुमायूं विश्वविद्यालय		6	10386	199	
7	अल्मोड़ा		तदेव		6	1680	93	
8	पिथौरागढ़		तदेव		4	3693	133	
		योग ..	कुमायूं मण्डल		16	15759	425	
9	मेरठ		चौधरी चरण सिंह वि० वि०		18	35107	827	
10	गाजियाबाद		तदेव		13	22698	549	
11	सहारनपुर		तदेव		5	11348	247	
12	हरिद्वार		तदेव		7	6096	113	
13	बुलन्दशहर		तदेव		10	12399	278	
14	मुजफ्फरनगर		तदेव		9	13593	340	
		योग ..	मेरठ मण्डल		62	101241	2354	
15	मुरादाबाद		रुहेलखंड विश्वविद्यालय		11	18642	456	
16	रामपुर		तदेव		2	2507	123	
17	बिजनौर		तदेव		6	7356	202	
		योग ..	मुरादाबाद मण्डल		19	28505	781	
18	बरेली		रुहेलखंड विश्वविद्यालय		6	12548	269	
19	पीलीभीत		तदेव		2	1989	35	
20	शाहजहांपुर		तदेव		3	4272	96	
21	बदायूं		तदेव		3	3027	57	
		योग ..	बरेली मण्डल		14	21836	457	
22	आगरा		आगरा विश्वविद्यालय		7	20970	607	
23	फिरोजाबाद		तदेव		10	10183	263	
24	मथुरा		तदेव		8	7813	241	
25	अलीगढ़		तदेव		9	16089	439	
26	एटा		तदेव		6	7286	151	
27	मैनपुरी		तदेव		3	2877	69	
		योग ..	आगरा मण्डल		43	65218	1770	
28	लखनऊ		लखनऊ विश्वविद्यालय		19	44463	821	
29	हरदोई		कानपुर विश्वविद्यालय		3	2405	78	
30	सीतापुर		तदेव		6	3175	87	
31	लखीमपुर-खीरी		तदेव		3	6799	90	
32	रायबरेली		तदेव		6	6701	148	
33	उन्नाव		तदेव		3	3241	99	
		योग ..	लखनऊ मण्डल		40	66784	1323	

1	2		3	4	5	6
34	फैजाबाद		अवध विश्वविद्यालय	8	17340	266
35	सुल्तानपुर		तदेव	9	12066	210
36	बाराबंकी		तदेव	3	2696	49
37	गोण्डा		तदेव	3	6889	164
38	बहराइच		तदेव	3	4687	71
		योग ..	फैजाबाद मण्डल	25	43678	760
39	गोरखपुर		गोरखपुर विश्वविद्यालय	14	13035	321
40	महराजगंज		तदेव	2	2876	49
41	बस्ती		तदेव	5	2364	136
42	सिद्धार्थनगर		तदेव	3	2115	79
43	देवरिया		तदेव	11	17497	393
44	आजमगढ़		पूर्वान्चल विश्वविद्यालय	11	15757	353
45	मऊ		तदेव	5	5156	80
		योग ..	गोरखपुर मण्डल	51	58800	1411
46	वाराणसी		काशी हिन्दू एवं पूर्वान्चल विश्वविद्यालय	19	32016	705
47	गाजीपुर		तदेव	15	12162	269
48	बलिया		तदेव	11	13458	308
49	जौनपुर		तदेव	17	19989	478
50	मिर्जापुर		तदेव	3	6898	97
51	सोनभद्र		तदेव	3	2222	39
		योग ..	वाराणसी मण्डल	68	86745	1896
52	इलाहाबाद		इलाहाबाद कानपुर एवं पूर्वान्चल विश्वविद्यालय	17	22296	628
53	फतेहपुर		कानपुर तदेव	3	1875	45
54	प्रतापगढ़		अवध तदेव	7	7358	161
		योग ..	इलाहाबाद मण्डल	27	33529	834
55	कानपुर		कानपुर विश्वविद्यालय	21	49562	1227
56	कानपुर देहात		कानपुर तदेव	3	681	21
57	इटावा		कानपुर तदेव	7	10486	249
58	फर्रुखाबाद		कानपुर तदेव	9	9402	175
		योग ..	कानपुर मण्डल	40	70131	1672
59	झांसी		बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय	6	18667	146
60	जालौन		तदेव	6	3755	147
61	बांदा		तदेव	6	5615	169
62	हमीरपुर		तदेव	4	2330	101
63	ललितपुर		तदेव	2	1352	26
		योग ..	झांसी मण्डल	24	31719	589
		महायोग	उत्तर प्रदेश	449	658785	15010

नोट--मार्च, 1995 तक प्रदेश के महाविद्यालयों की कुल संख्या 495 हो गयी है ।

सारिणी—21

1991 की जनगणनानुसार जनपदवार क्षेत्रफल, जनसंख्या एवं 7 वर्ष तथा अधिक आयु की जनसंख्या में साक्षरता

क्रम-संख्या	जनपद मण्डल	क्षेत्रफल वर्ग कि0मी0	जनसंख्या (हजार में)	साक्षरता प्रतिशत		
				पुरुष	महिला	व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	लखनऊ	2528	2763	68.51	46.88	57.49
2	सीतापुर	5743	2857	43.10	16.90	31.41
3	लखीमपुर खीरी	7680	2419	40.58	16·35	29.71
4	हरदोई	5986	2747	49.40	19.75	36.30
5	उन्नाव	4558	2200	51.63	23.62	38.70
6	रायबरेली	4609	2323	53.30	21.01	37.78
	लखनऊ मण्डल ..	31,104	15,309	..	..	..
1	फैजाबाद	4511	2978	55.49	22.97	39.90
2	सुल्तानपुर	4436	2559	55.36	20.84	38.69
3	बाराबंकी	4402	2423	43.00	15.41	30.42
4	बहराइच	6877	2764	35.57	10.73	24.39
5	गोण्डा	7352	3573	40.00	12.50	27.34
	फैजाबाद मण्डल	27,578	14,297	..	..	..
1	बस्ती	3783	2739	51.68	17.82	83.54
2	सिद्धार्थनगर	3495	1708	40.91	11.84	27 09
3	गोरखपुर	6272	3066	60.61	24.49	43.30
4	महराजगंज		1676	45.67	10.28	28.90
5	देवरिया	5445	4440	55.34	18.75	37.30
6	आजमगढ़	4234	3154	56.13	22.67	39.22
7	मऊ	1713	1446	59.44	27.86	43.80
	गोरखपुर मण्डल ..	24,892	18229	..	..	..
1	बलिया	2981	2262	10.13	26.73	43.89
2	गाजीपुर	3377	2417	61.48	24.38	43.27
3	जौनपुर	4038	3215	62.24	22.39	42.22
4	वाराणसी	5092	4861	64.37	28.87	47.70
5	मिर्जापुर	4522	1657	54.75	22.32	39.68
6	सोनभद्र	6798	1075	47.56	18.65	34.40
	वाराणसी मण्डल ..	26,798	16489	..	..	..

1	2	3	4	5	6	7
1	बिजनौर	4561	2455	52.56	26.47	40.53
2	मुरादाबाद	5967	4121	41.65	18.34	31.03
3	रामपुर	2367	1502	33.79	15.31	25'37
	मुरादाबाद मण्डल ..	12895	5078	..	..	..
1	प्रतापगढ़	3717	2211	60.29	20.48	40.40
2	इलाहाबाद	7261	1921	59.14	23.45	42.66
3	फतेहपुर	4152	1899	59.88	27.25	44.69
	इलाहाबाद मण्डल ..	15130	6031	..	..	..
1	कानपुर	1065	2418	76.73	58.82	68.75
2	कानपुर देहात	5111	1138	62.88	35.92	50.71
3	फर्रुखाबाद	4274	2440	59 48	31.97	43.13
4	इटावा	4326	2125	66.24	38.34	53.69
	कानपुर मण्डल ..	14776	9121	..	..	..
1	जालौन	4565	1219	66 21	31.60	50.72
2	हमीरपुर	7166	1466	55.13	20.88	39.64
3	बांदा	7624	1862	51.50	16.44	35.70
4	ललितपुर	5039	752	75.22	16.62	32.12
5	झांसी	5024	1430	66.76	33.76	51 60
	झांसी मण्डल ..	29418	6729	..	..	..
1	आगरा	4027	2751	63.09	30'38	48.58
2	फिरोजाबाद	2361	1533	59.76	29.85	46.30
3	मैनपुरी	2760	1317	64.28	35.05	50.21
4	एटा	4446	2245	54.09	22.91	40.15
5	मथुरा	3811	1931	62.55	23.04	45.03
6	अलीगढ़	5019	3296	60.19	27.17	45.21
	आगरा मण्डल ..	22424	13073	..	..	..
1	बुलन्दशहर	4352	2850	61.96	24.30	44.71
2	गाजियाबाद	2590	2704	68.64	38.81	55.22
3	मेरठ	3911	3448	64.47	35.62	51.30
4	मुजफ्फरनगर	4008	2443	56.63	29.12	44.00
5	सहारनपुर	3689	2309	53.85	28.10	42.11
6	हरिद्वार	2360	1124	59 51	34.93	48.35
	मेरठ मण्डल ..	20910	15278	..	..	..

1	2		3	4	5	6	7
1	बदायूं		5168	2448	33.96	12.82	24.64
2	शाहजहांपुर		4575	1987	42.68	18.59	32.07
3	बरेली		4120	2835	44.33	19.85	32.78
4	पीलीभीत		8499	1283	44.37	17.22	32.10
		बरेली मण्डल ..	17862	8553	..	..	..
1	नैनीताल		7794	1540	67.88	43.19	56.52
2	अल्मोड़ा		5385	837	79.96	39.60	58.66
3	पिथौरागढ़		8856	566	79.44	38.37	59.01
		कुमायूं मण्डल ..	21035	2943	..	..	..
*1	पौड़ी गढ़वाल		5438	683	82.46	49.44	65.33
2	टिहरी गढ़वाल		4421	580	72.10	26.11	48.38
3	उत्तरकाशी		8016	240	68.74	23.57	47.23
4	चमोली		9126	455	82.01	40.37	61.08
4	देहरादून		3088	1026	77.95	59.26	69.50
		गढ़वाल मण्डल ..	30089	2984	..	..	..
		उत्तर प्रदेश राज्य ..	294411	139112	55.73	25.31	41.60

*आंकड़े अनुमानित हैं।

पी० एस० यू० पी०—4 शिक्षा—5-7—95-2500 प्रतियां (पी० डी०)।

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No.
Date